Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २३वां दिवस [संख्या १४

शुक्रवार, दिनांक १७ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, गृह, शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक सम्पर्क, पंचायत, विधि, पशु-पालन, यातायात, विकास, सहकारी, उद्योग एवं वित्त-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ३०९

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम।

ग्राम पंचायत खुडी (तहसील सुजानगढ़) के चुनाव में टेवटा की चोरी

३४६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तारीख ३१-८-५९ को हुए ग्राम पंचायत खुडी तहसील सुजानगढ़ (चूरू) के चुनाव में एक टेवटा श्री मूनाराम जाट साकिन ढाणी रिणवा वार्ड नं० ७ की औरत का चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट एस० एच० ओ० भीवसर को, जो उस वक्त मौजूद थे, दी गई तथा उस रिपोर्ट को एस० एच० ओ० ने रजिस्टर दर्ज नहीं किया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना की सूचना एस० एच० ओ० ने उसी समय निर्वाचनाधिकारी, श्री कन्हैयालाल कोचर, तहसीलदार, सुजानगढ़ को नहीं दी ? अगर दी, तो एस० एच० ओ० और निर्वाचनाधिकारी ने उक्त घटना के बारे में क्या कदम उठाया ?

(३) क्या यह सही है कि इस टेवटे के चोरी होने के बारे में निर्वाचनाधिकारी, श्री

Page No.2

(श्री किशनाराम)

कन्हैयालाल कोचर ने एस० डी० एम० कोर्ट रतनगढ़ (चूरू) में अपने जवाब में एस. एच. ओ० भीवसर द्वारा उन्हें चोरी होने की सूचना का जिक्र किया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस टेवटे के केस पर कोई गौर न होने पर एस० पी०, चूरू को दो-तीन बार उचित न्याय के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे ? अगर हां, तो उन पर क्या कदम उठाये गये ?

(५) क्या यह सही है कि इस टेवटे के बाबत मुस्तगीस व उसके रिश्तेदारों की तरफ से एस० पी० चूरू को दिये गये प्रार्थनापत्रों पर एस० पी० द्वारा एस. एच. ओ., भीवसर को मुकदमा बनाकर जांच कराने के आदेश कर दिये गये जिसके कारण एस० एच० ओ०, भीवसर मुस्तगीस व उनके रिश्तेदारों पर उल्टा मुकदमा बनाने की धमकियां दे रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, टेवटाकी चोरी नहीं किन्तु खोने की सूचना अवश्य प्राप्त हुई थी जिस पर अध्यक्ष, आरक्षी केन्द्र, भीवसर ने उसकी तलाश की तथा रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी ।

(२) जी नहीं । टेवटा खोने की सूचना उसी समय निर्वाचनाधिकारी को दे दी गई थी और उसको खोज निकालने का अध्यक्ष आरक्षी केन्द्र ने तत्काल प्रयत्न आरम्भ कर दिया ।

(३) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(४) जी हां । ढील के आरोप लगाने वाले दो प्रार्थनापत्र दिनांक १८-१०-५६ व २-१२-५६ को प्राप्त हुए । जिन पर अधीक्षक, आरक्षी की आज्ञा से मामला धारा ३७६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ और उसका अनुसन्धान किया गया ।

(५) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : टेवटे के खोने की जो रिपोर्ट एस. पी. को दी गई उस में उल्लेख आया है कि जिस समय पहली बार एस. एच. ओ. को रिपोर्ट की उस समय उन्होंने दर्ज नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम्पलेन्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं, यह तो मालूम नहीं लेकिन उसका सब्सटेन्स यह है कि ठीक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और प्रोपर्ली प्रोसीड नहीं कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कर ली थी कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि टेवटे के खोने की रिपोर्ट की गई थी, बल्कि चोरी की नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट ही यही है ।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट तो चोरी की लिखाई गई थी लेकिन रोज़नामचे में खोने की लिखी गई और जो प्रार्थनापत्र दिया गया है उसमें एस. पी. को स्पष्ट संकेत किया गया था कि थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३७९ धारा में केस रजिस्टर कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : इसका जो दूसरा पार्ट था कि केस रजिस्टर नहीं किया उसके अन्दर सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने रोजनामचे में खोने की रिपोर्ट दर्ज की क्योंकि थेफ्ट का केस नहीं बनता था। अगर थेफ्ट का केस बनता तो दर्ज कर लेते।

श्री भैरोंसिंह : सब इन्सपेक्टर को यह रिपोर्ट की गई थी, चोरी गया है; तो केस खोने का कैसे रजिस्टर कर लिया?

श्री रामकिशोर व्यास : इनके एलीगेशन्स यही थे और इन एलीगेशन्स के मुताबिक तहकीकात करा ली। जब पता चला तो सेफर साइड यही होगी, यह जान कर ऐसा किया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप तो यह बताइये कि जब केस रजिस्टर नहीं किया तो उसके लिए क्या कार्यवाही सब इन्सपेक्टर के खिलाफ की गई?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि केस रजिस्टर किया गया।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय चोरी हुई उस समय रजिस्टर नहीं किया गया और जब एस. पी. के सामने सुनवाई के लिए गये तो दर्ज किया। केस तो चोरी का था, लेकिन जबरदस्ती रोज़नामचे में यह लिखा कि केवल केस से बचने के लिए खोने का केस रजिस्टर किया।

श्री किशनाराम : मैं एक सूचना और अर्ज कर दूं माननीय गृह मन्त्री से आपके द्वारा कि जिस दिन यह चोरी हुई उस दिन मैं और एक दूसरे एम. एल. ए. मौजूद थे। हमने साथ जाकर एस० एच० ओ० को कहा कि यह चोरी हो गई है और इनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करो। उन्होंने कहा कि साइन हम कर लेंगे। क्योंकि वे तो लचीली भाषा जानते हैं, कहा; जनाब अभी कर लेते हैं, तलाश करते जनाब। पर किया क्या? न रिपोर्ट दर्ज की, न कुछ किया और ६ महीने बाद जब एस. पी. चूरू को कहा और उनको दरख्वास्त दी तब ६ महीनों के बाद केस रजिस्टर किया। कानून में यह प्रावधान है कि कोई जबानी भी चोरी की इत्तला दे तो केस रजिस्टर करना होता है, लेकिन हम मिनिस्टरों के पास जाकर एम. एल. एज़. कहते हैं तब भी कुछ नहीं होता।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि ऐसा किया गया है तो उसकी जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे।

रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर में जाली हिसाब

४५०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १० अप्रेल, सन् १९६० को प्रोफेसर लखपतसिंह, संस्कृत अध्यापक श्री लक्ष्मीचन्द, व रसायन शाला अध्यापक शंकरलाल द्वारा शिक्षा विभाग के

Page No.4

(श्री भैरोंसिंह)

संचालक श्री सक्सेना को लिखित रूप से शिकायत की गई कि रामपुरिया कॉलेज में झूठे व जाली हिसाब बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो कृपया उस शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि ११ अप्रेल को संचालक महोदय ने कॉलेज में जाकर इस प्रकार से समस्त जाली एवं झूठे बनाये गये हिसाब के रजिस्टर आदि जब्त कर लिये ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(३) क्या यह सही है कि कॉलेज में उस समय सब ही उपस्थित प्राध्यापक, क्लर्क्स, चपरासी आदि ने झूठे व जाली हिसाब बनाने की बात का समर्थन किया तथा लिख कर इस सम्बन्ध में बयान भी दिये ?

(४) क्या यह सही है कि रामपुरिया कॉलेज के आचार्य श्री जे. सी. घोष ने इसको स्वीकार किया ?

(५) क्या इन झूठे अकाउन्ट्स के आधार पर ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाकर सरकार के समक्ष पेश की गई है ?

(६) सरकार से किस किस वर्ष किस प्रतिशत से कितनी कितनी ग्रान्ट-इन-एड इस कॉलेज को दी गई है ?

(७) इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इस सम्बन्ध में रामपुरिया कॉलेज के कुछ अध्यापक शिक्षा संचालक से मिले थे और मौखिक शिकायत की थी ।

(२) संचालक शिक्षा विभाग ११ अप्रेल, ६० को वेतन वितरण के समय जांच के लिए बिना सूचना दिये अचानक कॉलेज पहुंचे और वेतन वितरण पंजिका की जांच की । ऐसी ही दो पंजिकाएं कॉलेज में थीं; एक में महंगाई भत्ते सहित वेतन देने की रसीदें स्टाफ से ली जाती थीं और दूसरे में केवल वेतन की रसीदें ही ली गई थीं । ये दोनों पंजिकाएं संचालक शिक्षा विभाग अपने साथ ले आये थे ।

(३) स्टाफ के कुछ व्यक्तियों ने ऐसी शिकायत की तथा लिखित में भी दी, किन्तु सभी ने नहीं ।

(४) जी नहीं ।

(५) साल भर की आय-व्यय का लेखा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा चैक कराया जाकर अनुदान के प्रार्थना-पत्र सहित सरकार को पेश किया जाता है जिसको इन्टर्नल चेकिंग पार्टी द्वारा चैक कराया जाकर राज्य अनुदान स्वीकार किया जाता है ।

(६) पिछले तीन वर्षों का अनुदान स्वीकार करने का लेखा इस प्रकार है :

साल	प्रतिशत	रकम
१९५७-५८	७५	३५,४३०.००
१९५८-५९	७५	३६,४१६.००
१९५९-६०	७५	४५,३७०.००

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(७) रामपुरिया कॉलेज की प्रबन्धक समिति स्टाफ को महंगाई भत्ता नहीं देते थे क्योंकि उनके पास यथेष्ट धन नहीं था, अतएव स्टाफ के सदस्यों ने प्रबन्धकों से कहा कि वह उन्हें मंहगाई भत्ता देने का हिसाब दिखाकर उस पर राज्य से ७५ प्रतिशत रकम प्राप्त कर सकते हैं और प्रबन्धक अपने पच्चीस प्रतिशत का हिस्सा स्टाफ को नहीं दें, उन्हें ७५ प्रतिशत जो रकम सरकार से मिले उन्हें देवें। इस प्रकार स्टाफ के लोग भी प्रबन्धकों से अनियमितता में शामिल थे। इसका प्रमाण कॉलेज के पास मौजूद है। ऐसी अनियमिततायें सेट रामपुरिया के नोटिस में, जो कलकत्ते रहते हैं, लाई गयीं और कहा गया कि निम्नलिखित बातों का पूर्णतया अनुपालन किया जाय :

(१) शिक्षा विभाग से भेजे गये मानचित्र के अनुसार स्टाफ को पूरा वेतन दिया जाय।

(२) स्टाफ को पूरा मंहगाई भत्ता दिया जाय।

(३) १०० रुपये से अधिक का वेतन २–५–६० से चैक द्वारा भुगतान किया जाय।

(४) यदि कोई स्टाफ सरप्लस किया जाय तो उसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा ली जाकर उसे नियमानुसार नोटिस दिया जाय।

(५) अध्यापकों को अकारण ही परेशान न किया जाय।

इन बातों का रामपुरिया ने अनुपालन कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह: गलत अकॉउन्ट्स वगैरह पकड़े गये, उस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं लिया गया तो क्या नेग्लिजेन्स की वजह से नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई नेग्लिजेन्स नहीं है। इस मामले को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि जो शर्तें उनको दी गई थीं उनका अनुपालन उन्होंने कर लिया है। यह सब होने का कारण यह था कि सेठ रामपुरिया को इसके बारे में मालूम नहीं था क्योंकि वे कलकत्ता रहते थे। एक मिस्टर गुप्ता इनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्टाफ के मेम्बर्स से मिलकर गड़बड़ी की थी। अब श्री गुप्ता को हटा दिया गया है और जिनको डियरनेन्स अलाउन्स नहीं दिया गया था उनको वापिस दिला दिया गया है और आइन्दा के लिये तय कर दिया है कि पेमेन्ट चैक के जरिये किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह तय कर दिया, लेकिन पहले जो पेमेन्ट नहीं किया गया और गवर्नमेंट से ले लिया गया उसके बारे में क्या किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका पेमेन्ट करवा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया, स्टाफ को कम कर दिया और गवर्नमेंट से पूरा वसूल कर लिया उसके लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेठ रामपुरिया कलकत्ता में रहते हैं और लोकल आदमियों की कमेटी काम देखती थी।

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अकाउन्ट्स में गड़बड़ करने में स्टाफ के मेम्बर्स भी शामिल थे। मि० गुप्ता जिसकी वजह से यह सब हुआ उसको हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : स्टाफ के मेम्बर्स किसमें शामिल थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टाफ के मेम्बर्स ने मेनेजिंग कमेटी को कहा कि आप ७५ पर्सेन्ट ग्रान्ट ले लो और हमको डियरनैस अलाउन्स मत दो।

श्री अध्यक्ष : ऐसा उन्होंने लिखित में दिया था क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉलेज के पास एविडेन्स मौजूद है जिससे डाइरेक्टर सेटिस्फाइड हो गये थे।

श्री भैरोंसिंह : स्टाफ शामिल था, क्या इसका यह मतलब है कि गलत रेकॉर्ड बनाने में या फोर्जरी करने में स्टाफ भी शामिल था ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह कहना है कि स्टाफ ने मैनेजमेंट को यह कहा कि डीयरनैस अलॉउन्स उनको न दें और ७५ पर्सेन्ट गवर्नमेंट से ले लें और २५ पर्सेन्ट अपनी ओर से नहीं दें।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर श्री गुप्ता ने कौनसा ऐसा जुर्म किया जिससे उसको हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : But this is an irregularity.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस प्रकार की कार्यवाही अनियमित थी, इरेंगुलर थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कब इन्कार करता हूँ कि यह कार्यवाही इरेंगुलर नहीं थी। इस बारे में हमने उनको जो कुछ करने को कहा है उसको उन्होंने मन्जूर किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह क्लियर कट चीटिंग नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मामला किसी भी डिफिनिशन में आ सकता है। लेकिन सर्कम्स्टान्सेज़ को ध्यान में रख कर गवर्नमेंट ने जैसा मुनासिब समझा वैसा किया।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट को अधिकार है, लेकिन क्या गवर्नमेंट को यह भी अधिकार है कि किसी ने चीटिंग की कार्यवाही की है तो भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी अधिकार में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट को यह भी अधिकार है कि कोग्नीज़ेबल ऑफेन्स को कोर्ट के सामने लाये बिना ही विदड्रा कर ले ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Dishonesty of the intention is the main consideration in the offence. किसी प्राइवेट पर्सन ने मिस-एप्रोप्रियेशन नहीं किया है। रुपये इन्स्टीट्यूशन को दिये गये। ट्रस्ट के चेयरमैन वहां नहीं रहते थे, लोकल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमेटी काम कर रही थी। जो अनियमितता की गई थी उसे ठीक कर दिया गया है, पेमेन्ट कर दिया गया है, आइन्दा ऐसा नहीं हो, इसका उपाय कर दिया गया है। चैयरमेन को जो शर्तें गवर्नमेंट की तरफ से बताई गईं उनको उन्होंने मान लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सही है कि इसके अन्तर्गत वहां के जो चपरासी थे, कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनके नाम वहां पर थे और काम नहीं करते थे और उनके नाम से वेतन लिया जाता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not in my notice. I want notice for this question.

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न ऐसा है कि डियरनेस अलाउन्स नहीं देते थे उसका तो आपको पता लग गया लेकिन वहां पर पीयॉन्स रखे ही नहीं गये थे और उनके नाम पर पैसा वसूल करते थे, यह भी गवर्नमेंट के ध्यान में है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल पूछना चाहिये था, नोटिस देना चाहिये था। मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो ऑडिट कराया गया....

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा ऑडिट ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न पूछा था कि झूठे अकाउन्ट्स के आधार पर ही रिपोर्ट दी गई थी, यूटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट भी झूठा दिया गया था और वे इस रिकॉर्ड में मौजूद हैं जिसको आपने जब्त किया है और उसके आधार पर आपने कार्यवाही की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That case वह तो मैं अर्ज कर चुका हूँ। दो रसीदें बनाई गई थी एक मय डियरनेंस अलाउन्स के और दूसरी विदाउट डियरनेंस अलाउन्स के। ऑडिट भी उसी तरह से कराया होगा।

श्री अध्यक्ष : कितने साल से चल रही थी ऐसी कार्यवाही ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस साल से तनख्वाह चल रही थी उसी साल से चल रहा था।

श्री अध्यक्ष : This is a very serious matter and the Government should not condone it so lightly. They should examine all the past accounts. Action can be taken against the Auditors, against the Trust and against the individuals.

श्री दामोदरलाल व्यास : My submission is that the Auditors cannot be held responsible because whatever accounts are produced before the Auditors they audit it. So far as the management is concerned, I have already submitted that the Chairman of the Trust was not in the know of the things.

श्री अध्यक्ष : Ignorance in such matters does not count. It is the

Page No.8

(श्री अध्यक्ष)

Trust as a whole that is functioning in Bikaner That is exactly what I suggested. Whosoever is to be held up should be held up.

श्री दामोदरलाल व्यास : Action has been taken.

श्री अध्यक्ष : What action ? This is condoning what has happened.

प्रश्न संख्या ३५१

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

राजस्थान पब्लिक रिलेशन्स सर्विस

३५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार का राजस्थान पब्लिक रिलेशन्स सर्विस स्थापित करने का विचार है ?

(२) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक चालू हो जावेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां ।

(२) इसमें लगभग ३-४ महीने का समय लगेगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या पी. एस. सी. हर डिपार्टमेन्ट का अलग बनाना चाहते हैं ? What is the sense in having Public Service Commission for this Public Relation ? Are you going to have a P. S. C. for each department ?

श्री अध्यक्ष : What wrong ? There is Educational Service and there is Police Service.

श्री पी० के० चौधरी : It is very ridiculous to have a separate Service.

श्री रामकिशोर व्यास : क्वेश्चन यह है, "क्या यह सही है कि सरकार का राजस्थान पब्लिक रिलेशन्स सर्विस स्थापित करने का विचार है ?"; मैंने जवाब दिया, "जी हां" ।

श्री पी० के० चौधरी : That is what I am asking. We can understand for Educational Service or Police Service, but to have a different service for Public Relations, it does not....

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

पंचायतों, प्रधानों तथा प्रमुखों के चुनावों में हुआ सरकारी व्यय

३५३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सम्पूर्ण राजस्थान में जो अभी दिसम्बर व जनवरी में पंचायतों, प्रधानों व प्रमुखों के चुनाव हुए हैं उनमें सरकार को कुल कितना कितना खर्चा उठाना पड़ा ?

Page No.9

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : कुल व्यय १४ व १५ लाख रुपये के बीच हुआ है। सही आंकड़े अभी कुछ स्थानों से उपलब्ध नहीं हो सके हैं व कुछ जिलों का भुगतान भी शेष है। अतएव अनुमानिक व्यय ही बताया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : एक जिले में १,५७,०००) रु. खर्च हुआ है और उसी के मुकाबले दूसरे जिले में १८,००० रुपया खर्च हुआ है, इतना फर्क कैसे है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जिले की परिस्थिति पर अवलम्बित है कि कितने पोलिंग स्टेशन्स हैं, कितने आदमी आये, कितने इन्तजाम के लिये गये, कितना बड़ा जिला है। कई बातों पर डिपेन्ड करता है।

श्री मूलचन्द डागा : जो स्टेटमेंट आपने साथ में दिया है उससे यह पता चलता है कि जिसका एरिया छोटा है उस जिले में ज्यादा खर्च हुआ है और जिस जिले का एरिया लम्बा-चौड़ा है; जैसेजैसलमेर वगैरह है, वहां कम खर्चा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कह दिया न कि इन कारणों से ज्यादा खर्च हुआ है जिले की हालात, पोलिंग स्टेशन्स, कितना दूर जाना पड़ा वगैरह वगैरह।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

हटीला की मृत्यु के कारणों की जांच

३५४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने हटीला की मृत्यु के कारणों की जांच की है ?

(२) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि हुई है, तो क्या ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सवाल का जवाब जैसा आया है पढ़ देता हूँ:—

(१) जी हां।

(२) जांच कार्य अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ है।

अभी तक करीब ४१ गवाहान के बयानात लिये जा चुके हैं।

(३) जब तक जांच का परिणाम न निकलेगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अन्त में यह निवेदन करना है कि करीब करीब एब्सल्टली कहा जा सकता है कि आदमी हटीला मिल गया है, अदालत में उसके बयान भी हो गये। पर लिखित रूप में मेरे पास नहीं आया।

Page No.10

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो डैड बोडी हटीला के नाम से मिली थी उसको किसी ने शनाख्त नहीं किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : यहां चित्त भी मेर, पुट भी मेरी; दोनों भी तो चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : 'चित–पुट' का सवाल नहीं, जो डैड बोडी हटीला के नाम से मिली उसको किसी ने शनाख्त भी तो किया होगा कि यह हटीला की डेड बोडी है?

श्री रामकिशोर व्यास : हटीला के नाम से कोई डैड बोडी मिली नहीं, कुछ लोगों का जिन्होंने कि कुंए में डैड बोडी देखी, क वह हटीला की डैड बोडी है।

श्री भैरोंसिंह : लोगों ने कहा है कि हटीला की है; पर किसी ने शनाख्त किया कि नहीं कि यह डैड बोडी हटीला की है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है, जानकारी करके कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो डैड बोडी मिली थी उस डैड बोडी को हटीला की वाइफ ने हटीला की डैड बोडी बता कर अदालत में बयान दिये थे?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : डैड बोडी हटीला की है या नहीं, इस बात की जांच की गई या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : कहा न कि जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच कब तक पूरी कर दी जानी चाहिये थी?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी से जल्दी।

श्री भैरोंसिंह : ८ महीने का अर्सा निकल गया, क्या यह जल्दी से जल्दी है?

श्री रामकिशोर व्यास : परिणाम तो निकल गया। विदिन टेन डेज़ मालूम होता तो कह देते कि हटीला की डैड बोडी है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम सेवक

३५५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं? अगर हां, तो उनकी क्या योग्यताएं रखी गई हैं, क्या ग्रेड दिया जा रहा है और उनकी क्या ड्यूटीज़ रखी गई हैं?

(ख) उपरोक्त ग्राम सेवक किन आधारों को लेकर नियुक्त किये गये हैं?

(ग) क्या ये पंचायतों के आधीन रखे गये हैं या उनका सम्बन्ध सरकार से सीधा रखा गया है?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी नहीं। पंचायत समितियों के गठन के

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पूर्व ग्राम सेवकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। अब नियुक्ति पंचायत समितियों द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता, वेतन शृंखला व ड्यूटीज़ की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ग्राम सेवक उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किये गये हैं।

(ग) पंचायत समितियों के आधीन रखे गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक पंचायत समिति में कितने ग्राम सेवक रखे गये हैं, उनका हैड क्वार्टर पंचायत समिति में रखा गया है या पंचायतों में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो सवाल था नहीं। आपका सवाल वेतन स्केल, योग्यता आदि के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

हिन्दी परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के समकक्ष प्रदत्त सरकारी मान्यता

३५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने किन किन हिन्दी की परीक्षाओं को अंग्रेजी की किन किन परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता दी है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या सरकार ने इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हिन्दी की परीक्षा पास अध्यापकों को अपेक्षित ग्रेड में नियुक्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) ये नियुक्तियां अब कब तक हो जावेंगी और इनको अब तक न करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

[illegible] (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मान्यता के अनुसार हिन्दी की परीक्षा पास अध्यापकों को समकक्ष ग्रेड्स में नियुक्त किया जाता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : सूची संलग्न है, इससे मालूम नहीं होता है, प्रवेश या कोविद् लिखा है, उसके आगे लिखा है, "For High School Examination only."

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें लिखा हुआ है।

(विराम)

आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दी की किन किन परीक्षाओं

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

को अंग्रेजी की किन किन परीक्षाओं के समकक्ष माना जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें शिड्यूल दिया हुआ है, कालम नं० (१) विद्या विनोदिनी, एडवान्स्ड इंगलिश वगैरह व दूसरी है हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन्स ....

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा-सादा है कि हिन्दी को कौन कौन सी परीक्षाएं इंग्लिश की कौन कौन सी परीक्षाओं के समकक्ष मानी गई हैं :

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप इसमें देख लीजिये । This is considered for High School Examinations.

श्री भैरोंसिंह : Considered for High school नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि कोविद् परीक्षा जिसने पास कर ली है उसको अंग्रेजी की किस परीक्षा के के बराबर माना जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी इन्स्टीट्यूशन के पासिंग के सर्टिफिकेट की अवार्डिंग ऑथोरिटी है तो हाई स्कूल में उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : किसी ने राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, वर्धा से कोविद् परीक्षा पास कर ली है तो किसके बराबर मानेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो लिखा है ....

श्री भैरोंसिंह : हाई स्कूल के समकक्ष वह हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, यही मैंने अर्ज किया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोविद् की परीक्षाओं को इन्टरमीजियेट के बराबर मानने का सदन में माना गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाई स्कूल के बराबर माना है, मेरी जानकारी में नहीं है कि इन्टर के बराबर इस सदन में स्वीकार किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न पूछा था: "सरकार ने किन किन हिन्दी की परीक्षाओं को अंग्रेजी की किन किन परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता दी है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।"

यहां लिख दिया हाई स्कूल इन्टरमीजियेट एग्ज़ामिनेशन....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will jusst explain the position. यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की परीक्षा प्रवेश हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन के बराबर और कोविद्, रत्न इन्टर के बराबर है, इस तरह माना गया है ।

श्री भैरोंसिंह : कोविद इन्टर के बराबर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 'कोविद्-रत्न' मैंने कहा ।

Page No.13

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वह अलग है ।

श्री भैरोंसिंह : कोविद्–रत्न कोई परीक्षा नह है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोविद्, रत्न अलग अलग परीक्षाएं हैं, यह मैं जानता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : कोविद्, रत्न परीक्षायें हैं वे इन्टर की परीक्षा के बराबर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोविद् इन्टर के बराबर है, रत्न बी० ए० के बराबर है ।

श्री भैरोंसिंह : जो सूची संलग्न की है, इसमें लिखा है 'फोर हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन' ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें सब्जेक्ट्स का सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें सब्जेक्ट्स का सवाल नहीं है, यह क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will just explain the position....

श्री भैरोंसिंह : But the 'Suchi' which has been supplied with the answer is incorrect.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो गवर्नमेंट नोटीफिकेशन की कॉपी है ।

श्री अध्यक्ष : I think, we will defer this question till the Minister concerned is present here to reply the question.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन का, जिसकी जानकारी नहीं हो, वे उत्तर देने का कष्ट न करें ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

तहसील देवली, जिला टोंक के दीवानी एवं फौजदारी मामले

३५७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली, जिला टोंक के सब ग्रामों के दीवानी और फौजदारी केसेज़ का सम्बन्ध मालपुरा कोर्ट से रखा गया है ? अगर हां, तो किन आधारों पर ?

(२) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ठिकाना उनियारा की तहसील नगर व ग्रामों का भी सम्बन्ध मालपुरा से ही रखा गया है ? अगर हां, तो किन आधारों पर ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों के केसेज़ के लिये टोंक ही उपयुक्त स्थान था ? अगर हां, तो फिर यह रद्दोबदल क्यों किया गया ?

न्याय मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) यह सही है । चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने नोटीफिकेशन नं० एफ० ३ (१)

(श्री रामकिशोर व्यास)

राज (घ) ५७ दिनांक २२—८—५७ के तहसील देवली के सब गांवों को टोंक सब-डिविज़न से हटा कर मालपुरा सब डिविज़न में रखा इसलिए यह जरूरी समझा गया था कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, मालपुरा का जुरिस्डिक्शन उसी क्षेत्र में रहे जिस क्षेत्र में सब-डिवीज़नल ऑफिसर का है जिससे जनता को असुविधा न न हो।

(२) ठिकाना उनियारा की तहसील नगर व आवां को दूनी ठिकाने के एरिया से मिला कर दूनी तहसील कायम की गई थी और इस तहसील का सम्बन्ध मालपुरा से था। दूनी पहले से तहसील टोडारायसिंह का हिस्सा था और जयपुर राज्य के जमाने से ही सब—डिविजन मालपुरा में ही रहती आ रही थी। अतः जब दूनी तहसील से देवली तहसील कायम की गई तो देवली तहसील का सम्बन्ध मालपुरा सब-डिवीजन से ही रखा गया, सब-डिविजन टोंक में तीन तहसीलें टोंक, निवाई व उनियारा हैं। जिससे काम पहले से ही काफी अधिक है। अगर तहसील देवली को मालपुरा सब-डिविज़न में नहीं मिलाया जाता है वह सब-डिविजन तो छोटा हो जाता और टोंक सब-डिविज़न बहुत बड़ा हो जाता है।

(३) क्योंकि ये ग्राम दूनी तहसील में थे जिसमें देवली का इलाका मिला कर देवली की तहसील बनाई गई; अत; ये गांव भी देवली तहसील के साथ प्रश्न सं० २ में दिए गए कारणों से मालपुरा सब-डिविज़न में ही रहे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि भूतपूर्व उनियारा के देवली को मालपुरा में नहीं मिलाया जाता तो मालपुरा सब-डिविज़न छोटा हो जाता। मैं यह कहता हूँ कि एक तो मालपुरा सब-डिविज़न को बड़ा बनाने के लिए पचास मील, साठ मील, सत्तर मील पर जिस प्रकार नगर और आंवा हैं, उनको मालपुरा में मिलाया गया है, इसमें क्या पब्लिक की सुविधा को देखा, या मालपुरा की सुविधा को देखा, या मिनिस्टर साहब की सुविधा को देखा ?

श्री रामकिशोर व्यास: सब की सुविधा को देखा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सबकी सुविधा की बात नहीं है। मालपुरा जाने में टोंक होकर मालपुरा जाना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मिनिस्टर साहब की सुविधा को देखा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : देवली से रास्ता जाता है, वहां न सड़क है और न बस में जा सकते हैं। वे लोग तकलीफ पाते हैं और पब्लिक का खर्चा ज्यादा पड़ता है। मैं कहता हूँ कि उनका ताल्लुक टोंक से था।

श्री रामकिशोर व्यास : वह ऑलरेडी टोंक उनियारा निवाई है, इसमें मालपुरा और टोडारायसिंह है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इसमें सुविधा देखते हैं, जो मालपुरा सब-डिविजन बनाया गया है ?

Page No.15

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : टोंक निवाई को वन सब डिविजन में और देवली को मालपुरा में लेजाया जाता तो नज़दीक होता।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जहां तक तहसील देवली का सवाल है, देवली गवर्नमेंट ऑफ अजमेर का था, वह दूनी में शामिल किया गया है, देवली हैड क्वार्टर बनाया गया। जयपुर राज्य का उनियारा जो है, जो टोंक सब-डिविजन में लगाया हुआ है, वह मालपुरा सब-डिविजन में रहा है इसलिए टोंक सब डिविजन से ट्रान्सफर नहीं किया गया। क तहसील टोडारायसिंह थी। उस तहसील को दो तहसीलों में स्प्लिट—अप किया गया है, उसमें सब-डिविजन मालपुरा हमेशा से है। माननीय सदस्य कहते हैं कि टोंक में था, उसको मालपुरा में किया गया है, यह भ्रम है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मिनिस्टर साहब को कि उनियारा ठिकाने के जुरिस्डिक्शन का एक मामला दायर हुआ था, उसका फैसला मौजूद है। आप कहते हैं कि मालपुरा में मिलाया गया, यह तो तब मिलाया गया जब आप मिनिस्टर हुए।

प्रश्न संख्या ३५८

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

प्रजनन-केन्द्रों पर भेड़ों की मृत्यु

३५९. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले १ साल में विभिन्न प्रजनन केन्द्रों पर भेड़ों की मृत्यु संख्या कितने प्रतिशत रही तथा भेड़ों की मृत्यु होने का क्या कारण रहा ? कृपया प्रत्येक प्रजनन केन्द्रानुसार मृत्यु संख्या तथा प्रतिशत की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ख) उप—संचालक द्वारा भेड़ों को बचाने के हेतु क्या प्रयास किए गए और उनका क्या परिणाम रहा ?

(ग) जोड़—बीड़, बीकानेर के प्रजनन केन्द्र में सन् १९५९—६० में फाउन्डेशन फ्लाक हेतु कितनी भेड़े किस मूल्य को खरीदी गई और उनमें से अब कितनी जीवित हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि मरी हुई भेड़ों को उनका पोस्टमार्टम कराये बिना ही दबा दिया गया था तथा उनकी पूर्ति करने के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर घटिया किस्म के मेमने खरीदे गये जो भी मर गये ?

(च) यदि हां, तो कितने मेमने किस कीमत पर किसके आदेश से खरीदे गए तथा उनके मरने के क्या कारण रहे ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान राज्य द्वारा संचालित विभिन्न भेड़ प्रजनन केन्द्रों पर पिछले एक वर्ष में भेड़ों की मृत्यु संख्या नीचे अनुसार रही:—

केन्द्र	मृत्यु संख्या	
	भेड़ें, मेमने	प्रतिशत
भेड़ प्रजनन केन्द्र,		

Page No.16

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मन्डोर	५७	८.३२
भेड़ प्रजनन केन्द्र, कोडमदेसर	६३	१२
भेड़ प्रजनन केन्द्र, पोकरन	६६	२८
भेड़ अनुसन्धान केन्द्र, जयपुर	७८	२४.७
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	१८२	३३.४

इनकी मृत्यु के कारण निम्नलिखित हैं:—

१. बूढ़े होने के कारण प्राकृतिक मृत्यु,

२. विभिन्न रोग जैसे निमोनिया, जैसलमेरी रोग, इन्टराइलिस इन्ट्रोटोक्सोनिया, वायरसडरमेटाइटिस, प्लान्ट पोंइजनिंग इत्यादि।

(ख) पशु चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भेड़ों को रोगों से बचाने के लिये हर सम्भव उपाय समय समय पर किये गये। रोगों की उत्पत्ति की सूचना मिलते ही उप—संचालक द्वारा शीघ्र ही विभिन्न पशु चिकित्सा अधिकारी, असिस्टेन्ट डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, शीप एण्ड गोट, जयपुर, भारत सरकार के पशु चिकित्सा विशेषज्ञ आई. वी. आर. आई. से समय समय पर राय ली गई तथा उनकी सेवायें प्राप्त की गई। उनके द्वारा बताये गये टीकों, औषधियों का तत्काल प्रयोग किया गया, जिसके कारण संसर्गजन्य रोगों की रोकथाम समय पर ही की जाकर रोग ग्रस्त भेड़ों में से लगभग पचास प्रतिशत भेड़ें बचा ली गई और शेष जानवरों में बीमारी नहीं फैल सकी।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जोड़-बीड़ में सन् १९५९—६० में १५० भेड़े खरीदी गई जिनका विवरण संलग्न है। इन १५० भेड़ों में से ७७ जीवित हैं।

(घ) यह सत्य नहीं है। मरी हुई प्रत्येक भेड़ का पोस्टमॉर्टम किया गया। मरी हुई भेड़ों की पूर्ति सस्ते दामों के मेमनों से नहीं की गई।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर प्रजनन केन्द्र के अन्दर कुछ भेड़ों को मारा नहीं गया; बल्कि बेचा गया और उनको रिप्लेस करने के लिए कम कीमत की भेड़ें खरीद कर उस प्रजनन केन्द्र में रखी गई तथा इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार जो इन्चार्ज थे उनके खिलाफ सरकार को शिकायत की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस केस के बारे में कई दफा जिक्र कर चुका हूँ और उसकी इन्क्वायरी चली है। उसमें कुछ भेड़ों को रिप्लेस किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : जिस क्वेश्चन का जवाब पढ़ कर सुनाया, उसमें लिखा है, यह बात गलत है। भेड़ें मरी थीं, सब का पोस्टमॉर्टम हुआ था। यह किस हद तक सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक जगह की बात क्या, सारे केन्द्रों की बात हो गई ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने इन्क्लूडिंग जयपुर पूछा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस केस के बारे में कई दफा जिक्र कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जयपुर भी शामिल था। मैं पूछ रहा था....

श्री नाथूराम मिर्धा : उस केस के बारे में स्पेसिफिक शिकायत थी। उसकी जांच की जाकर यह पता लगा है कि कुछ भेड़ें उठा कर फरार की गई। उसमें एक्शन भी लिया है। उसके अलावा और कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर केन्द्र का उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि सब का पोस्टमॉर्टम कराया है, रिप्लेस नहीं किया गया। क्या जो जयपुर के बारे में उत्तर दिया वह सही नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस रेफरेन्स में जवाब दिया था वह दूसरा था। आपने जनरल पूछा है, उसके बारे में कहा गया है। स्पेसिफिक केस की बात कही, उसकी इन्क्वायरी कर ली गई। उसको आप एक्सेप्शन रहने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जनरल में एक पर्टीक्यूलर इन्स्टीट्यूशन सरकार के सामने है, फिर क्या यह कहना उचित होगा कि जनरल में खराबी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक बात को लेकर सब में खराबी हो गई, यह कहना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो आप कह रहे हैं कि जयपुर में रिप्लेस नहीं की गई सब का पोस्टमार्टम किया गया, यह रेकॉर्ड में आयेगा, जब कि पहले मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, मरी नहीं थी, रिप्लेसमेंट किया गया था। इससे यह मालूम होगा कि जयपुर केन्द्र में किसी भेड़ को मारा नहीं गया, रिप्लेसमेंट नहीं किया गया इन दोनों चीजों का फायदा, जिस ऑफिसर के खिलाफ आप पंजाब गवर्नमेंट से जांच करवा रहे हैं, वह उठा सकता है। इसलिए आप इसे करेक्ट कर लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा कहा उससे सारी स्थिति साफ हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : साफ नहीं हुई, दोनों कॉन्ट्रैडिक्टरी चीजें हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण हो गया है, मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया, उसको क्लेरीफाई कर दिया दूसरा स्टेटमेंट देकर।

श्री भैरोंसिंह : इस उत्तर में लिखा है कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यह इनकरेक्ट है उस उत्तर की लाइट में, जो पहले दिया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि इस केस के लिये आपने पहले कई दफा पूछा है और इस पर बहस की है और मैंने इन्क्वायरी कराने की बात पहले कही, वही हम करा भी चुके हैं और उसमें कुछ इसी प्रकार की बात है।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ३६१

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

अनुपस्थित कृपये आगे देखिये)

नेक्स्ट ।

जयपुर-देहली सड़क की सरकारी बसें

३६२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर से देहली रोड पर सरकारी बसें चलती हैं तथा उनके आय व व्यय में घाटा है ? अगर हां, तो कितना ? विस्तृत आय-व्यय की सूची देने का कष्ट करें ।

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां । उनके आय-व्यय में कोई घाटा नहीं है, जैसा कि नीचे लिखे आंकड़ो से प्रतीत होता है :-

आय	व्यय
१९५९-६०	
१,५९,३३१) ३७ न. पै.	१,१८,३५६) ६८ न. पै.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

जन सेवा आयोग द्वारा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग का चयन

३६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सहकारी विभाग में जन सेवा आयोग द्वारा सन् १९६० में कितने और किन किन का सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिये चयन हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इस चयन के अनुसार किन किन को और कब सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और किन किन को नहीं और क्यों ?

(ग) इन सहायक रजिस्ट्रारों में कौन कौन कब से किस किस पद पर इस विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) किसी का नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : (क) का उत्तर नहीं सुना ।

श्री अध्यक्ष : किसी का नहीं ।

नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला ।

सिटी बस सर्विस, जयपुर

३६४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) इस समय जयपुर शहर में कुल कितने रास्तों (Routes) पर सिटी बस सर्विस चालू है ? क्या यह शहर की जनता के लिये पर्याप्त है ?

(२) क्या यह सच है कि अजमेर रोड-जमना डेयरी के लिये सिटी बस सर्विस चालू हुई थी ? यदि हां, तो इस रास्ते पर कितने दिन बस चली, फिर यह बन्द क्यों हो गई ?

(३) क्या यह सच है कि चौपड़ से मिर्जा इस्माइल रोड होते हुए स्टेशन को भी कुछ दिन के लिये सिटी बस सर्विस चालू हुई थी ? यदि हां तो कितने दिन चल कर वह बन्द हो गई और क्यों ?

(४) क्या जनता की आवश्यकता को देखते हुए शहर के मार्गों पर शीघ्र ही सिटी बस सर्विस चालू करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(५) क्या सरकार सिटी बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या यह सच है कि वर्तमान सिटी बस के रूट परस्पर सम्बद्ध न होने के कारण जनता को दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या उन्हें एक दूसरे से सम्बद्ध करने का सरकार का विचार है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) निम्नलिखित मार्गों पर सिटी बसें चल रही हैं :-

(१) चौपड़ मानक चौक से जयपुर रेल्वे स्टेशन, वाया त्रिपोलिया, चांदपोल गेट, पोलोविक्टरी ।

(२) चौपड़ मानक चौक से जयपुर रेल्वे स्टेशन वाया किशनपोल—अजमेरी गेट, मिर्जा इस्माइल रोड ।

(३) चौपड़ मानक चौक से गांधीनगर वाया कोतवाली चौपड़, अजमेरी गेट, सवाई मानसिंह अस्पताल, लाल कोठी ।

(४) चौपड़ मानक चौक से डी. टी. एस. पॉवर हाउस वाया रेल्वे स्टेशन ।

(५) चौपड़ मानक चौक से सचिवालय ।

(६) गवर्नमेंट होस्टल से असेम्बली वाया सवाई मानसिंह हाइवे ।

(७) सांगानेरी गेट से आदर्श नगर, गांधीनगर ।

(८) चांदपोल गेट से झोटवाड़ा वाया टी. बी. सेनीटोरियम ।

(९) सांगानेरी गेट से फतहटीबा वाया मोती डूंगरी ।

(१०) सांगानेरी गेट से आदर्श नगर ।

शहर में किन स्थानों पर कितनी बसों की आवश्यकता है, इसका विचार करने हेतु एक कमेटी नियुक्त की जा चुकी है ।

(२) सेन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस को एक स्थायी पर्मिट तारीख २२-१२-५९ को

Page No.20

(श्री रामकिशोर व्यास)

ता० २१-१२-६२ तक का मानक चौक चौपड़ से सोडाला, जमुना डेयरी मार्ग पर दिया है। बस ऑपरेटर इस सर्विस को जमना डेयरी से भट्टापुरा तक चलाना चाहता था जो कि दूसरे रूट से ओवर लेप करता है, जिसकी इजाजत आर० टी० ओ० ने नहीं दी लिहाजा अजमेर रोड से सिर्फ जमना डेयरी तक ट्रैफिक न मिलने के कारण बस दो माह तक चलने के बाद बन्द हो गई।

(३) इस मार्ग पर सैंट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस को एक स्थायी पर्मिट तारीख ९–६–५८ से तारीख ८–६–६१ तक का दिया हुआ है। सिटी बस सर्विस चौपड़ से स्टेशन वाया मिर्जा इस्माइल रोड मार्ग पर चल रही थी, लेकिन गाड़ियों के खराब होने के कारण कुछ समय के लिये, उनकी मरम्मत होने तक, बन्द हो गई थी। अब फिर चालू हो गई है।

(४) जयपुर शहर के अन्य मार्गों का ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने पर गाड़ियां अन्य मार्गों पर चलाने का आर० टी० ए० द्वारा विचार किया जायेगा।

(५) सिटी बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है एवं इसके लिये एक कमेटी नियुक्ति की जा चुकी है।

(६) इस सम्बन्ध का न कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है और न कोई शिकायत ही की गई है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची बताई है उसमें ऐसी रूट की सूची भी दे दी है जो बसेज़ केवल समय समय पर चलती हैं; जैसे गवर्नमेंट होस्टल से असेम्बली भवन तक। यह जब अधिवेशन होता है तभी चलती है और रास्ते में किसी दूसरे पेसेन्जर को नहीं लेती है। इसी तरह से पॉवर हाउस का है।

क्या जो बस गवर्नमेंट होस्टल से असेम्बली भवन आती है वह हर आदमी के लिये ओपन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई बैठ सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माणक चौक से मिर्ज़ा इस्माईल रोड को कोई बस नहीं जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि आजकल चलती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं यह कहूँगी कि केवल खिलौना प्रदर्शनी हुई थी तब तक के लिये चली थी। यह केवल कागज़ों में ही चल रही है, वास्तव में नहीं चलती।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी सूचना है कि चलती है और अगर आप कहते हैं कि नहीं चलती तो मैं एन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति, ग्राम बूसी

३६५. श्री शंकरलाल (रायपुर) :

(श्री शंकरलाल)

क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बूसी, जिला पाली में श्री हनुमान एवं श्री रामदेव ने रैयत टीनेन्ट कृषि सहकारी समिति बनाने के लिये सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो कब तथा इन समितियां को रजिस्टर्र नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

(२) क्या यह सही है कि भूमि वितरण कमेटी की ओर से तहसीलदार, देसूरी ने इन समितियों को भूमि देने के लिये लिख कर भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, बूसी के सरपंच व पटवारी ने भी अपने प्रमाण-पत्र दिये हैं और वे रजिस्ट्रेशन कागजातों के साथ हैं ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां। गत अक्टूबर, सन् ६० में इन प्रस्तावित समितियों को आवश्यक जमीन मिलने का प्रमाण-पत्र तहसील से न मिलने के कारण रजिस्टर्ड नहीं किया गया और उनके कागजात वापिस कर दिये गये। जब इनको आवश्यक जमीन मिल जायेगी तब ही इनको रजिस्टर्र कर दिया जावेगा।

(२) जी नहीं।

(३) प्रस्तावित समितियों के कागजात अभी उन समितियों के ही पास हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें किस किस के प्रमाण-पत्रशा मिल हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

प्रोसिक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टरों के ग्रेड

३६६. **श्री लक्ष्मीचन्द**, (सांचोर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार ने प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टरों के ग्रेड रिवाइज कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक करने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर का ग्रेड ८०-५-१००-८-१४० ई. बी. १०-२०० से बढ़ा कर दि० १-२-६० से १००-५-१४५ ई. बी. १०-२२५ कर दिया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब से ?

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ा ही अर्सा हुआ है। १-२-६० से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना, जिला झालावाड़

३६७. **श्री रामचन्द्र** (डग सु०) : [श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी एवं झालावाड़ स्थानों पर इन्डस्ट्रियल

(श्री रामचन्द्र)

एस्टेट स्थापित करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है ?

(ग) क्या सरकार झालावाड़ जिले में लघु उद्योगों का सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विस्तृत रूप से सर्वे कब कराये जाने का विचार है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां। झालावाड़ जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का विचार है।

(ख) लगभग तीन लाख रुपया ।

(ग) जी हां, सर्वे सितम्बर तक किये जाने की आशा है।

श्री सम्पतराज जैन : क्या रूरल एरिया में भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का विचार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

नगरपालिका क्षेत्र, जालोर में धारा १४४

३६८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि दिनांक २८-१-६१ को जालोर म्युनिसिपल क्षेत्र में धारा १४४ लागू करने की सूचना आम जनता में तारीख २९-१-६१ की सुबह ८ बजे से पुलिस द्वारा प्रसारित की गई थी ? यदि हां, तो १२ घन्टे बाद प्रसारित करने के क्या कारण हैं और उसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं; किन्तु दिनांक २८-१-६१ के ७.१५ सायंकाल को ही धारा १४४ भारतीय दंड विधान संग्रह के आधीन जारी की गई। जारी की हुई आज्ञा की प्रति स्थानीय नगरपालिका के सूचना पट पर तथा शहर के मुख्य बाजार की भींत पर लगा दी गई थी एवं रात्रि के ८ बजे सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट एवं डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस ने स्वयं वीरमदेव चौक में इकट्ठी भीड़ को इसका एलान कर दिया था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या मीटिंग नहीं होने दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : धारा १४४ लगा दी गई थी।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं यह कहूँगा कि मीटिंग हुई।

एक माननीय सदस्य : क्या आप उस मीटिंग में थे ?

श्री लक्ष्मीचन्द : जी हां, मैं उस मीटिंग में शामिल था और मैंने वहां पर स्पीच दी थी।

एक माननीय सदस्य : आपने धारा १४४ को तोड़ा था ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं यह कहूँगा कि २८ को नहीं २९ को लैक्चर दिया गया।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

२८ को ऑर्डर नहीं हुआ। तारीख २८ लगाई है। ऑर्डर २९ को हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आपके लिये ठीक ही हुआ।

श्री लक्ष्मीचन्द : हुक्म की उदूली तो हुई।

श्री रामकिशोर व्यास : जब आप कहते हैं कि वह उस तारीख को नहीं हुआ तो फिर हुक्म की उदूली क्यों कर हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कर्मचारियों को मकान अलाउन्स

३६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान के किन किन शहरों में कर्मचारियों को मकान का अलाउन्स मिलता है ?

(२) बीकानेर व उदयपुर में रहने वाले कर्मचारियों को यह अलाउन्स अब तक क्यों नहीं दिया गया जबकि वहां मकानों की कमी है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जयपुर, जोधपुर, अजमेर, माउन्ट आबू और कोटा में स्थित कर्मचारियों को मकान भत्ता दिया जाता है।

(२) बीकानेर, उदयपुर में कर्मचारियों के लिये मकानों के किराये की स्थिति उतनी विषम नहीं प्रतीत हुई. अतः यहां के कर्मचारियों को मकान भत्ता नहीं दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह बताना चाहता हूँ मकानों की स्थिति के बारे में। जब वहां पर कोई डिपार्टमेंट खोलने के लिये प्रश्न आता है तो सरकार यह कहती है कि वहां पर मकानों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर मकान नहीं मिलते। एक तरफ तो सरकार यह कहती है और दूसरी तरफ यह कहती है कि वहां पर कर्मचारियों को मकान अलाउन्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां मकानों की स्थिति खराब नहीं है। मैं यह कहूँगा कि आप ने दरअसल वहां पर मकानों के किराये से पता लगाया ही नहीं कि वहां की स्थिति कैसी है। वाकई वहां पर मकान न मिलने की स्थिति है तो किराया ज्यादा होगा। जब कर्मचारियों को जोधपुर, जयपुर और अजमेर में मकान अलाउन्स मिलता है तो फिर बीकानेर को क्यों छोड़ दिया गया है ? उदयपुर को भी कैसे छोड़ दिया है ? यह तो मुख्य मन्त्रीजी का है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल सामने लाई जाती है तो दूसरी जगह के साथ झगड़ा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति सामने लाई जावेगी तो विचार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मकान भत्ता किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां खास शहरों में आबादी ज्यादा है और मकान मिलने की तकलीफ होती है और दूसरी चीजों

Page No.24

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

की मंहगाई है तो इन कारणों से उनको दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि चीजों को मंहगाई के कारण यह मकान अलाउन्स दिया जाता है जैसा आपने कहा कि चीजों की महंगाई के कारण उनको राहत देते हैं; तो क्या उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के प्राइस इन्डेक्स में कोई फर्क है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने तो यह कहा की मांग की जाती तो कोई विचार किया जाता। बीकानेर में दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह माना जावे कि चीजों की मंहगाई के कारण से यह भत्ता दिया जाता है, यह बात सही नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मूल बात तो मकानों की कमी की है।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले कहा कि चीजों की मंहगाई के कारण।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा कि मकानों की कमी मुख्य कारण है और उसके साथ साथ और भी कारण हैं।

श्री भैरोंसिंह : अन्य कारणों में यह भी एक कारण है कि चीजों की बढ़ती हुई मंहगाई, यह आपने कहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, मैंने बताया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह क्राइटेरिया जो बताया गया है वह ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी एक क्राइटेरिया हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मकान भत्ता देने के लिए चीजों की मंहगाई कोई क्राइटेरिया नहीं है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Minister has said that किराये की मंहगाई की वजह से यह बता दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किराये की मंहगाई के कारण यह भत्ता नहीं देते ?

श्री मुरलीधर व्यास : कोटा में पहले मकान भत्ता नहीं मिलता था। अब मिलने लगा है और अब क्यों वहां पर देरी से शुरू किया गया है ? वहां किया, तो दूसरों को क्यों छोड़ दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मकानों की कमी है और वहां पर विकास काफी हो रहा है। ८४ पर्सेन्ट आबादी बढ़ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि बहस बढ़ाने की इच्छा हो तो वह किसी तरह से बढ़ाई जा सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जयपुर में ही क्यों दिया जाता है, जब कि राजस्थान की और दूसरी जगहों पर नहीं दिया जाता है ? क्या स्पेशियलिटी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकारी मकानों की कमी है या मकान नहीं मिलते, इस कारण ? दूसरा यह है कि मकानों की कमी के बारे में असेसमेंन्ट कौन करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मकान इन जनरल से मतलब है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असेसमेंट कौन करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर जिले की आर. ए. सी. चौकियां

३५०. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में आर. ए. सी. की कितनी चौकियां हैं ?

(२) उसमें हर एक में कितने जवान हैं ?

(३) उनके लिए सवारी का क्या प्रबन्ध है ?

(४) रहने व पीने के पानी पर सरकार ने कितना खर्चा किया है ?

(५) उनकी चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुल १३ चौकियां हैं।

(२) हर चौकी पर एक पी. सी., ६ हैडकॉन्स्टिबल, ३१ कॉन्सटेबल व ३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त पांच चौकियां पर एक एक कम्पनी कमान्डर भी हैं।

(३) सवारी के लिए मोटर विहिकल्स तथा ऊंटों का समुचित प्रबन्ध है।

(४) आर. ए. सी. के जवानों ने श्रमदान से कच्ची झोंपड़ियां बना ली हैं। अतः रहने की व्यवस्था पर सरकार ने कुछ ही नहीं खर्च किया। पीने का पानी भी कुछ तो स्थानीय कुओं और कुंडों से प्राप्त हो जाता है तथा बाकी पानी ट्रकों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ट्रकों और कुंडों के लिये जिला बीकानेर में कुल १,६६६.४४ नये पैसे की धन-राशि व्यय की है।

(५) मामूली रोगों का इलाज आर. ए. सी. के कम्पाउन्डर्स द्वारा किया जाता है व अन्य प्रकार के रोगीयों अस्पताल व आर.-ए. सी. बटालियन हैडक्वार्टर पर स्थित एम. आई. एमस. पर चिकित्सा के लिए भेज दिये जाते हैं।

श्री रावतमल पारीक : क्या यह सही है कि गुड्डु, बच्चू, माणक, मटाड़िया; ये चार चौकियां हैं, उनमें से गुड्डु और बच्चू में दो-दो ऊंट हैं और माणक और मटाड़िया में १ ऊंट है? तो क्या इनके सिवाय वहां पर कोई जरूरत नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां जरूरत है उसके माफिक वहां पर रखे गये हैं और कमी बताते हैं तो उस पर सोचा जायगा।

श्री रावतमल पारीक : चौकियों का अर्ज किया है। और अर्ज करता हूं कि वहां

Page No.26

(श्री रावतमल पारीक)

के इन्तजाम को देखते हुए यह कह सकते हैं कि वे वहां की रक्षा करने में समर्थ हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रक्षा करने में समर्थ जरूर हैं। विहिकल्स के लिये उनको और पैसा देने वाले हैं।

श्री रावतमल पारीक : मैंने देखा है और जांच की है कि यह इन्तजाम काफी नहीं है और रक्षा करने में समर्थ हैं, यह उत्तर दिया गया यह गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : आइन्दा और करेंगे। रक्षा करने का सुझाव दिया है वह अच्छा है और करेंगे।

श्री रावतमल पारीक : क्या मैं पूछा सकता हूं कि हमारे मुकाबले में पाकिस्तान का क्या इन्तजाम है ?

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

आरक्षी अधीक्षक, झुन्झुनू के कार्यालय के चिकित्सा व्यय सम्बन्धी बिल्स

३७१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : Will the Home Minister be pleased to state:-

(1) How many bills of medical expenses incurred submitted by the employees of the Office of Superintendant of Police Jhunjuhu are pending in the said office for last about nine months for re-imbursement ?

(2) Why the payment has not been made so far ?

(3) Is it a fact that a bill submitted in May 1960 by a widow has also not been reimbursed ?

(4) Is the Government prepared to take action against the defaulting Officers ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) Only one such bill is pending for payment.

(2) The bill was received in May, 1960. It was sent to P. H. Q. for sanction of I. G. P. on 17-6-60 and since then the matter is under correspondence between S.P.office and the I. G. P. office.

(3) Yes, it is the same bill.

(4) Since none seems to be at fault question of taking action does not arise.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : What is the main difficulty in disposing of this particular bill ?

श्री रामकिशोर व्यास : The bill was not properly framed and monthly details were not given. It has been asked form the S. P. to supply all the details.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If the bill was not in proper form, why the S. P. didn't scrutinise the bill then and there ?

श्री रामकिशोर व्यास : That I can't say.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ा सा इसलिए भी कि विडो का मामला है । बिल नहीं तैयार कर सकती है । उसकी डेथ भी हो गई। रीएम्बर्समेंट का मामला है और एक हैड कॉन्सटेबल का मामला है। ऑफिसर का मामला होता तो शायद जल्दी भी हो जाती ।

श्री रामकिशोर व्यास : हम जल्दी कर रहे हैं, और ताकीद कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

उदयपुर जिले में मंत्रि-मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न

३७२. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर जिले में कैबिनेट के सामने मुख्य मुख्य क्या क्या प्रश्न आये और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मंत्रि-मंडल के निर्णय सदन के सामने उपस्थित करना पब्लिक इन्टरेस्ट में उचित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य किसी खास बात के लिए जानना चाहते हैं तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि कई निर्णय कॉन्फिडेन्शियल नेचर के होते हैं और कई प्रकार के डिसीज़न्स लिये जाते हैं और लिये गये हैं। In the public interest I can't place before the House all those decisions. कोई स्पेसिफिक बात जानना चाहें तो मैं बता सकूंगा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस प्रश्न में ही पूछा गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस बात के लिए पूछना चाहें तो वह मैं बता सकता हूँ । जो सारे निर्णय लिये गये हों उनको यहां रखा जाय, यह पोसिबल नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार की ओर से पब्लिक इन्टरेस्ट में जो निर्णय लिये हैं वे कलेक्टरों की जानकारी के लिए भेजे गये हैं और कलेक्टरों ने लोकल ऑथोरिटीज़ को भेजे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। पचासों निर्णय लिये जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर पर, उनको यहां रखना पोसिबल नहीं है । आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये कि किस मामले का क्या निर्णय लिया गया। I will definitely place it before the House. It is not possible for me to place all the decisions here.

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जो निर्णय लिये गये थे

(श्री भैरोंसिंह)

उनको सदन में रखना उचित नहीं है । वे ही निर्णय कलेक्टरों के पास पहुँचे हैं और कलेक्टरों के द्वारा पब्लिक ऑथोरिटीज़ के पास पहुँच गये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी निर्णय के लिए पूछ लीजिये; सड़कें, बांध और किन्हीं डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछ लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न की एडमिसिबिलिटी का जो प्रश्न है वह आपके हाथ में नहीं है । जब स्पीकर महोदय ने इसको एडमिट कर लिया है तो जो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन है वह सदन में रखे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री डूंगरराम, मुंशी, थाना पुलिस, डेगाना की घूंस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी

३७३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि डेगाना थाने का मुंशी डूंगरराम भैरूनाथ के रेगर से रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब ?

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) दिनांक २०–१०–५६ को ।

(ग) यह एक रंगे हाथों पकड़े जाने का अभियोग था । अनुसंधान अधिकारी को इस मामले का आरोप-पत्र मुल्जिमों के विरुद्ध न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

कार्यालय, उप संचालक, भेड़ तथा ऊन का बीकानेर से स्थानान्तरण

३७४. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मंत्री, पशु पालन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:–

(१) डिप्टी डाइरेक्टर, शीप व वूल का दफ्तर बीकानेर से किस कारण हटाया गया ?

(२) शीप तथा वूल अनुसंधान केन्द्र जो राजस्थान में खुलने वाला है उसे बीकानेर में खोलने का सरकार का क्या विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, पशुपालन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) उप संचालक, भेड़ व ऊन का कार्यालय बीकानेर से जयपुर इसलिए लाया गया कि भेड़ व ऊन की योजनाओं का कार्य, प्रशासन आदि सुचारु रूप से चले ।

(२) यह केन्द्रीय सरकार की योजना है; अतः राज्य सरकार से यह प्रश्न सम्बन्ध नहीं रखता ।

Page No.29

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि इस दफ्तर के उप-संचालक, श्री नारायणन् बीकानेर में रहना पसन्द नहीं करते इसलिये इसको हटाकर जयपुर लाया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं।

श्री रावतमल पारीक : मैं यह समझता हूँ कि बीकानेर से हटाने का कोई कारण नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कारण मैंने बता दिया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या भारत सरकार के आदेश से इसको हटाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इसके हटाने के कारण में आपने बताया है, भारत सरकार की स्कीम है उसके अन्तर्गत हटाया गया है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अनुसन्धान केन्द्र की स्कीम के बारे में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो अनुसन्धान स्कीम इससे अटेच्ड है वह क्या बीकानेर में यह दफ्तर रहने से चल नहीं सकती ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह कार्यालय पहले जयपुर में था, उसके बाद बीकानेर भेजा गया फिर अब बीकानेर से जयपुर लाया गया है, क्या उस समय सरकार के ध्यान में ये बातें नहीं थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ध्यान में थीं तब वहां ले गये; काम ठीक नहीं चला, वापिस ले आये।

श्री भीमसेन : काम ठीक नहीं चला यह बात नहीं, उप-संचालक महोदय वहां रहना नहीं चाहते इसलिये लाया गया है। क्या अब काम ठीक चलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले से ठीक चलता है।

दिनांक ८-३-६१ का स्थगित प्रश्न

नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर खरीदने हेतु दिया गया ऋण

२३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग से राजस्थान की कुछ नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर खरीदने के लिये ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन नगरपालिकाओं को कितना-कितना और कब कब दिया गया ?

(ख) क्या इन नगरपालिकाओं द्वारा ट्रेक्टर्स खरीद लिये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया इन ट्रेक्टरों का कुल डेस्क्रीप्शन मय कीमत के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या ट्रेक्टर्स कृषि विभाग के रहन रख दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह कार्यवाही

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

कब कब किसके द्वारा की गई और नहीं, तो क्यों ?

(घ) यह ऋण नगरपालिकाओं को दिया गया था जिनसे ट्रैक्टर खरीदा गया उनको दिया गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन ऋणों के देने में तथा ट्रैक्टर आदि की खरीद में विभाग द्वारा ट्रैक्टर के लिये ऋण दिये जाने सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां । तालिका (अ) संलग्न है

(ख) जी हां। अधिकतर नगरपालिकाओं ने ट्रैक्टर खरीद लिये हैं। तालिका (ब) संलग्न है।

(ग) जी नहीं। ट्रैक्टर सरकार को रहन किये जाते हैं। यह कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाती है। जो ट्रैक्टर रहन हो चुके हैं तथा जो नहीं हुए हैं उनकी सूची (ख) संलग्न है।

(घ) यह ऋण नगरपालिकाओं को ही दिया गया ।

(ङ) यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह ट्रैक्टर तकावी दिये जाने के जो नियम हैं, उसके अनुसार दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन नियमों के अनुसार ट्रैक्टर तकावी खरीदने वाले को न दी जाकर जहां से खरीदा जाता है उनको दी जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : जो खरीदते हैं उनको दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में यह प्रावधान है कि जो खरीदता है उसको जिस फर्म से खरीद चुके उनके बिल्स वगैरह पेश करने के बाद दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो तकावी रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इमीजियेटली ट्रैक्टर खरीदे उनके पास तो आधा पैसा रहे और जो जहां से ट्रैक्टर खरीदा जाता है उसी फर्म को आधा रुपया देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या रूल्स के अन्तर्गत सर्क्युलर है कि इन्डिविज्युअल्स के नाम हो जो ट्रैक्टर खरीदना चाहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो रूल्स के नीचे प्रावधान है, डिपार्टमेन्ट के इन्स्ट्रकशन्स हैं इस तरह से इन्डिविज्युअल खरीदे उसको रोकड़ नहीं दे करके जिस फर्म से खरीदता है उसको दिया जाय। लेकिन जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है वे तो इन्डिविज्युअल्स में नहीं आतीं, वे तो संस्थायें हैं, इस वजह से यह मान कर चलते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगी और जिस पर्पज के लिये उनको लोन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिया जायगा वह उसी पर्पज़ के लिये उसका यूज करेंगी ।

निर्विरोध चुनाव वाली पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें

२६१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान की समस्त पंचायतों में से कितनी पंचायतों तथा पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव निर्विरोध हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) जिला परिषदों में कितने कहां २ प्रमुख पद के लिए संघर्ष हुआ तथा कौन कामयाब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान की समस्त पंचायतों में से १६६२ ग्राम पंचायतों एवं ५७ पंचायत समितियों तथा २१ जिला परिषदों का चुनाव निर्विरोध हुआ (सूची "क") ।

(ख) जिला परिषद् बीकानेर, अलवर, जालौर व जयपुर में प्रमुख पद के लिए संघर्ष हुआ तथा श्री प्रेमसिंह, श्री रामजीलाल, श्री मालमसिंह एवं श्री नारायण चतुर्वेदी क्रमशः प्रमुख पद के लिए कामयाब हुए ।

जिला परिषद् सीकर का चुनाव १३-२-६१ को होने वाला था जो हाई कोर्ट द्वारा रोक दिया गया ।

अतः यहां अस्थायी प्रमुख का चुनाव निर्विरोध २८-२-६१ को हुआ । श्री कुरडाराम चुने गए ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : बांसवाड़ा में केवल एक ही निर्विरोध चुनाव हुआ ऐसी बात नहीं, दो और का निर्विरोध चुनाव हुआ है उनको क्यों नहीं दिखलाया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी में तो नहीं, आप बता दें कर दिया जायगा ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : जिनका निर्विरोध चुनाव हुआ उनको क्या अनुदान दिया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो अनुदान रखा है पंचायतों को दिया जायगा ।

सरकारी कर्मचारियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति

३४८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने की प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में आज्ञा प्रदान नहीं करती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सचिवालय व दूसरे कई विभागों में कुछ कर्मचारियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान की गई है तथा कुछ विभागों में कर्मचारियों को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

परीक्षा में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्रदान नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) शिक्षा विभाग के अध्यापकों अथवा पुस्तकाध्यक्षों Librarians एवं शिल्पविषयक Technical विभागों के अधिकारियों को प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में परीक्षाओं में बैठने की आम सुविधा प्राप्त है; किन्तु अन्य विभागों के राज्य कर्मचारियों को ऐसी इजाजत उनके पूरे सत्र का अवकाश लेने पर ही दी जाती है ।

(ख) सचिवालय के कर्मचारियों की इस विषय की प्रार्थनाएं इन्हीं नियमों के अन्तर्गत तय की गई हैं । अन्य विभागों द्वारा भी ऐसा ही किया जाने की आशा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्मिशन किन कन्डीशन में दी जाय यह क्या हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के डिस्क्रीशन पर आधारित है या इसके लिये प्रोसीजर ले डाउन कर रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बारे में नियम बने हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार ने कोई आज्ञा भी जारी की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज्ञा है Govt. Order F. 2. dated 15th July, 1954. Subsequent amending Orders dated the 12th July, 1955, 13th February, 1956, and 13th May, 1957 and Appointment Order dated the 11th October, 1958.

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) : क्या परिगणित जाति के कर्मचारियों को छूट दी गई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय बता चुके हैं, रूल्स हैं उसके अन्दर आप देख सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह आपकी जानकारी में है कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की इजाजत प्राप्त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका उत्तर मैं दे चुका ।

पंचायत समिति लूणकरणसर के विकास कार्यों हेतु प्रदत्त सरकारी धन-राशि

३६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत समिति लूणकरणसर को सन् १९५९-६० व ६०-६१ में स्थानीय विकास कार्यों के हेतु कितनी धनराशि दी गई तथा जिले की अन्य पंचायत समितियों को कितनी कितनी ?

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय विकास कार्यों के लिये नॉन ब्लॉक एरिया को प्राथमिकता मिलती है? अगर हां, तो लूणकरणसर को नॉन ब्लॉक एरिया होते हुए भी ब्लॉक एरिया के मुकाबले में कम धन-राशि क्यों दी गई जब कि वहां पर अधूरे तथा नये स्थानीय विकास कार्यों के लिये मांग सबसे अधिक थी ?

(श्री भीमसेन)

(ग) क्या यह सही है कि चालू वर्ष के लिये पंचायत, लूणकरणसर तथा जिला परिषद्, बीकानेर ने उक्त क्षेत्र के अधूरे तथा नये स्थानीय विकास कार्यों के लिये धन–राशि की मांग की है ? अगर हां, तो उक्त पंचायत समिति को उक्त कार्यों के लिये धनराशि अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) पंचायत समिति, लूणकरणसर को सन् १९५९–६० व ६०–६१ में २,५००) रुपये व १७,९६८) रुपये की धनराशि दी गई। जिले की अन्य पंचायत समितियों को स्थानीय विकास कार्य के अन्तर्गत निम्न धनराशि दी गई :—

नाम पंचायत	१९५९–६०	१९६०–६१
बीकानेर	२,५००) रु०	२४,२३२) रु०
नोखा	६,०००) रु०	—
कोलायत	१३,५००) रु०	—

(ख) प्राथमिकता नान ब्लॉक एरिया को दी जाती थी; किन्तु ब्लॉक एरिया में भी जहां आवश्यकता होती थी वहां भी कार्य विशेष तौर पर स्वीकृत किये जाते थे। २ अक्टूबर, १९५९ से यह कार्य जिला पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर दिया गया।

१९५९–६० में जो कार्य जिला विकास समिति द्वारा स्वीकृत किये गये और उनके लिये जितनी रकम स्वीकृत की गई थी वह ही रकम कलेक्टर की सिफारिश पर सम्बन्धित पंचायत समिति को दे दी गई।

१९६०–६१ में आयोजना आयोग ने निम्न प्राथमिकता निर्धारित की :—

(१) ७ पिछड़े क्षेत्र,

(२) वे क्षेत्र जो सामुदायिक विकास प्रोग्राम क्षेत्र में न हों,

(३) प्री एक्सटेन्शन ब्लॉक,

(४) वे खन्ड जिनकी सामुदायिक विकास योजना की पहली या दूसरी श्रेणी पूर्ण हो गई हो।

इस वर्ष के लिये जो धन–राशि उपलब्ध की थी उसका ४० प्रतिशत तो पीने के पानी के कार्य के लिये, २० प्रतिशत ग्रामीण सड़कों तथा, ४० प्रतिशत ग्रामीण स्कूलों के लिये देने का निर्णय किया गया। पीने के पानी के कार्यों को पुनः दो भागों में बांटा गया:—

(१) रेगिस्तानी क्षेत्र और अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्र।

(२) पहाड़ी क्षेत्र। इस कार्य के लिये निर्धारित रकम में से ४० प्रतिशत रेगिस्तानी क्षेत्र और ६० प्रतिशत अन्य क्षेत्र के लिये निर्धारित किया गया।

ग्रामीण स्कूल के लिये जो धन उपलब्ध था उसका पंचायत समितियों में वितरण जिले में जितने प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है उसके आधार पर किया गया। ग्रामीण सड़कों के लिये उपलब्ध धन का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया गया।

१९६०–६१ में ब्लॉक एरिया में कोई धन नहीं दिया गया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लूणकरणसर पंचायत समिति से अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये मांग आई थी । अधूरे कामों को पूरा करने के लिये जितना रुपया चाहिये उसकी मांग करने पर आयोजना आयोग से रकम मिलती । किन्तु अधिकतर जिलों की मांग न आने से आयोजना आयोग को विस्तृत कार्यवार सूची भेज कर रुपया नहीं मंगाया जा सका, जिसके कारण लूणकरणसर पंचायत समिति को भी अधूरे कार्यों के लिये कोई रुपया नहीं दिया गया ।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर से जब मांग आई थी तो उस बारे में सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारे डिस्ट्रिक्टस से इस प्रकार की लिस्टें मांगी थीं लेकिन कई जगहों से मांग नहीं आई थी, इसलिये प्लानिंग कमीशन को डिमान्ड भेज नहीं सके ।

श्री भीमसेन : जिन जगहों से मांग आई उन जगहों के लिये तो व्यवस्था कर देते ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक तहसील को भेज देते, बाकी तहसीलों की बाकी रह जाती है तो यह ठीक नहीं रहता ।

श्री भीमसेन : क्या जिन जगहों की मांग आई है उनके लिये प्रावधान करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रावधान तो फाइनेन्स मिनिस्टर बजट देख कर ही करते हैं । कोशिश यह जरूर करेंगे कि अधूरे काम पूरे हों ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

राजस्थान भूमि उपज विपणि विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भूमि उपज विपणि विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को को ३१ मार्च तक और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या यह सदन की अनुमति है कि समय ३१ मार्च तक बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया ।

मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३९—वैज्ञानिक विभाग

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३९—वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,८९,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री दलीपसिंह:

(१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (Associated Stone Industries Ltd. रामगंज मंडी को दिये गये ठेके पर वाद-विवाद हेतु)

(२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (विभागीय अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में १००) रुपये की कटौती की जाय (विभाग की अव्यवस्था पर विचार करने के लिए)

डॉ० चन्द्रकला :

(७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (अजायब–घरों के विस्तार व विकास पर बहस करने के लिये)

(८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशन पर बहस करने के लिये)

(९) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (खनिज सर्वेक्षण पर बहस करने के लिये)

श्री तनसिंह

(10) Demand No. XIV, Major Head 36-Scientific departments be reduced by Re. 1/- (To discuss the necessity of a quarterly magazine to be published by the department for facilitating research).

(11) Demand No. XIV, major Head 36-Scientific departments be reduced by Re. 1/ (To discuss the failure of Archaeological department to protect historical monuments in Barmer Distt. viz. Keradu, Juna and Fort of Kotra).

श्री सूबेदारसिंह :

(१२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (धौलपुर में भवन निर्माण पत्थर के अभाव पर बहस करने के लिये)

श्री चन्दनमल वैद :

(13) Demand No. XIV, major Head 36-Scientific departments be reduced by Re. 1/- (To discuss the affairs of Palana Colliery).

श्री हीरा भाई:

(१४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (मैंगनीज़ की खानों के ठेके देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी:

(१५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती

Page No.36

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

की जाय (अजायबघरों की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)

(१६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (पुरातत्व विभाग के केन्द्रीयकरण पर बहस करने हेतु)

(१७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (खानों का एकाधिकार देने पर बहस करने के लिए)

श्री मोगजी भाई :

(२०) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (पत्थर की खानों के ठेके दिये जाने पर बहस करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :

(21) Demand No. XIV, Major Head 36-Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to arrange for prospecting for Petrolium in the State).

श्री सम्पतराज जैन

(२३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (मोडी, डि० झालावाड़ में लोहे की खानों के सर्वेक्षण पर बहस करने हेतु)

श्री सम्पतराज जैन

(२५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में सीमेंट बनाने के पत्थर के सर्वे पर बहस करने हेतु)

(२६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में तांबे की खानों की सर्वे पर बहस करने हेतु)

(३८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६– वैज्ञानिक विभाग में एक रुपया की कटौती की जाय (पत्थर की खानों के ऑक्शन के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

श्री पन्नालाल हरित :

(२४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (विभाग द्वारा कोटा जिला की पुरानी एवं ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण न करने पर बहस करने हेतु)

श्री मोतीलाल:

(27) That demand No. XIV, Major Head 36-Scientific Departments be reduced by Re. 1/-(to discuss the affairs of Marble Industry at Makrana).

(28) That demand No. XIV, Major Head 36-Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (to discuss the affairs of Gypsum Industry at Bhadwasi and Goth Manglod in District Nagaur).

(श्री मोतीलाल)

(29) That demand No. XIV, Major Head 36-Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Archaeological department to protect the historical monuments in Nagaur Distt.).

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) :

(३३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (प्रोस्पेक्टिंग के समय माल सरकार द्वारा अधिकार में न लेने पर विचार करने हेतु)

(३४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग द्वारा लीज़ दिये जाने में की गई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

(३५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग में प्रशासकीय अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(३६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६– वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान के खनिज पदार्थों के अनधिकृत रूप से ले जाये जाने पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही न करने पर बहस करने हेतु)

श्री भीमसेन :

(३७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान का मिनरल सर्वे एण्ड-जियोलॉजिकल सर्वे कराने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)]

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य मन्त्री महोदय ने मांग पेश की है इसमें मेरा एक रुपये का कटौती प्रस्ताव है जो कि एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, रामगंज मंडी को आगे टेका दिया गया है वह बहुत नावाजिब है और दूसरा इस पर कटौती प्रस्ताव यह है कि इस डिपार्टमेंट में विभागीय अव्यवस्था बहुत है, उस पर बहस करने के निमित्त । आप इजाजत दें तो दोनों को साथ लेकर अपना बयान शुरू कर दूं ।

मेरे पड़ौसी माननीय सदस्य की यह ख्वाहिश है कि मैं अपना बयान किसी शेर के साथ शुरू करूं, तो मैं अर्ज कर देता हूं :

"उमर गुजरी है तिनके चुनते चुनते
बागवां मेरी ।
बनाया आशियां जिस जगह, वहीं ,सय्याद
आ पहुँचा ।।"

इसका मतलब यह है कि कोई पंछी अपनी बात बताता है कि मेरी उम्र अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करते करते गुजर गई और जहां कहीं मैंने अपना घोंसला बनाया वहीं शिकारी आ पहुँचा । क्योंकि इसमें कुछ पर्शियन भाषा के शब्द हैं और इसलिए मेरे साथी न समझ सके हों, तो मैंने इसका अर्थ कर दिया है ।

(श्री दलीपसिंह)

अर्ज करना यह है कि यह कम्पनी १६४४ में तमाम दूसरे ठेकेदारों का धन्धा खत्म करते हुए उस वक्त के कोटे के दीवान श्री कुंजबिहारीलाल, आई. सी. एस., जो कि उस वक्त अलवर-फेम के आदमी कहलाते थे, वे अलवर भी रह चुके थे, उनका वहां नाम मशहूर था, ने बगैर किसी को सुने सुनाये और पूछे, दूसरों की कई लाख रुपयों की अधिक ऑफर होते हुए भी इस एक पार्टी को धन्धा दे दिया था। तो तब वह कम्पनी बनी और जैसा कि उन दीवान साहब की तारीफ थी वे डब्लयु के चक्कर में आ गये और यह सारा खेल किया। उस वक्त से ही मैंने आगे रह कर इसका विरोध करना शुरू किया और आगे सन् ४६ में जब ऑल इण्डिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेन्स की राजपूताना रीजनल कमेटी की बैठक कोटे में हुई तो वहां जो माननीय नेतागण पधारे उनके रूबरू मैंने यह केस रखा कि इस तरह की नाइन्साफी यहां के दीवान ने दरबार की कमजोरी का नावाजिब फायदा उठाते हुए की है। उन्होंने वहां की जिला कांग्रेस कमेटी को मामला जांच के लिये सुपुर्द किया और जिले ने तहसील रामगंज मंडी के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इतने में फोर्मर राजस्थान सरकार बन गई और इस विभाग के मिनिस्टर माननीय सुखाड़िया साहब ही थे। हमने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर यह केस उनके समक्ष रखा और उन्होंने बड़ी हमदर्दी से इस केस को सुना और एक ऊंचे लैवल का सरकारी कमीशन जिसमें डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़, डाइरेक्टर ऑफ माइन्स और जिऑलॉजी और कमिश्नर कोटा थे, बैठाया। उस कमीशन ने अपनी जांच शुरु कर दी। इस जांच के दौरान ही ग्रेटर राजस्थान बनने के ऑर्डर निकल गये तो माननीय सुखाड़िया साहब ने उस कमीशन से रिपोर्ट मांगी कि आप लोग अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दीजिये। अगर आप फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकते तो इन्टेरिम रिपोर्ट ही दे दें। इन्टेरिम रिपोर्ट दे दी उन्होंने, जो बाद में ग्रेटर राजस्थान सरकार के सामने पेश हुई और इसके नतीजे के तौर पर इस कम्पनी की लीज़ सन् ५२ में समाप्त कर दी गई और जो लोकल ऑथोरिटीज़ थीं उस डिपार्टमेन्ट की उनको ऑर्डर्स जारी कर दिये गये कि वे पहली अक्टूबर ५२ से इस कम्पनी का चार्ज ले लें। इस बीच में कायदे का कुछ नोटिस देना पड़ता है, कुछ महीने का, वह दिया गया था तो उन्होंने सितम्बर के महीने में सैशन जज, कोटा में एक अपनी दरख्वास्त पेश की कि चूंकि यह हमारी ग्रान्ट कोटा दरबार की दी हुई है इसलिये राजस्थान सरकार को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिये स्टे ऑर्डर दिया जावे। अदालत ने उनको स्टे ऑर्डर इन्टेरिम दे दिया और सरकार को कोर्ट ने नोटिस दिया कि हमने इस तरह का इन्टेरिम स्टे ऑर्डर लगाया है, आपको कोई ऐतराज हो तो पेश कीजिये, वर्ना इसको कन्फर्म कर दिया जावेगा। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से एक वहां का लोकल वकील और एक श्री चिरन्जीलाल अग्रवाल को काफी अच्छे मेहनताने पर, ६६०) रुपया रोजाना पर, मुकर्रर किया और केस चालू हुआ। केस चलते चलते सात, आठ साल निकल गये और वह एक स्टे ऑर्डर जो था वह इतने बड़े वकीलों और हमारी इतनी बड़ी

(श्री दलीपसिंह)

सरकार तक से कैंसिल नहीं हो सका। एक ही अदालत में वह केस आठ साल तक पड़ा रहा और इस बीच में जो उनकी लीज़ थी १६५६ की ३० सितम्बर को समाप्त हो गई।

तो जब यह लीज़ समाप्त हो गई ऑटोमेटिकली, उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि गवर्नमेन्ट का कुछ इरादा इसी पार्टी को आगे लीज़ देने का है। यह बहुत बुरी बात थी। जिस एक लीज़ को सरकार ने उन लोगों की कई गलतियों की वजह से कई एलीगेशन लगा कर कि उस पार्टी ने अपनी पहले की शर्तों को तोड़ा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेन्ट किया है और इस आधार पर कैंसिल किया था और जब कब्जा लेने गये तो कब्जा नहीं दिया, आठ साल तक मुकदमा लड़ती रही। पर जब कुदरती तौर पर समाप्त होती है लीज़, तो सरकार आगे रिन्यू करने को तैयार हो जाती है। तो यह एक बड़ी अजीब पोज़ीशन सरकार अख्तियार करने जा रही थी। तो इस पर मैंने अपने क्षेत्र के एक एम० एल० ए० साहब से जाकर जिक्र किया। हमने तय किया कि मैं ड्राफ्ट तैयार करूं और फिर सब मिल कर रिप्रेजेन्टेशन करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर साहब को। मैंने रिप्रेजेन्टेशन तैयार किया उस पर १८ एम० एल० एल० ने दस्तखत किये। रिप्रेजेन्टेशन में कहा गया कि यह कम्पनी हमेशा डिफॉल्टर रही है। सरकार के इन्कम टैक्स का कोई तीस—चालीस लाख रुपया इस पर बाकी है; जिसके लिये वह दे नहीं रही है और हाई कोर्ट से उसके खिलाफ डिक्री भी हो चुकी है। इसके अलावा कई लाख रुपये गवर्नमेंट के दबाये बैठी है और डिफॉल्टर है, डिस्क्वालिफाई पहले हो चुकी; इसलिए ऐसी कम्पनी को आगे लीज़ नहीं देना चाहिए और इसको ठेका नहीं बढ़ाना चाहिए और इस धन्धे को आगे बाकायदा ऑक्शन करके एडवर्टाइज़ करके आम ठेकेदारों को दिया जाना चाहिये और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उसके लिए प्रिफरेन्स दिया जाये ताकि कोऑपरेटिव लाइन पर इस धन्धे को किया जा सके और यह बात भी सही थी, क्योंकि अगर एक को ही दिया जाता है जैसा कि दिया गया है तो बहुत थोड़ी आमदनी होती है और अगर अलग अलग लोगों को दिया जाता है तो इसके मुकाबिले में काफी उनको आमदनी हो सकती है। खैर, वह जो चिट्ठी थी वह अपने महाराज झालावाड़ ने फॉर्वड को और एक पर्सनल लैटर उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि इस तरह से इन लोगों का कहना है और आप इसकी जांच करा लें और फिर आगे कदम उठायें, लेकिन उस पर ऐसा विचार हुआ जैसा मैंने शेर अर्ज किया है कि जहां आशियाना बनाया वहीं पै सय्याद आ पहुंचा। कुछ बदकिस्मती ऐसी रही कि शुरू में ही जो हमारे वकील थे वे तीन-चार साल तक तो हमारा केस लड़ते रहे सरकार के सामने और कमीशन के सामने लेकिन वही वकील साहब इस कम्पनी में मुलाजिम हो गए और कम्पनी के वकील बन गए जिनको आज सरकार ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर बना दिया है। वे इस बात के लिये मशहूर हैं कि दोनों पार्टियों से मिल जाते हैं और इस तरह से प्रोफेशन मिस-कन्डक्ट की परवाह नहीं करते हैं। चूंकि वे ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर थे इस वजह से उनके रसूक से यह सारी कार्यवाही हुई और हमारे डिप्टी मिनिस्टर जो आज इन्डस्ट्री

(श्री दलीपसिंह)

मिनिस्टर भी हैं, ये पहले डिप्टी मिनिस्टर थे, कुछ इनके भी मिलने-जुलने वालों की वजह से यह कार्यवाही हुई। जिसके लिए गत बजट सेशन में श्री श्रीभानसिंहजी ने भी ऐतराज किया था कि यह बहुत गलत कार्यवाही की है कि उनको आगे लीज़ दी है। उसको पहले तो १५ साल के लिए थी और अब ३० साल के लिए दी है। १० साल के लिए तो पहली स्टेज पर दे दी है और आगे इस तरह की रियायत रख दी है कि वह दो लीज़ अपनी ऑप्शन से आगे ले सकता है यानी दस-दस साल की दो लीज़ और ले सकेगा। इसका मतलब यह है कि ३० साल तक कई पीढ़ियों के लिए इस सारे धन्धे के ऊपर उसको कब्जा दे दिया है। दो तहसीलों की मोनोपोली थी। अब उसके जवाब में माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि यह गलत है, हमने मोनोपोली नहीं दी, हमने तो केवल उनको थोड़ा सा ठेका दिया है ७ मील का और पहले ३०० मील का था और अब २६३ मील पब्लिक के लिए रिज़र्व करा दिया है और उनको केवल ७ मील का ठेका दिया है। यह भी गलतफहमी थी और उस पर कहा यह गया था कि चीफ मिनिस्टर साहब को मुगालता देकर नीचे के कर्मचारियों ने, डिप्टी मिनिस्टर ने या डाइरेक्टर ने यह कराया। उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह फरमाया कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही यह काम किया है और सोच समझ कर किया है। चीफ मिनिस्टर साहब की मैंने स्पीच सुनी और नोट की और उस पर आपको चिट्ठी लिखी और उसके मुतल्लिक बहुत सी बातें बयान कीं। मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि आपने जो बयान दिया है वह गलत है और उससे सदन में भ्रम पैदा होता है, मेहरबानी करके इसको पार्टी में ले लो ताकि इसका स्पष्टीकरण किया जाये। उसके जवाब में आपने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप यह बता दें कि मैंने क्या गलतफहमी पैदा की है। उसके जवाब में मैंने आपको पांच-सात पेज की टाइप की हुई चिट्ठी जिसमें एक एक आइटम को स्पष्ट करके देते हुए रजिस्ट्री कराके आपके पास भेजी। पर उसका कोई असर नहीं हुआ और जब केबिनेट की बैठक पिछले बजट के सेशन के बाद झालावाड़ में रखी गई थी २१ अप्रेल को तो मैं वहां पहुँचा और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज किया कि जिस समय आप कोटा पधारो तो मुझे भी साथ लें। रास्ते में मैंने आपको बताया कि शायद इसमें आपको गलतफहमी हुई है। चित्तौड़ व निम्बाहेड़ा की तरह से यहां स्केटर्ड पत्थर नहीं हैं। यहां का सा पत्थर दूसरी जगह नहीं मिलता है और यह पत्थर इसी लाइन में आता है। मैंने उस समय आप से अर्ज किया कि जहां भी चाहें गाड़ी खड़ी करके १० मील तक इस सड़क के पैरेलल में जायेंगे तो कहीं भी आप पता कर सकते हैं कि इन दोनों तहसीलों में ही ऐसा पत्थर है; तो आपको जो कुछ मुगालता हुआ है वह साफ हो जायेगा। दूसरे दिन कोटा में केबिनेट मीटिंग थी और मैंने इस सवाल को केबिनेट में रखा तो उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि यह मामला कॉम्प्लीकेटेड हो गया है और इस मामले पर मैं और आप दोनों ही बैठ कर डिस्कस करके इसका रास्ता निकाल लेंगे। उस समय भी मैंने अर्ज किया था कि मेरा और आपका मिलना मुश्किल हो होता है

(श्री दलीपसिंह)

क्योंकि जिस समय हम लोग असेम्बली में सेशन में आते हैं तो आप बिज़ी बहुत रहते हैं और दूसरे दिनों आप अक्सर बाहर रहते हैं। तो इस तरह से मिलना कैसे होगा ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप कहोगे मिल लेंगे। उसके बाद मैंने आपको मिलने के लिए तार दिया, तीन–चार बार टेलीफोन किया तो मिलने का मौका नहीं मिला। मैंने आपको तार दिया तो उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में मैंने एक चिट्ठी आपको रजिस्ट्री कराके लिखी और उसमें लिखा कि आपने मुझे मिलने का मौका नहीं दिया, मैं अब क्या करूं ? तो आपने फिर मुझे लिखा कि अक्टूबर के महीने में, जो अभी निकला है उसकी ४ तारीख को मिल लें। मुझे ३ अक्टूबर को आपके सेक्रेटरी का तार मिल जाता है कि आप मत आना क्योंकि ४ तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब बाहर रहेंगे। तो मतलब यह है कि यह मामला इसी तरह से लटक रहा है। अब मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्या करेगी, लेकिन जो कुछ हुआ है यह अनर्थ हुआ है। आप कभी मामूली ठेका भी देते हैं तो आप इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहते हैं और गवर्नमेंट किसी तरह का मुतालबा क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट का चाहती है लेकिन यह कम्पनी के ऊपर लाखों रुपये के केस चल रहे हैं आपके सामने। आपने हाईकोर्ट से डिक्री कराई है २५–३० लाख रुपये के इनकम टैक्स की वह उन्होंने अदा नहीं की। उसके बाद में आपके पी० डी० आर० के केस कई लाख रुपयों के चल रहे हैं और कई लाख रुपये के पेन्डिंग हैं और आप देख रहे हैं कि देखें वह केस कैसे तय होते हैं और इन केसेज़ को कैसे आगे चलाया जाये और इसके अलावा ७ साल तक कब्जा नहीं देना और आपके ऑर्डर्स की तामील नहीं करना; इस सब के बावजूद भी आप उनको फिर आगे ३० साल का लीज़ देते हैं। यह आपकी गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी है ?

मैं इस सिलसिले में आपसे, अध्यक्ष महोदय, अर्ज कर दूं कि १६ एम. एल. एज़. द्वारा जब आपके सामने रिप्रेजेन्टेशन दिया गया और आपने जवाब नहीं दिया तो मैं अक्टूबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर से मिला और उनके सामने केस रखा कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और केन्द्रीय खनिज मंत्री महोदय हैं मालवीयाजी उनसे भी मिला। उन्होंने भी यहां लिखा और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी लिखा। उनका भी कोई असर नहीं हुआ। मैं इसलिये कहता हूँ कि वही हुआ जो कुछ उन्हें करना था या करने जा रहे थे। जो सुन रहे थे वही गवर्नमेंट ने कर ही दिया और ऐसा मजबूत किया कि पहले हम कह रहे थे कि दरबार के जमाने में सामन्तशाही ने जो चाहा वह किया, लेकिन इन्होंने अपने नाम के मुताबिक ही किया क्योंकि २२ रियासतों की सामन्तशाही इकट्ठा हो गई थी, इसलिये उन्होंने इतना बड़ा काम करना ही था अपनी पोजीशन के माफिक क्योंकि ये राजाओं के भी महाराजा हैं। कोई जवाब तक नहीं दिया। हम जो कुछ कर सकते थे करते रहे। सुचेता कृपलानी ने भी लिखा, फिरोज गांधी से भी हम मिले। उन्होंने भी लिखा होगा। सबने हमारे साथ हमदर्दी दिखाई इसलिये जरूर लिखा होगा

(श्री दलीपसिंह)

क्योंकि नहीं लिखते तो हमारा रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं लेते और हमदर्दी दिखाकर बात नहीं करते ।

तो अर्ज करना यह है कि सरकार ने जो धांधली की है वह बहुत बेजा है और मैं चाहता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बैठे, पी. ए. सी. या और कोई। यदि वह कमेटी जांच करे तो कम से कम मुझे सुनने का मौका दे। वे उधर तशरीफ लावें। मैं उनको वहां के लोगों की हालत बतलाऊंगा, जो कुछ किया है उसे मौके पर दिखाऊंगा। जो एग्रीमेंट है उसे देखें, असलियत की जांच करें, देखें कि क्या क्या अनर्थ हुआ है? यह बड़ा भारी भ्रष्टाचार सरकार द्वारा किया गया है। मैं तो कहता हूँ कि इससे बढ़कर इल्जाम और कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहां यह होता है कि एम. एल. एज़ की परवाह नहीं की, केन्द्रीय सरकार की परवाह नहीं की और ऐसी मन-मानी कार्यवाही की है। किसी स्वार्थ से की है, बगैर स्वार्थ के तो कोई ऐसी कार्यवाही करेगा नहीं; हाउस जान सकता है कि क्या स्वार्थ था कि इतनी बड़ी सहूलियतें दे दीं। यह भी सुनने में आया है कि चेयरमेन ने डाइरेक्टर्स के सामने यह कहा है कि हमको ५० लाख रुपयों का लोन मिल रहा है केन्द्रीय सरकार से या राजस्थान सरकार देगी या उसकी मार्फत केन्द्रीय सरकार से दिला रहे हैं और ५० लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने अपना पाया मजबूत बना लिया है और पीढ़ियों तक का काम हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे की जो मांग है उसमें मैं मेरा कटौती प्रस्ताव रख रहा हूँ, मेरे कटौती को मंजूर किया जाय और मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ किया है सत्ता के जोम में कर दिया है। लेकिन यह सत्ता हमेशा कायम नहीं रहेगी, न रहने ही वाली है। एक शायर कहता है :

"डूबते सूरज को वक्ते शाम देख,
सत्तावाले सत्ता का अंजाम देख।"

शाम को सूरज किस तरह से छिप जाता है तब उसका तेज, तासीर, गर्मी सभी खत्म हो जाते हैं। इस सदन को मालूम है कि २ सरकारें हमारे सामने डेमोक्रेसी के बाद खत्म हो चुकी हैं। आप इसके लिये भी कब्र मत खोदिये। आप इस सरकार के किये कब्र खोद रहे हैं। ऐसे काम के लिये, पार्टी के लिये भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कर रहे हैं। पैसे से कार्यकर्ताओं को या साथवालों को खुश कर देते हैं। जैसे टुकड़ा डालते हैं उस तरह से बिखेर देते हैं। लेकिन यह पार्टी के लिये भी बुरा है। मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक पर बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है और जिस संस्था को लिये बैठे हो, जिस संस्था पर ऐशो–आराम किया है, सत्ता लिये बैठे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो और सरकार को कब्र खोद रहे हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की ओर से वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट कल माननीय सदस्यों को देखने को मिली थी। उसको देखने के बाद ऐसा पता लगता है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद इस विभाग

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को प्रगति करनी चाहिये थी। जो योजनाएं रखी गई थीं उनको पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। खनिजों का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये था वह नहीं बढ़ा। जितने रुपये मिलने चाहिये थे, स्वीकृत हुए थे उनका उपयोग नहीं कर सके और इसके अलावा विभाग का खर्चा किस प्रकार से अनावश्यक ढंग से बढ़ रहा है यह देखने की बात है। खर्चा बढ़ता जा रहा है और उपज नहीं बढ़ रही है। जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें २० प्रकार के मिनरल्स की सूची दी है। उसको देखने से पता लगता है कि १४ मिनरल्स इस प्रकार के हैं जिनका प्रोडक्शन घटा है। सन् ५८ और ५६ के दो साल के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। उनकी तुलना करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ५८ और ५६ में माइका और सोप स्टोन को छोड़ दें, और चार और छोटे मिनरल्स हैं उनके अलावा सबका प्रोडक्शन घटा है। सन् ६० के आंकड़े उसमें प्रस्तुत नहीं किये हैं। लेकिन दो वर्षों के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि इस विभाग के अन्दर और जो विभाग बनाया था उसके अंतर्गत प्रोडक्शन घटा है। हालांकि तांबे की खान यहां निकल गई है और उसका प्रोडक्शन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है इसलिये उसका श्रेय राजस्थान सरकार को नहीं दे सकते। राजस्थान में यह काम हो रहा है यह बात दूसरी है लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां राजस्थान सरकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां २० मिनरल्स इस प्रकार के थे जिनमें से १४ का प्रोडक्शन घटा है। यह रिपोर्ट से स्पष्ट दिखाई देता है।

इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारी सरकार को केन्द्र की ओर से लगभग ४२ लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। उन योजनाओं को बनाकर हमने पहले चालू कर दिया, लेकिन दुःख की बात है कि जो कुछ रुपये मिलने वाले थे जिन योजनाओं के लिये, न तो उन योजनाओं को पूरा कर सके और न रुपयों का उपयोग कर सके और वे रुपये लैप्स हो गये। भारत सरकार के सामने इस विभाग की योजना रखी और प्लानिंग कमीशन के सामने योजना स्वीकार होने के लिये भेजी गई, स्वीकार होकर आने पर भी उसको लागू नहीं किया जा सका। इसमें दो योजनाएं थीं। एक तो फुलर्स अर्थ एक्टिवाइ-जेशन और दूसरी वैट माइका ग्राइन्डिंग स्कीम। ये दोनों स्कीमें १०—१० लाख रुपयों की थीं। वे अगर लग जातीं तो काफी लोग रोजगार पर लग जाते, बेरोजगारी निपटाते और हमारे यहां रॉ मेटिरियल्स थे उनका उपयोग अपने प्रान्त में करते, लेकिन दोनों स्कीमों के अन्दर सरकार इनके सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध नहीं कर सकी, ये दोनों स्कीमें अपने यहां लागू हो सकती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जो २० लाख रुपया इस विभाग को मिलने वाला था दूसरी पंच-वर्षीय योजना में उसका उपयोग नहीं कर सके।

इसके साथ में २० लाख पर्चेज़ ऑफ इक्विपमेंट ऑफ क्वेरीज़, पर्चेज़ ऑफ इक्वि-पमेंट फोर प्रोस्पेक्टिंग—इनके लिए मिलने वाला था। इसके अन्दर आप केवल एक लाख रुपया उपयोग कर सके। इस प्रकार से देखें कि यह विभाग है, इस विभाग ने इस बात में एक क्रिमिनल ऑफेन्स किया है, जो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारे प्रान्त को रुपया मिलने वाला था, जिसकी स्वीकृति हो गई, स्वीकृति होने के बाद विभाग उसका उपयोग नहीं कर सका। इसका विभाग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो रुपया मिलने वाला था उसका आप किसकी गलती से उपयोग नहीं कर सके।

जो ढांचा इस विभाग का है उसके अनुसार कुछ सब डिवीज़न बना कर, कुछ डिवीज़न बना कर रखे हैं। मैं समझता हूँ कि काम देख कर कि वर्क लोड कितना है, उसके आधार पर सब-डिवीज़न और डिवीज़न बनाने चाहिए या नहीं, इस विभाग में कटौती कर सकते हैं या नहीं; जब मितव्ययता का प्रश्न आया, उसमें देखा कि इस विभाग में गुंजाइश थी, इस विभाग में कटौती की जा सकती थी। इसके अन्दर सब-डिवीजन बना कर रखे हैं, उसके अन्दर बीकानेर, टौंक, अलवर, कोटा-इनके एम. एल., पी. एल का रेशो दिया गया है, कहीं कहीं २ है, कहीं ६ है, कहीं ४ है। भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर में इनकी संख्या ज्यादा है। इस प्रकार से छोटे छोटे सब-डिवीज़न बना कर रखे हैं, इनको कम करने की आवश्यकता है। यदि माननीय मन्त्री जी सोचते हैं कि अगर ये छोटे कर दिये तो विभागीय आन्दोलन खड़ा हो जायगा, लोग कहेंगे कि टौंक से उठा कर जयपुर क्यों ले जाते हो, कोटा से उठा कर उदयपुर क्यों ले जाना चाहते हो? जहां इस प्रकार की गुंजाइश नहीं है, बीकानेर में एम. एल. तीन और पी. एल. एक है, कोटा में एम. एल. २ और पी. एल. दो आता है, वहां पर इस प्रकार का संगठन रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने अधिकारी रखे हैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर में जहां इस प्रकार की सम्भावनायें हैं वहां पर इस पद को रखें तो ठीक है। लेकिन आप चार अतिरिक्त सब–डिवीज़न न रखें, वहां पर केवल इन-चार्ज रखें, जो रिसीव एप्लीकेशन कर दे और फॉर्वर्ड कर दे। इस प्रकार जो भारी भरकम ढांचा रखा है, इसके अन्दर कुछ मितव्ययता कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को मितव्ययता करनी चाहिए, जहां हम कर सकते हैं।

दूसरे, हम देखेंगे कि जहां गुंजाइश है, इस प्रकार की सम्भावना है, कोटा के अन्दर, बीकानेर के अन्दर, टौंक के अन्दर इस प्रकार की गुंजाइश है कि इस प्रकार के खनिजों की उपज ज्यादा होने वाली है, इस प्रकार की सम्भावना है, इस प्रकार का प्रोस्पेक्टिंग किया गया है कि इस प्रकार के खनिज, ज्यादा मिनरल मिलने वाले हैं, सरकार तरक्की कर सकती है वहां पर इस प्रकार के विभाग रखने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, टौंक और बीकानेर के अन्दर इस प्रकार की गुंजाइश नहीं है। बीकानेर में देख लें, केवल एक पलाना की खान है, एक खान के लिए वहां फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति कर दी है, वह एक हजार रुपये की तनख्वाह पाने वाला है। इसलिए वहां और अधिकारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि और कोई खान नहीं है। इसी प्रकार का टौंक का हाल है, अलवर का हाल है। उदयपुर डिवीजन में देखते हैं कि इस प्रकार की सम्भावनायें हैं, इसी प्रकार झुंझुनू जिले के अन्दर सम्भावनायें दिखाई देती हैं, सीकर में खंडेला के अन्दर सम्भावनाएं दिखाई देती हैं।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो इस प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग डिवीजन्स बनाये जायं, जहां सम्भावना दिखाई देती है, विकास की सम्भावनायें हैं। जहां विकास की सम्भावनायें नहीं हैं, उन क्षेत्रों में, उन स्थानों के लिए माननीय मंत्रीजी को क्षेत्रीय भावना का डर नहीं होना चाहिए कि अगर वहां से विभाग हटाया तो लोग आन्दोलन करेंगे। मैं समझता हूँ कि जहां पर विकास की गुंजाइश नहीं है वहां पर अधिकारियों को बढ़ा रखा है, इससे पब्लिक एक्स चेकर पर खर्चा बढ़ता है। उसको घटाने की दृष्टि से माननीय मंत्री जी को कदम उठाना चाहिए। जहां इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सम्भावनायें हों, उन स्थानों पर विभाग का कॉन्स्टीट्यूशन पहले करना चाहिए, बनिस्बत उन स्थानों के जहां पर इस प्रकार की सम्भावनायें नहीं हैं। इस प्रकार माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में कटौती करें, इस विभाग को देखें और जहां जहां अनावश्यक केन्द्र स्थापित कर रखे हैं, उनको हटायें।

इसके साथ ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना रेश्यो स्वीकार किया गया है, जिसका उपभोग नहीं कर सके और जिस कारण से नहीं कर सके, उस पर मंत्री महोदय ध्यान दें क्योंकि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसका उपभोग नहीं कर सके तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें क्या मिलने वाला है? किसी विभाग को रुपया दिया जाता है तो देने वाला देखता है कि इसमें क्षमता है या नहीं, योग्यता है नहीं कि जो दिया गया है उसका उपभोग कर सकता है या नहीं। पहले हमें जो ४२ लाख रुपया मिला, उसमें से एक लाख का उपयोग कर सके हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४२ लाख रुपया मिला उसमें से केवल आप एक लाख का उपभोग कर सके और ४१ लाख रुपया लेप्स हो गया। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा विभाग उसके योग्य नहीं है, उसके अन्दर कुशलता नहीं है, अच्छाई नहीं है कि योजनायें बनाकर जो रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला था उसका उपयोग कर लेता।

इसके साथ में राजस्थान सरकार के अन्तर्गत जो योजनायें थीं मिनरल प्रोडक्ट की, उन सब का प्रोडक्शन घटा है, केवल एक तांबे की खान निकली है, जिसके लिए कहते हैं कि यह सेन्टर के अन्दर थी, वहां पर सेन्टर के कर्मचारी थे और वे ही चला रहे हैं। हमारे प्रान्त के इसमें २० मिनरल दिखाये हैं, जिनमें से १४ का प्रोडक्शन घटा है, केवल छः में बढ़ा है और छः भी ऐसी हैं कि आज यह नहीं समझा जा सकता है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा उपयोगी होगा।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें कह कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाग ने जो पिछले कार्यकाल में योग्यता प्रदर्शित की है, इस विभाग के कारण से योजनाओं में घाटा पड़ा है। इस खान विभाग के लिए जो वर्किंग ग्रुप बनाये गये हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वर्किंग ग्रुप के अन्दर विभाग के अधिकारियों को रख दिया गया है। इससे जो उनकी कमजोरी रही है, कोई किसी प्रकार की कमी रही है, असफल रहा है, वे उन सब चीजों को प्रगट नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अन्य सदस्य भी उसमें लिये जायं। मैं निवेदन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

करना चाहता हूँ कि एक विशेष अधिकारी को रख कर इसकी जांच करवाई थी, इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी कि जो डिवीज़न बना कर रखे हैं, वे उचित नहीं हैं, एक भारी भरकम ढांचा बना कर रखा है। यह रिपोर्ट दी थी, उसको देखें और इसके सम्बन्ध में क्या योजना हो सकती है, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी एक विशेषज्ञ कमेटी बैठायें जिसमें विभाग के कर्मचारी नहीं हों और वहां पर विचार हो। यदि वे ऐसा करेंगे तो यह इस प्रकार का विभाग है जिसके आधार पर समृद्धि पनप सकती है और इसके साथ ही इनके द्वारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है। इस आधार पर हो सकता है कि उनके लिए जो रॉ मेटीरियल देना वह यह विभाग देगा। लेकिन अभी तक यह डिपार्टमेंट रॉ मेटीरियल देने के लिए असफल रहा है। जितना रॉ मेटीरियल १६५८ में मिलता था, उसके मुकाबले में १६५६ में कम मिला। यह इस विभाग की कमजोरी रही है। इसका मतलब यह होगा कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट वास्तव में ठीक नहीं रहेगा। जो हमारा इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की कमजोरी होने से वह डिपार्टमेंट कमजोर होगा। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि सरकार इस विभाग की ओर ध्यान दे और इसे योग्य बनाये। इसके लिए आवश्यकता यह है कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाय; विभागीय कर्मचारियों, डाइरेक्टर, सेक्रेटरी को छोड़ कर बाकी लोगों की, विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाय, जो कि सम्भावनाओं की जांच करे, जो काम हो रहा है उसको देखे और अपनी रिपोर्ट दे। एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया है कि यह विभाग अयोग्य रहा है। इसने स्वीकार किया है कि इस विभाग को जो योजना करनी चाहिए थी, जो रुपया दिया गया, उनको पूरा करने में अयोग्य रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस विभाग में क्या क्या कटौती होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। किस किस को रखना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अलग कमेटी बैठाई जाय जिससे कि सही पिक्चर सामने आयेगी और जिस प्रकार का विभाग है इसके अन्दर जो कमजोरी दिखाई देती है, उनको निकाल सकेंगे और इससे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। यह कह कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

डॉ. चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६– साइन्टिफिक विभाग के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला प्रस्ताव अजायबघर के विस्तार व विकास के सम्बन्ध में है। प्रत्येक वर्ष बजट में कुछ राशि हम अजायबघरों के लिए रखते हैं और वह उस तरह से खर्च भी होती है, लेकिन जो उसका फलाफल जनता को मिलता है, अगर उसका मूल्यांकन करें तो हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि अजायबघरों से जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वह उतने अंश तक नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, अजायबघरों की

(डॉ० चन्द्रकला)

उपयोगिता स्वयं सिद्ध है और हम इस बात का गौरव अनुभव कर सकते हैं कि हमारी इस सरकार के पहले की रियासतों से अजायबघरों का एक बहुत समृद्ध उत्तराधिकार मिला हुआ है जबकि और और प्रान्तों में, जहां कि अंग्रेजी शासन था, वहां पर शासन की ओर से केवल एक या दो अजायबघर किसी बड़े शहर में हैं, तो उसके मुकाबले में हमारे इस प्रान्त में प्रत्येक रियासत ने, प्रत्येक रजवाड़े ने अपने यहां अजायबघर रखा था, अजायबघर बनवाया था और वे हमको ज्यों के त्यों मिल गये हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां दूसरे क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है वहां अजायबघरों का आज भी हमें वही रूप मिलता है जो आज से १० साल पहले रहा होगा। इस विभाग का यही काम रह गया है कि कहीं जाले लग जाते हैं तो उनको साफ कर दिया जाता है, कहीं धूल लगती है तो साफ कर दिया जाता है, चमक कम हुई लगती है तो चमक बढ़ा देता है या इससे ज्यादा करता है तो यह कर देता है कि जो चीजें वहां पहले की रखी हुई हैं, उस तरह की चीजें कहीं आस-पास में मिल जाती हैं, खण्डित मूर्तियां आस–पास में कहीं मिलती हैं तो लाकर रख देता है और इसी में अपना कर्त्तव्य समाप्त समझता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये अजायबघर हमारी प्राचीन संस्कृति और साहित्य के रक्षक हैं, हमारे पुरातन इतिहास के द्योतक हैं, जिसके प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं होते उसको अजायबघरों में जाकर देख सकते हैं। इसलिये अजायबघरों के प्रति प्रजा का आकर्षण होता है। जयपुर की यात्रा करने के लिये यदि कोई व्यक्ति आता है तो जब तक वह जयपुर के अजायबघर को नहीं देख लेता तब तक वह अपनी यात्रा को सफल नहीं समझता और वह जयपुर के दर्शनीय स्थानों में जयपुर के अजायबघर को शामिल करता है। इस अजायबघर में उसे राजस्थान का पहले का इतिहास, वेश–भूषा; सब देखने को मिलते हैं। पर मेरा कहना है कि जहां हम प्राचीनता की रक्षा करें, प्राचीन संस्कृति और साहित्य के प्रतीक रूप में इन अजायबघरों की रक्षा करें, वहां इनके विस्तार और विकास की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा विभाग इस ओर सक्रिय हो तो अच्छा है।

हम सब जानते हैं कि हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया और तीसरी योजना को क्रियान्वित करने जा रहे हैं, इसका ज्ञान नागरिकों को दें तो कहां से मिल सकता है? जयपुर शहर का रहने वाला व्यक्ति किताबों से आंकड़े खोज ले तो खोज ले, सरकार की ओर से प्रकाशित होने वाले साहित्य से जानकारी भी वह कर सकता है; पर सही जानकारी उसको नहीं हो सकती, यदा–कदा कहीं कोई प्रदर्शनियां होती हैं, उनसे उसको कुछ मिलता है पर जो प्रत्यक्ष जानकारी अजायबघरों से मिलनी चाहिये, जो अजायबघर अतीत के साथ साथ वर्तमान के दिग्दर्शन होने चाहिये, वर्तमान का चित्र पेश करने वाले होने चाहिये, इसका अभाव अजायबघरों में दिखता है। हमारे यहां हर डिवीज़न हैड क्वार्टर्स पर, इसलिये नहीं कि वे डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स हैं; अपितु पुरानी राजधानी होने के नाते अजायबघर हैं, हमारे यहां जितनी मुख्य मुख्य बड़ी जगहें हैं,

Page No.48

(डॉ० चन्द्रकला)

वहां अजायबघर हैं। पर वहां पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं, उनसे वर्तमान का कोई ज्ञान नहीं हो पाता है।

जहां तक पुराने के संरक्षण का प्रश्न है, इसको मैं मानती हूँ, सरकार प्रयत्न करती है वह ठीक है; पर इसके साथ साथ यह प्रयत्न भी सरकार को करना चाहिये कि उनके माध्यम से वर्तमान की भी शिक्षा जनता को प्राप्त हो सके, अतीत की पृष्टभूमि में वर्तमान की बात रखें तो अच्छा होगा। पर हमारे अजायबघर इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं। यह मैं मानती हूं कि जयपुर के अजायबघर में पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली लगा दी है; व्यवस्था, मैन्टेनेन्स ठीक कर लेते हैं, पर हमारी सरकार का ध्यान इसको अधिकाधिक बढ़ाने, इसका विस्तार करने की ओर, जैसा होना चाहिये, वह नहीं है। वर्तमान कलाएं भी हमारी विकसित हो रही हैं, जिस दिशा में विकसित होनी चाहिये उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। भाखरा, नांगल बांध को देखने हर व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, इसलिये अजायबघरों को महत्ता है कि ये समय और स्थान की दूरी को मिटा देते हैं और हर चीज को प्रत्यक्ष होने की तरह अनुभव करा सकते हैं; तो मुझे कम से कम इन अजायबघरों में यह अभाव दिखता है। जब भी इस विषय में चर्चा होती है तो अपनी सरकार से अवश्य निवेदन करती हूं। इस सम्बन्ध में विधेयक भी आया, कानून बना; नियम, उप–नियम बने पर जहां तक सरकार का अजायबघरों की रक्षा के सम्बन्ध के कायदे–कानून का संरक्षण चाहिये वह तो ले लिया है, पर जहां इनके विकास की बात आती है वहां सरकार सक्रिय दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा हो कि सरकार सक्रिय हो और इस दिशा में आगे बढ़े।

राजस्थान में प्रत्येक जगह ऐसी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चीजें हैं, मूर्त्तियां, कला, एवं स्थापत्य कला है। जिनकी हमको रक्षा करनी है, पर इसकी रक्षा आज नहीं कर पाते हैं। या तो जिस तरह होना चाहिये, उपयोग नहीं कर पाते हैं, या जनता में वे चीजें उपेक्षित पड़ी हुई हैं; तो सरकार को चाहिये कि इसके लिये एक अनुसंधान विभाग हो, जो इन चीजों को प्राप्त करके, अच्छी तरह जानकारी करके जनता की जानकारी के लिये इसे सुलभ करे। हमारे यहां के अजायबघर को देखने के लिये दूर दूर के बाहर के लोग आते हैं, यहां की प्राचीन चीजों को देखने के लिये, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिये, राजस्थान के गौरव, गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति से परिचित होने के लिये बाहर से लोग आते हैं। उनको जो कुछ यहां मिलता है वह और जगहों को देखते हुए पर्याप्त है। यह अजायबघर उन्हें काफी सामग्री प्रस्तुत करता है। पर हमको इससे ही सन्तोष नहीं करना है। इससे अधिक सामग्री इधर–उधर बिखरी पड़ी है। इस ओर सरकार ध्यान दे तो और भी अधिक महत्वपूर्ण यह अजायबघर बन सकता है। अजायबघरों की महत्ता हम अंग्रेजों से सीख सकते हैं, उन्हें जो भी चीज कहीं प्राप्त हुई उसको उन्होंने लंदन के अजायबघर में ले जाकर रखा और यही कारण है कि आज वहां विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा अजायबघर है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां म्यूज़ियम भी ऐसा ही हो

(डॉ० चन्द्रकला)

कि जनता को अपनी जानकारी के लिये सभी तरह की सामग्री वहां से मिल सके।

मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वैसे ठीक है पर अजायबघरों के विकास की आवश्यकता है। वैसे हमें रोजमर्रा के कामों के लिये, आगे के कामों के मार्ग–दर्शन के लिये अजायबघरों की मदद लेनी चाहिये। जब तक हम इसका विकास-विस्तार नहीं करेंगे तब तक इनका पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे, इनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। वैसे तमाशा बना दें, जैसे जानवरों को, चिड़ियों को देखने के लिये लोग रामनिवास बाग में जाते हैं, वैसे ही यह पुरानी चीजों का संग्रह है इसलिये इसको देखने आ जायं तो ठीक है; पर इसका जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व है उसको देखते हुए समय के साथ साथ इसका विकास नहीं करेंगे तो यह उपयुक्त नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रथम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव इसी तरह का पुरातत्व विभाग के सम्बन्ध में है। हमारे यहां का पुरातत्व विभाग यहां राजधानी जयपुर में असेम्बली भवन के सामने था और अच्छी तरह से काम कर रहा था, वह पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें खोज खोज कर उनको प्रकाशित करवाने का प्रयास करता रहता था। लेकिन राजधानी में इस पुरातत्व विभाग को रखना कुछ असुविधाजनक मालूम हुआ और इसलिये इसको प्रान्त के एक कोने में जोधपुर में रख दिया है। वहां पर वह पड़ा रहे और कोई शिकायत भी न कर सके। लेकिन पुरातत्व विभाग जैसी चीज़ ऐसी जगह होनी चाहिये जहां पर लोगों की प्राचीन संस्कृति में दिलचस्पी हो और जहां पुराना साहित्य सुलभ हो सके। जिस तरह से पुरातत्व विभाग में पुरानी चीजों की सुरक्षा होती है उसी तरह से पुरातत्व की बहुत बड़ी सामग्री हमारे यहां उपलब्ध है और शायद हम राजस्थानवासी उसकी उतनी तरह से कल्पना नहीं कर सकते जितनी बाहर वाले करते हैं। लेकिन यहां पर प्राचीन साहित्य का इतना भंडार है, हस्तलिखित पुस्तकें हैं, ऐसी २ सामग्री है कि जिसे प्रकाश में लावें तो बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। पहले के राजाओं के पास साहित्य

(१. ११ म. प)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

का बहुत भंडार मिल सकता है क्योंकि उसको बहुत शौक था। राजस्थान में कई राजा लोग खुद विद्वान् थे व बड़े २ विद्वान् लोग उनके पास रहते थे जो अपनी निजी लाइब्रेरी रखते थे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सहस्त्रों और हजारों हस्तलिखित पुस्तकें हैं। आज भी सैकड़ों व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके पास इस प्रकार का संग्रह मिल सकता है। मगर या तो जिसके पास वह साहित्य है वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास है, जो अस्त-व्यस्त स्थिति में कहीं पड़ा है, उसे दीमक खा जायेंगे या अलमारियों में रखा रहेगा जिसे कुछ दिनों में दीमक खा जायेंगे और फिर किसी काम में न आवेगा या उसकी संतान जो कुछ आर्थिक लाभ करने की करती है वह उसको बेच कर आर्थिक लाभ उठावेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कद्र नहीं करते हैं। इसकी दो मिसालें मुझे मालूम

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं कि बाहर के लोग यह जानते हैं कि राजस्थान में विभिन्न विषयों पर बहुत साहित्य भंडार है। वे आकर यहां की चीजों को बाहर ले जाते हैं और उनका उपयोग लेते हैं। इसलिये जो ज्ञान भंडार यहां पड़ा है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार के पुरातत्व विभाग का ध्यान केवल मंदिर की मूर्तियों की खोज आदि के संग्रह करने की तरफ ही ज्यादा रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा और इसकी खोज के लिये सारी सामग्री को एकत्रित करने की आवश्यकता होगी। खोज के बाद ऐसे विद्वानों की आवश्यकता होगी जो उनको समझ सकें, उनको प्रकाश में ला सकें। अभी तो समय है, हम उनकी रक्षा कर लेंगे और उनको प्रकाश में ले लेंगे तो उनको सुरक्षित कर लेंगे और आगे के लिये ठीक रहेगा, नहीं तो धीरे २ वह साहित्य नष्ट होता जावेगा। आजकल हम अपने मकान और सड़कें बनाने और नहरों की ओर ध्यान देते हैं, अपने साधनों को बढ़ाने का ध्यान देते हैं लेकिन जो शिक्षा और ज्ञान–वर्धन का साधन है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, जो हमारे यहां पड़ा है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमारे पास पड़ा है, उसकी कद्र नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगी की पुरातत्व विभाग का नाम बजट में आ जावे। थोड़ी राशि उसके लिये रख देना जरूरी है। हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि इसके लिये ज्यादा पैसा रखना चाहिये। यह शिक्षा, भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा कर्त्तव्य है कि पुरातत्व की सामग्री है उसकी हम रक्षा कर सकें।

इसके बाद मेरा तीसरा कट मोशन खनिज सर्वेक्षण पर बहस करने के लिये है। मैं जिस तरह से अपने दो पूर्व कटौती के प्रस्तावों में कह चुकी हूँ कि हमारा राजस्थान इसमें भी समृद्ध है; लेकिन जहां तक मुझे मालूम है और इस सदन के पटल पर भी बताया जा चुका है कि पूरे प्रान्त में बहुत खनिज पदार्थ भरा है जिसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। वैसे देखा जावे तो राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी से लेकर हीरे तक के भंडार हैं। मुल्तानी मिट्टी यहां मिलती है जिसका उपयोग होता है। इसके अलावा दूसरी चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग यहां हो सकता है और राजस्थान समृद्धिशाली हो सकता है। लेकिन आजकल लोग सरकार से इसके लिये अनुमति लेते हैं, उनको सरकार देती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं होते हैं कि हमारे यहां खनिजों में क्या क्या पदार्थ हैं। मुझे अच्छी तरह तो मालूम नहीं, मगर एक स्थान पर काले पत्थर का काम करते थे वहां पर आइरन ओर मिला। शायद नींदड़ की बात है। अगर हमारी सरकार इसकी जानकारी रखती तो वह पत्थर के भाव मंहगा न जाकर सस्ता जा सकता था। अगर इस तरह से हमारी सरकार ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : पत्थर के भाव में मंहगा न जाकर सस्ता जा सकता था, इसको मैं नहीं समझ सका।

डॉ० चन्द्रकला : जहां पर जो काम करते हैं उनको पत्थर की खान समझ कर दिया गया था। वहां कलकत्ते की फर्म काम कर रही है। उसको बतौर पत्थर के नाम पर

(डॉ० चन्द्रकला)

दिया गया है । उसने जितनी जमीन ली उस जमीन में उसको आइरन और मिला । अगर यह सर्वेक्षण किया हुआ होता तो इस प्रकार की प्राइवेट फर्म जिसका आज फायदा उठाती है उसका फायदा सरकार को मिल सकता था ।

इसके अलावा जो चीज़ हमारे यहां है और जानते नहीं तो उसका उपयोग नहीं कर सकते । तो आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । आजकल कागजी कार्यवाही ज्यादा चलती है और बहुत सारी स्कीमें और कार्य कागजों में पड़े रह जाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बजट की राशि जल्दी से जल्दी ३१ मार्च को खत्म कर दी जावे, इसमें लगे रहते हैं । समय पर काम नहीं किया जाता है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इस सम्बन्ध में दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं :

(१) इस विभाग द्वारा एक क्वार्टरली मेगज़ीन निकलना चाहिये व (२) बाडमेर में कुछ अवशेष हैं जिनकी सुरक्षा करने में सरकार कासिर रही है । इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि किसी भी राष्ट्र और देश को ऊंचा उठाने के लिए साहस की जरूरत है और वह साहस कहीं से उधार नहीं लिया जा सकता, वह हमारे यहां मौजूद है । लेकिन जो भूले हुए हैं उनको बताना चाहते हैं । हर कार्य में साहस की आवश्यकता है । उद्योग विभाग में साहस से काम ले रहे हैं और राज्य जो कर्जा ले रहा है वह भी साहस के काम हैं । आज जो कर्जा लिया जाता है उसका फायदा कुछ नहीं दिखता है और हम यह भी सोचते हैं कि कल भी कुछ लाभ नहीं दिखता है, लेकिन सरकार की दृष्टि में यह अच्छा होगा मगर जो कुछ काम करते हैं उसमें साहस करते हैं । अगर उसके अच्छे परिणाम होते हैं तो उसका यश सरकार को मिलेगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा तो उसका परिणाम भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा । मगर साहसी होकर विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते । जहां हमें साहस की जरूरत है वह हमें विरासत के रूप में मिला है । वह इसके लिये विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है और वही हमारी सांस्कृतिक विरासत है । मगर दुःख तो इस बात का है कि प्रजातन्त्र में फजीती कला की ही होती है दोनों प्रकार से; एक तो यह कि राजनीति को इतना बड़ा साध्य मान लेते हैं कि कला की ओर लोगों की प्रवृत्ति नहीं रहती है और दूसरी ओर यह होता है कि आमतौर से लोगों को इसमें रुचि नहीं होती है ; बल्कि जो चीज़ हमारे जन-जीवन को ऊंचा बढ़ाने की अपेक्षा नीचे गिराती है उसकी ओर लोगों की रुचि होती है । इसलिये सरकार को इस प्रजातन्त्र के दौर में इसकी तरफ ज्यादा जागरूक रहना चाहिये कला और संस्कृति का प्रजातन्त्रवाद में विकास का एक ऐसा स्टीरियोटाइप्ड ढंग हो जाता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि इस कठिनाई से बचने का क्या उपाय कर सकते हैं । इसका

Page No.52

(श्री तनसिंह)

महज एक ही उपाय मैं समझता हूँ कि कला में रुचि उत्पन्न की जाय। आप देखेंगे कि पहले की जो कलायें थीं; ललित कला, वास्तु कला और स्थापत्य कला—और भी कई हो सकती हैं, उनमें एक परिष्कृत सुरुचि थी और उनके यदि हम अवशेषों को सुरक्षित न रख पाये तो नतीजा यह होगा कि बढ़ती हुई कला का जो स्वरूप आज हमें दिखाई दे रहा है उसका नियन्त्रण नहीं रख सकते।

पुरातत्व विभाग एक विभाग है। महज विभाग होने से विरासत में जो चीजें हमको मिली हैं उनका लाभ नहीं होगा जब तक कि जन-साधारण की उनमें सुरुचि और जानकारी न हो। पुरातत्व विभाग जन-साधारण के सामने अतीत की जो बातें हैं उनको कैसे रख सकता है? निश्चित रूप से वह एक त्रै-मासिक पत्रिका निकाले। यदि कोई पत्र इस विभाग के द्वारा निकलता होगा तो हमको नहीं मालूम है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पत्रिका नहीं निकलती है। राजस्थान का जो इतिहास है वह आज भी अन्धेरे में है। आज तक जो कुछ भी इतिहास बना है या जिन लोगों ने इसको लिखा है उन्होंने उन लोगों से सहायता ली है जो कि मुसलमान बादशाहों के आश्रय में रहा करते थे और उनमें ऐसी बातें भी थीं जिनमें कहीं दोषपूर्ण और कहीं अतिशयोक्तियां भी कर डाली हैं; लेकिन स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक दृष्टि से जो बातें नहीं होनी चाहिये थीं वे उनमें हैं। आज का इतिहास जो कुछ बना है वह बहुत कुछ उन पर ही बना है। पता नहीं वह कितना सत्य है और कितना असत्य है, लेकिन हस्तलिखित ग्रन्थ, ताम्र पत्र, शिला लेखों के अवशेष आज भी मिलते रहते हैं; सिक्के भी मिलते रहते हैं, उनको उन किताबों के साथ मिला कर सही इतिहास की खोज की जा सकती है और तब ही हमको सही रूप में इतिहास के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इतिहास की महत्ता इसी में है कि देश की सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। सुरक्षा और आत्म-रक्षा तब ही हो सकती है जब कि देश के निवासी उसे अपना देश समझें। आपकी अहिंसा और सत्य बड़ी अच्छी चीजें हैं। मुझे उसके विषय में कुछ नहीं कहना है। आप समझते हैं कि आप भूख हड़ताल करेंगे, चीन ने आक्रमण कर दिया या पाकिस्तान ने डर दता दिया, आप उनके सामने भूख हड़ताल कर लेंगे तो बच जावेंगे। आप हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। भूख हड़ताल या हृदय परिवर्तन किसी सिंह के सामने खड़े होकर करिये, उसका हृदय परिवर्तन करिये। यह नहीं होगा। देश के लोगों को सुरक्षित और सुसंस्कृत बनाने में काफी समय लगेगा और इस समय में अपने आपको बलवान महसूस करते हुए भूत काल से प्रेरणा लेते हुए अटूट प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे देश में पढ़ेंगे तो हमारे देश में एक श्रद्धा जाग्रत होगी और हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। इसलिए मैं अधिक न कह कर संक्षेप में ही कहूँगा कि आज यह बहुत ही आवश्यक है कि पुरातत्व विभाग की एक त्रै मासिक पत्रिका निकलनी चाहिये जिससे कि शोध करने वालों को सामग्री मिल सके। आपने सैकड़ों, हजारों, किताबें ला रखी हैं, उन किताबों की सामग्री कब जनता के सामने छप कर आवेंगी? त्रै मासिक पत्रिका से जो भी सामग्री

(श्री तनसिंह)

मिलेगी उससे लोग स्वयं खोज कर सकते हैं और अतीत से, इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दस पन्द्रह हजार रुपयां में यह हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस उचित मांग को स्वीकार किया जायगा। कुछ अवशेष, बाडमेर के केराडू, जूना और कोटरा का किला है; अभी मैंने सुना है कि वहां पर चौकीदार रखा गया है और तब रखा गया है जब कि आम तौर पर अच्छे २ पुराने मन्दिर वगैरह बेकार हो गये, बंजर हो गये, उनके पत्थरों को उठा कर लोग झोंपड़ियां बनाने लग गये या दीवालें बनाने लग गये और स्थिति यह है कि उनको सरकार की ओर से रिपेयर नहीं कराया गया। वे बिखर गये हैं और उन दर्शनीय स्थानों के जो अवशेष अब भी शेष हैं जिनसे कि हमको आज भी प्रेरणा मिल सकती है उनको फिर देख नहीं पायेंगे और कोई स्थिति सामने नहीं आवेगी। आपने कई स्थानों को हाथ में लिया है। लेकिन दूर के स्थानों के लिए आपका ध्यान होना चाहिये। आपको उनको देखने से मालूम होगा कि वहां की कला कितनी अच्छी थी। कुछ चीजें तो जोधपुर की म्यूज़ियम में रखी गई थीं लेकिन जो कुछ पीछे रह गई हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिये, खर्चा भी आपको अधिक नहीं लगता।

मैं इतना ही निवेदन करके अपने दोनों कटौती प्रस्तावों को रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि हम यह चाहते हैं कि हमारे गांवों का विकास जल्दी से जल्दी हो। राजस्थान सरकार ने ज्यों २ खेती की समस्या को सुलझाया त्यों त्यों किसान अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सके। तो एक किसान ने चार पैसा बचाया; पर फिर वह अपने मकान को पक्का बनाने की फिक्र में पड़ गया। मैं कहना चाहता हूँ कि धौलपुर में काफी तादाद में पत्थर पैदा होता है। सरकार समय समय पर नियमों के अनुसार ठेकेदारों को ठेके दिया करती है। मुझे ठीक नहीं मालूम है कि उन ठेकों के लिए इस प्रकार का सरकार कोई एग्रीमेन्ट में व्यवस्था रखती है कि नहीं कि सबसे पहले लोकल डिमान्ड गांव की पूरी होनी चाहिये, मकान बनाने के लिए ठेकेदार पत्थर की पूर्ति करें और उसके बाद में इलाके से बाहर भेज सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखने को यह मिलता है कि आज राजस्थान सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाये हैं। उनके मुताबिक गांव गांव में स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन आदि बनाये जा रहे हैं। मकानों के लिए यह स्वाभाविक है कि उन लोगों को पत्थर मिले। उन भवनों आदि के बनाने में आधा पैसा पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जाता है और आधा पैसा सरकार देती है। इन मकानों के बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं हो सकता वहां से। हमारे पास ही में यू. पी. के आगरा जिले का तातपुरा का इलाका पड़ता है। वहां के निवासी तातपुरा से पत्थर लाया करते हैं और मकानों को पूरा करते हैं। सोचने के लिए एक बात हो जाती है। दसेड़ी रेलवे स्टेशन है। करौली का ठेकेदार भी वहां पर पत्थरों को जमाये बैठा है। धौलपुर के लोकल ठेकेदार हैं, काफी पत्थर

(श्री सूबेदारसिंह)

रखते हैं। न तो लोगों को उचित रेंट पर पत्थर मिलता है और न वैसे ही पत्थर मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तातपुरा गांव से लाकर लोग मकान बनाने के लिए मजबूर होते हैं।

इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चाहिये तो यह कि यह समय है अपने प्रान्त के निर्माण का। क्या ही सुन्दर हो कि यहां के जो काश्तकार है उनको बिल्डिंग मेटीरियल बिना किसी प्रकार के अतिरिक्त पैसे दिया जा सकता है इससे क्या होगा कि हमारे काश्तकारों के मकान जो है वे पक्के बन जायेंगे। इस तरह से किया जाय तो पांच और सात वर्ष में इनके मकान पक्के हो सकते हैं। सरकार को इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये। भविष्य में किसी भी ठेकेदार को ठेका दिया जाय, उसमें ठेकेदार को इस बात के लिये पाबन्द किया जाय कि जो पत्थर निकालने पर जिस रेंट से वह पड़ता है उसी रेंट पर लोकल कन्जम्शन के लिये दिया जाय। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो पट्टियां गाड़ियों में भर कर ले जाते हैं दो रुपये और ढाई रुपये प्रति फुट पर दिया जाता है। मैंने इस मामले को कई बार सदन में उठाया है। मैंने वहां एस० डी० एम० को भी यह जानकारी दी है। लेकिन किसी ने इसको रोका नहीं। अब मेरा यह निवेदन है कि आइन्दा जो भी एग्रीमेन्ट हो उसमें लोकल आदमियों को उसी रेट पर देने की, जिस रेट से पत्थर निकलता है, शर्त होनी चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (मैंगनीज की खदानों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैंगनीज का ठेका दिया जाता है यह आज के जमाने में ही नहीं पहले के जमाने से यही परम्परा चली आ रही है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी खदानें जिस तरह से पहले से चली आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। आज भी खदानों में अच्छा माल नहीं निकल रहा है और इससे वहां के लोगों को आमदनी भी नहीं हो रही है। आज इसमें किसकी गलती है; हमारे इस विभाग के लोगों की या इससे ऊपर काम करने वाले अफसर हैं उनको, यह मैं नहीं कह सकता। यहां ठीक प्रकार से सर्वे अब तक नहीं किया गया है। कारण यह है कि आज इस विभाग पर जहां लाखों रुपया खर्च हो रहा है, कई दिनों से हम देख रहे हैं, इस विभाग की शाखायें जगह जगह पर कायम हो रही हैं, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं हो रही है। एक हमारे यहां कहावत है कि आमदनी तो एक कोड़ी नहीं, रुपया हजारों खर्च कर रहे हैं। इस तरह से लाभ कभी इसमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसी ढंग से हमारे बांसवाड़ा तहसील के बागीदुरा में और कुशलगढ़ में मैंगनीज की खदानें चल रही हैं वहां पर शायद मुझे जैसा मालूम है, ठेके पर काम दिया गया है। उस ठेके को दिये हुए बीस—बीस साल हो गये हैं लेकिन वहां पर काम कभी होता है तो कभी बिल्कुल बन्द पड़ा रहता है। इससे वहां के जो किसान हैं, जिनकी उस एरिया में जमीनें आ गई हैं,

(श्री हीराभाई)

उनका काम खराब हो रहा है और अच्छा माल भी नहीं निकल रहा है ; ठेकेदार की तानाशाही के कारण वहां अच्छा माल नहीं निकल रहा है। सरकार को इन खानों का निरीक्षण करना चाहिये। वहां पर कई किसानों के खेतों का एरिया आ गया है। उनको न उन खेतों का मुआवजा ही दिया गया है और न वहां पर कोई ठेकेदार काम करता हुआ ही दिखाई देता है। केवल टोकरियां, धूल आदि पड़ी हुई हैं, वहां कोई सुनने वाला नहीं, न ठेकेदार का नामोनिशान ही दिखाई देता हैं। इसके साथ साथ उन खानों के आसपास महुआ आदि के पेड़ आ गये हैं। अपने लाभ को ख्याल में रख कर ठेकेदार ने उन पर कब्जा कर लिया है ; यहां तक कहता है कि आम के जो वृक्ष हैं और जो दूसरे प्रकार के फलों के वृक्ष हैं उनको वापिस खरीदना चाहे तो हम बेचने को तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से वे खानें दिन प्रतिदिन उजाड़ होती जा रही हैं। तानेसर और इंटाला की खदानें, सनोवरा, रतनाड़ा और भांभरिया की खदानें ली जा रही हैं। इन जगहों पर मैंगनीज का काम चल रहा है। भांभरिया की खदान में काम ठीक तरह से चल रहा है और दूसरी खदानों में माल होते हुए भी निकाला नहीं जा रहा है। इस तरह से ठेकेदार और सरकार दोनों किसानों को परेशान करते हैं। अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो सरकार को चाहिये कि उनसे वे खदानें ली जाकर दूसरे ठेकेदार को दी जायं और अगर खदानों से माल नहीं निकालते हैं तो किसानों को उनकी जमीन वापिस कर दी जानी चाहिये। आम वगैरह के जो वृक्ष हैं उनका लाभ किसानों को मिलना चाहिये, ठेकेदारों को नहीं। आज जिन किसानों की जमीन ठेकेदारों ने जबरदस्ती छीन ली है वे बदस्तूर वापिस की जानी चाहिये। यदि खदानों में काम चलता है तो उस काम को अच्छी तरह से चलाया जाना चाहिये। पच्चीस साल हो गये। वहां पर किसानों को तबाह किया जा रहा है। ठेकेदार माल प्राप्त करते हैं और इस तरह से किसानों को अपने खेतों से हटा दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी प्रकार की शर्त किये ठेकेदारों को जो ठेका दिया जाता है वह ठीक नहीं है। जिस किसी को भी ठेका दिया जाय उसमें यह शर्त होनी चाहिये जो भी पेड़ इत्यादि उसमें हैं, वे किसानों के हैं। और जो पत्थर आदि वहां से निकलता है उसको किसान को ले जाने का हक होना चाहिये। मकान कुंआ आदि बनाने के लिये वह ले जा सकता है। इस प्रकार की शर्त न रखने के कारण ठेकेकार किसानों को कुंआ, मकान आदि बनाने के लिये भी पत्थर नहीं लेजाने देते हैं और जो ले जाते हैं उन पर कई तरह का जुर्माना करते हैं। इसी प्रकार इंटाला और तानासर में चूना निकलने लगा है। वहां पर ठेकेदार उनसे महसूल लेता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह किसानों के लिये ऐसा प्रबन्ध करावे कि वहां बिना महसूल के उनको चूना मिल सके। ठेके के नाम से जो किसानों को बर्बाद किया जाता है वह नहीं होना चाहिये और खदानों के मामले में अच्छे वैज्ञानिकों से अच्छे दिमाग वालों से हमें जांच करवानी चाहिये, ताकि खदानों में काम अच्छा हो सके और यदि वहां पर काम नहीं किया जाता है, तो वह जमीन वापिस किसानों को मिल जानी चाहिये। किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। दोनों

(श्री हीराभाई)

तरफ से किसान बेचारा परेशान है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इस बारे में जल्दी से जल्दी जांच करके शीघ्र से शीघ्र कदम उठावें और वहां के किसानों को सहूलियतें दें खदान या तो खोदी जाय, नहीं तो किसानों को भूमि दे दीजाय। इस तरह से दोनों उजाड़ नहीं होने चाहियें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं जिनमें सबसे पहला अजायबघरों की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, अजायबघरों के महत्व और उसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में तो मेरे से पूर्व वक्ता सदस्या ने बहुत कुछ प्रकाश डाल दिया है और उन्होंने विशेष रूप से जयपुर अजायबघर का ही उल्लेख किया था। सौभाग्य से जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर स्टेट पहले भी एक विकासशील और प्रगतिशील राज्य रहा है, इसलिये यहां के अजायबघर की अगर व्यवस्था कुछ ठीक है तो वह होनी भी चाहिये। प्रबन्ध की दृष्टि से यहां का अजायबघर ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा संकेत उन कुछ अभागे अजायबघरों से है जहां आज राजधानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज राजस्थान जो बना है वह लगभग १८ भूतपूर्व रियासतों के एकीकरण से बना है। इससे पहले इन १८ रियासतों में पृथक् पृथक् छोटे और बड़े अजायबघर थे। वहां के राजा–महाराजा अपनी अपनी रुचि के अनुसार अजायबघरों को ठीक दशा में रखने का प्रयत्न करते थे, लेकिन हमारे एकीकरण के बाद प्रशासन की दृष्टि से तो सुधार करना चाहिये लेकिन जहां कुछ जनोपयोगी चीजें हैं उनकी ओर उतना ध्यान नहीं गया जितना जाना चाहिये और इस दृष्टि से उन अजायबघरों की व्यवस्था, जो कि जयपुर राजधानी में ही नहीं है, और भी जगह है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स में और कुछ अन्य जगह, उनकी व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

अब अलग अलग जगहों पर क्या अव्यवस्था है, यह तो मैं क्या बताऊं। मुझे तो अधिक से अधिक अपने ही अजायबघरों का विशेष अनुभव है। उस वक्त राजा लोग रुचि से इनका संग्रह करते थे और कार्यकर्त्ता व्यवस्था ठीक रखते थे। उनको यह भय रहता था कि हमारे महाराजा साहब, दीवान साहब, मिनिस्टर साहब या दूसरे मेहमान आ सकते हैं। बाहर से आम तौर से मेहमान आया भी करते थे। तो इस भय से वे व्यवस्था ठीक रखते थे। पर आज तो वे यह समझते हैं कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सरीखी बड़ी जगह तो है नहीं। यहां तो बड़े से बड़ा हाकिम कलेक्टर है, जो कभी इन चीजों में विशेष दिलचस्पी रखता नहीं और फिर छठे–छ मास मिनिस्टर आ जाते हैं तो अपना काम किया और चलते बनते हैं। इसलिए सुव्यवस्था की ओर ध्यान उनका जाता नहीं। इस बारे में एक सुझाव तो मैं अभी दे ही दूं कि जब कभी मिनिस्टर लोग दौरे में जाया करें तो वे इस बात का प्रयत्न भी करें कि इन अजायबघरों की व्यवस्था कैसी है, यह देखें। इसके साथ साथ वे यह प्रयत्न भी करें कि यहां जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक राजस्थान गाइड जैसी चीज भी बनाएं। मुझे पता नहीं सरकार ने इस तरह की कोई पुस्तिका तैयार

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

की भी है या नहीं। अगर आगरा की ओर से यात्री या दूसरे व्यक्ति जयपुर या राजस्थान में आते हैं तो मार्ग में भरतपुर पड़ता है। तो अगर आगरा में ही उनको एक इस तरह की पुस्तिका मिल जावे कि भरतपुर में और रास्ते में पड़ने वाली छोटी–मोटी अन्य जगहों में ये ये वस्तुएं दर्शनीय हैं तो जिसकी रुचि हो वह देख सकेगा।

यह भी सुझाव है कि एक कमेटी भी प्रत्येक अजायबघर के लिये इस प्रकार की हो जिसमें सरकारी लोग खास तौर से कलेक्टर, वहां के एम. एल. ए. और जो भी इन विषयों के विद्वान् या रुचि रखने वाले हों उन चार–पांच की एक कमेटी बनाई जावे, वे इसमें हों और वे इसकी व्यवस्था और प्रगति के सम्बन्ध में देख–भाल और गाइडेन्स करें और कम से कम एक महीने में एक बैठक करें।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है पुरातत्व विभाग के केन्द्रीयकरण पर। इस बारे में भी मेरे वे ही विचार हैं जो अजायबघर के बारे में हैं। यह विभाग हमारे देश की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन साहित्य सभी का खजाना है। रियासतों के वक्त से ही इस बारे में अलग अलग जगह प्रबन्ध चले आ रहे हैं और उन अलग अलग स्थानों के नाम से उनको पुकारा भी जाता रहा है; जैसे चित्र शैली है तो यह बूंदी की है, नाथद्वारा की है, जयपुर की है अथवा उदयपुर–बीकानेर की। साहित्य के बारे में भी यही है। यह ब्रज साहित्य है तो यह राजस्थानी साहित्य। इसी तरह पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री भी अलग अलग होती है। और इसलिये इनकी अलग अलग व्यवस्था तब से चली आ रही है। सब का अलग अलग जगह अपना अपना संग्रह है और सुन्दर संग्रह है। लोग काफी लाभ भी उससे उठाते रहे हैं। हाल ही में दो तीन महीने के अन्दर अन्दर इस व्यवस्था में अन्तर लाया गया और नई व्यवस्था की गई। मेरा ध्यान इस तरफ गया कि आज उन सामग्रियों को, उन पुराने पुस्तकालयों की पुरानी हस्तलिखित सामग्री वगैरह को जो बड़े परिश्रम से उन स्थानों पर लाई गई और एकत्रित की गई उस सारी सामग्री को जोधपुर ले जाया जा रहा है। उन सब का केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। कहां तो सरकार विकेन्द्रीकरण की बात कर रही है और कहां इस साहित्य के बारे में ही उसे झुठला रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाऊं, मैंने भी कुछ प्रयत्न इस दिशा में किये हैं। कितने ही ऐसे परिवारों से, जिनमें बड़े माने गये पण्डित हुए, विद्वान् हुए थे उनकी हस्तलिखित पुस्तकें उन परिवारों में पड़ी हुई थीं, अपार सामग्री उनके पास पड़ी थी, जो कहीं कहीं खराब भी हो रही थी; मैंने ऐसे कुछ परिवार वालों से कहा कि आपकी आने वाली पीढ़ी तो बाबुओं की होगी, वे आपकी इस सामग्री के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, वे कद्र नहीं करेंगे, देश के हित में इस सामग्री को ऐसी संस्थाओं को दे दो जो इनको अच्छी तरह से रख सके और उनका लाभ दूसरों को दे सके। मेरे कहने से भी उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर के पुस्तकालय को दीं, जो राज्य पुस्तकालय कहलाता था। पिछली बार ही मैं वहां समिति में गया तो बताया गया मुझे कि वे यह सुन रहे हैं कि यह सारा साहित्य जोधपुर ले जाया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जा रहा है। मैंने आश्चर्य के साथ सुना। मैंने फिर इस बारें में सदन में प्रश्न भी रखे थे। प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की गई थी। मेरी समझ में नहीं आता, पुरातत्व सम्बन्धी मामलों में सरकार ने यह क्या सोचा है। इसके लिये लोग दूर दूर जाते हैं, ब्रिटिश पुस्तकालयां में, जर्मनी, रशिया, अमेरिका तक जाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की ही ऐसी कौनसी चीज़ थी कि जो सभी जोधपुर में ही हो सकती थी, भरतपुर में नहीं ? लोग सुदूर पश्चिम जोधपुर में ही जाकर उसे देख सकते हैं और भरतपुर आकर नहीं देख सकते हैं ? यह तो विदेशों की बात नहीं है। जो जोधपुर आ सकता है, वह भरतपुर भी आ सकता है। फिर इससे स्थान स्थान के लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस लगेगी जिन्होंने अपनी अमानत को सुरक्षा की बात सोच कर इन संस्थाओं को सौंपा है और जिसे उनके बाप–दादाओं ने पिता- पितामह ने एकत्रित किया है। आपको अगर करना ही था तो उनका जहां जहां जो संग्रह है उसकी सुव्यवस्था वहीं वहीं करनी चाहिये थी। एक ओर आप प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की बात करते अघाते नहीं, पर दूसरी तरफ जो जनता के रोजमर्रा की चीज है, जनता जिससे रोज ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करती रहती है उसका केन्द्रीयकरण करने जा रहे हैं। तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान आग्रहपूर्वक आकृष्ट करूंगा कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करे। अगर संग्रह भी करे तो जयपुर में करे, वहां करने पर भरतपुर वालों को भी कोई असुविधा नहीं हो सकती। पर यहां तो सोचा ही दूसरी दृष्टि से जाता है। एक हमारे देश का भी पुरातत्व विभाग है दिल्ली में। वहां समझ में आ सकता है, वह देश की राजधानी है। हो सकता है इसको कुछ जस्टिफाई कर सकें। पर यह क्या मतलब कि चूंकि हमें कहीं कुछ न कुछ महकमे रखने हैं और इसलिये पुरातत्व का महकमा चूंकि जोधपुर रखना है तो पुरातत्व को सारी सामग्री भी वहीं रखी जावे ? हाई कोर्ट वहां रखा, उसमें तो जाने वाला झख मार कर जावेगा। पर पुरातत्व का विद्वान् क्यों जावे ? लेकिन उसको भी मजबूर सरकार करती है कि अगर तुम्हें एक किसी विषय में पुरातत्व के विषय में भी कोई डॉक्टरेट करनी है, रिसर्च करनी है और इसमें कुछ रुचि है तो जोधपुर ही जाओ। ऐसी दृष्टि में मैं तो यह आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा सरकार से कि जो जहां की चीजें हैं उनको वहीं सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है, खानों के एकाधिकार देने पर बहस करने हेतु। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह विशालकाय राजस्थान कितनी ही चीजों में पिछड़ा माना जाता है। आज शिक्षा की दृष्टि से भी किसी जमाने में पिछड़ा रहा है, पानी की दृष्टि से तो अब भी पिछड़ा हुआ है, बिजली और दूसरे आधुनिक उपकरण हैं उनकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ अभी तक है ही....

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : अब पिछड़ा हुआ कहां है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो बहुत पिछड़ा है। आपने केवल जयपुर, झालावाड़, कोटा वगैरह को ही देखा है। मद्रास में जाकर देखिये। गांव गांव में बिजली

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है, यू० पी० में जाकर देखिये गांव गांव में बिजली है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दृष्टियों से पिछड़ा हुआ होने पर भी राजस्थान एक चीज़ में बहुत सम्पन्न रहा है और वह है खनिज पदार्थ। पुराने हमारे महाराजाओं के पास इतने आधुनिक उपकरण नहीं थे कि जिनसे वे इन पदार्थों का पूर्ण लाभ उठा सकते। लेकिन खनिज पदार्थों की दृष्टि से हमारा राजस्थान बड़ा सम्पन्नशाली है। लेकिन आज जिस प्रकार से उन खानों पर काम कराया जा रहा है वह मैं समझता हूँ कि जन-हित की दृष्टि से, हमारे देश की वर्तमान नीति की दृष्टि से और हमारे संविधान की मन्शा की भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। आज हमारे राज्य की खानें अधिकतर एक प्रकार की 'मोनोपॉली' में दी हुई हैं। कहा जा सकता है कि वह एकाधिकार में कहां हैं कॉन्ट्रेक्ट में दी हुई हैं, लीज़ पर दी हुई हैं। यह कहा जा सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधान में जिस प्रकार का उल्लेख है कि सामूहिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके विपरीत हमारे राज्य की नीति जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं अपने संविधान की धारा ३९ के अन्दर जो नीति के निर्देशक तत्व में तीन खास बातें रखी हैं उनको पढ़ रहा हूँ। इसमें बताया है कि :—

(१) सामुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार से बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(२) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो,

(३) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

इस प्रकार से यह आगे और भी चलता है। लेकिन जिन तीन का मैंने यहां पर उल्लेख किया है, मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान तरीका हमारे राजस्थान में चल रहा है, इन खानों के देने का, उसमें इन तीनों को पूर्ण रूप से अवहेलना होती है। हमारे यहां पर सौभाग्य से चांदी की भी खानें हैं, जस्त की भी खानें हैं, पत्थर की भी खानें हैं और माइका की भी खानें हैं और अब तो और कई प्रकार की खानें हमारे यहां निकल रही हैं। लेकिन हमारे यहां खास तौर से दो खानें एक माइका की और एक पत्थर की ऐसी है कि जिनमें राजस्थान में बहुत दिनों से अच्छा काम होता आ रहा है। मैं जिस स्थान से आ रहा हूँ वहां पत्थर की बहुत खानें हैं। वे पत्थर की खानें, किसी जमाने से, आज से नहीं, कम से कम इतिहास इस बात का साक्षी है कि अकबर का लाल किला उसी पत्थर का बना हुआ है, दिल्ली का सचिवालय उसी पत्थर का बना हुआ है, आगरे की सारी इमारतें उसी पत्थर की बनी हैं, जो कि भरतपुर और धौलपुर के आसपास निकलता है और वह पत्थर कभी भी बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर्स को मोनोपोली के रूप में नहीं दिया गया। उसे वहां के लोग, वहां की जनता पुश्तों से, सैकड़ों वर्षों से निकालती आ रही है। यह उनका सैकड़ों वर्षों से धंधा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे सारी की सारी खानें दूसरे तरीके से दी जाने लगी हैं और वह तरीका राजस्थान गवर्नमेन्ट ने अपने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

माईनर मिनरल कन्सेशन रूल्स नाम की एक पुस्तिका छपी है उसमें एक तरह से नियमबद्ध किया है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि नियम जैसा भी इसमें रखा है वह सारा जैसा मैंने अभी बताया है कि एक समाजवादी ढांचा जिसको कहना चाहिए और हमारे राज्य की नीति और देश की नीति जो समाजवादी समाज बनाने की है इसके विपरीत है। आज हमने जागीरदारी को खत्म किया, जमीदारी को खत्म किया, लेकिन आज इस मामले में हमारे कुछ मध्यस्थ बने हुए हैं। उनको चाहे हम कान्ट्रेक्टर कहें या लेसी कहें, कुछ भी कहें; उनके लिए यहां तक इसमें प्रावधान रखा है कि यह जो ठेका दिया जायेगा वह ३० मील तक का दिया जा सकेगा। एक आदमी को, जबकि मेजर मिनरल १० मील से अधिक का नहीं दिया जाता। ऐसे कुछ रूल रखे हैं :

"No person shall be allowed to have more than 30 sq. miles". तो इतने बड़े ठेके को लेने के लिए वे लोग समर्थ नहीं हो सकते जो कि अपने हाथों से कम करते हैं। मेरे ख्याल से तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यह चीज देनी चाहिए थी। इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी डिटर्मिन की हैं लेकिन उसमें यह कहीं देखने को नहीं मिला कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी कोई प्रायोरिटी रखी है। प्रायोरिटी में पास्ट एक्सपीरियेन्स का क्राइटेरिया है। तो समझ में नहीं आता कि पास्ट एक्सपीरियन्स सबसे ज्यादा किसका माना जायेगा; उसका माना जायेगा जिसके यहां कि पुश्तों से यह काम चला आ रहा है या जो सेठ-साहूकार आज इसमें आकर बैठ गये हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियेन्स है ? किस का एक्सपीरियेन्स ज्यादा माना जायेगा ? आज इसका नतीजा यह हुआ है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो उनकी जीविका का साधन था, वे लोग गुलाम बन कर रह रहे हैं। पहले यह तो रियायत थी कि किसी को जो वहां का रहने वाला है उसको अपने निजी काम के लिए पत्थरों की आवश्यकता हो, वह ले सकता था, लेकिन आज वह भी नहीं ले सकता। जो नियम बनाये गये हैं उनके ऊपर भी कोई अमल नहीं किया जाता है और इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इन खानों के छोटे छोटे टुकड़े बना कर स्थानीय लोगों को दिया जाये तो लोग स्वाभिमान के साथ रह सकेंगे। इतने लोगों का काम आप एक के सुपुर्द कर देंगे तो यह तो एकाधिकार की ही बात हो गई। तो इस तरह की जो हमारी एकाधिकार की नीति है चाहे उसको आपने किन्हीं शब्दों में रखा हो लेकिन उसका कुल का अर्थ यह होता है कि आप एक के हाथ में स्वामित्व दे दें जिसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियेन्स नहीं है सिवाय इसके कि उसकी बैंक गारन्टी अच्छी हो सकती है, और कोई बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि हम पूंजीवाद की ओर जाते हैं, समाजवाद की ओर नहीं। इस दृष्टि से मैंने ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं कि जो हमारा एकाधिकार है खानों के अन्दर उसको समाप्त किया जाये और जो स्थानीय लोग हैं उनको यह काम दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटमोशन आगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Not moving ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे हैं। गल्ती से आ गये हैं।

४ कटमोशन्स हैं वे मैं एक साथ रख दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे यहां तो क्रमबद्ध है। १६,३१,३२ और ३४.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He wants to speak later on.

२.० म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग पर यह है कि एक रुपये की कटौती की जाय पत्थर की खानों के बारे में मेरा कट मोशन है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन में वैज्ञानिक विभाग के बारे में अभी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। लेकिन यह जो विभाग है, मेरा अधिकतर संबंध खनिज विभाग से है। खनिज विभाग हमारे राजस्थान का हो या देश का, कोई भी हो, खनिज विभाग जो हमारे देश का खनिज द्वारा जो उत्पादन होने वाला है उसकी खोज करे और खोज करके अधिक उत्पादन बढ़ावे जिससे देश को और राज्य को लाभ मिल सके और वहां के रहने वाले लोगों को उससे फायदा मिले और उससे बेकारी भी दूर हो जाय। यह बहुत बड़ा महत्व का विभाग है। यदि यह विभाग कमजोर रहता है तो वहां हमारे देश में और उन बेकार लोगों के लिये बड़ा भारी मतभेद पैदा होता है और लोगों में बेकारी बढ़ती है।

जहां पत्थर की खानें हमारे राजस्थान के हर जिले में कहीं भी हैं वहां पर वहां के लोग इस पत्थर की खानों में मजदूरी करके अपने पेट का गुजर करते हैं। अब सरकार अपने विभाग के जरिये वहां की खानों की इस प्रकार से एक मोनोपोली किसी व्यक्ति को देकर मजदूरों का भी बीच में शोषण करती है। इसमें आज हम देखते हैं कि एक समाजवादी राज्य का नारा देकर जिन लोगों को हम मजदूरी दे सकते हैं और सहकारिता के आधार पर वहां के लोगों को भी इस प्रकार से फायदा था, ताकि बीच में कोई ठेकेदार उन लोगों का शोषण नहीं करे। लेकिन अभी जिन लोगों को ठेका देकर वहां के मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उस बारे में सरकार ने अभी तक सही कदम नहीं उठाया है और जिन लोगों का पत्थर का ठेका था उनको लाभ पहुंचाने के लिये उनका ठेका बढ़ाया जा रहा है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि उनके यहां भरतपुर, बयाना, पहाड़पुर आदि स्थानों में जो पत्थर की खदानें हैं वहां पर भी ऐसा सुनने में आया है कि वहां के कुछ लोगों ने मजदूरों की सहकारी समिति बना कर सरकार से मांग की है कि ये खदानें सहकारिता के आधार पर मजदूरों को दी। जाय सरकार ने इन सहकारी समितियों को न देकर ठेकेदारों को देने की कोशिश की है और वहां के सैकड़ों मजदूरों

(श्री मोगजीभाई)

का वह इन ठेकेदारों द्वारा शोषण करायेगी।

यह भी सुना जाता है कि ठेकेदार करीब ३० वर्ग मील पर एक लाख रुपये सरकार को ठेके के देंगे और एक कुम्हेरगढ़ की सहकारी समिति है वहां एक ही गांव में ६०,००० की बोली लगा कर उसने एक डेपुटेशन सरकार के पास भेजा है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई विचार नहीं किया है। इससे पहले भी इसी प्रकार से पत्थर की खानों का ठेका जिन लोगों को दिया गया है उन ठेकों से मजदूरों का जो शोषण हुआ है उस पर मजदूरों ने वहां के ठेकेदारों के खिलाफ कदम उठाने की सरकार से मांग की थी; लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्डोन में कई पत्थर की खदानें हैं। वहां के मजदूर पहले से ही रॉयल्टी सरकार को देकर जो मजदूर पत्थर निकालने का काम करते थे उनको बिना जानकारी दिये, बिना कहे, सरकार ने किसी ठेकेदार को ठेका देकर उन मजदूरों से रॉयल्टी वसूल करने का आदेश दिया है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : कहां के बारे में कहा, सुना नहीं ?

श्री मोगजीभाई : हिन्डोन में पत्थर की खदानें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो उत्तर प्रदेश में हैं ?

श्री मोगजीभाई : जो सवाई माधोपुर में हैं।

वहां पर जो अखबारों की खबर सुनी तो वहां के मजदूरों के खिलाफ जो ठेकेदारों को ठेका देकर मजदूरों से रॉयल्टी वसूल करने का आदेश दे दिया। जिस पर मजदूरों की मांग थी कि सरकार ने हमको जो मयाद दी है उस मयाद के अनुसार हथोड़ा सिस्टम के अनुसार आइन्दा जून माह तक कायम रखे और काम करने दे। लेकिन सरकार द्वारा जिन ठेकेदारों को अधिकार दिया गया उन ठेकेदारों ने मजदूरों से रॉयल्टी वसूल करना शुरू कर दिया। करीब चार हजार मजदूरों ने....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितने हजार मजदूरों ने ?

श्री मोगजीभाई : चार हजार मजदूरों ने २० रोज तक हड़ताल रखी। उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया। लेकिन कुछ दिन बाद सरकारी तौर पर आश्वासन दिया गया कि तुम्हारे हथौड़ा सिस्टम को कायम रखा जायगा। उसके बाद फिर आश्वासन तोड़ दिया और एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल भी की। १० दिन तक भूख हड़ताल रखी, फिर भी सरकार ने संतोषजनक निर्णय नहीं दिया। इस प्रकार को आये दिन हमारे यहां की पत्थर की खानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों से रॉयल्टी वसूल करने का ठेका न दिया जाय और बीच के ठेकेदार मुनाफा कमाने के लिये शोषण कर रहे हैं यह समाजवादी व्यवस्था या लोक-तंत्रीय राज्य की नीति नहीं कहलाई जा सकती।

वैज्ञानिक विभाग के दूसरे जो पदार्थ खदानों से मिलने वाले हैं या किसी प्रकार से

Page No.63

श्री मोगजीभाई)

उत्पादन बढ़ाने के लिये हैं उनके लिये। इस प्रकार से एक नीति निर्धारित करके हमारे राजस्थान की पहाड़ी जमीन में इस प्रकार के पदार्थ जो दबे पड़े हुए हैं वे लाखों–अरबों रुपयों के धन हैं, उस धन को किसी प्रकार से निकाल कर हम यहां का उत्पादन बढ़ावें और मजदूरों को मजदूरी दें। इस विषय में एक माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी घंटी बज रही है वह जल्दी समाप्त करने का संकेत है।

श्री मोगजीभाई : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। एक पुस्तिका प्रकाशित करके प्रचार करने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में मैं भी माननीय मन्त्रीजी से कहूँ कि इस प्रकार कोई भी अधिक कीमत देकर व्यक्तिगत या प्राइवेट कोई भी कम्पनी खनिज विभाग से मुनाफा या फायदा उठाती है। यदि राज्य सरकार इस विभाग द्वारा इस तरह का नमूने के तौर पर राजस्थान की हरेक पंचायत या पंचायत समिति को भेजे और बतावे कि इस प्रकार का कोई मिट्टी या पत्थर है, कोई धातु है उसका अमुक मूल्य आता है, यह बताने पर वहां के लोगों को भी फायदा मिलेगा और वे चीजें हमारे देश में और विदेशों में मांगी जाती हैं। जो उन चीजों को बताये, उसको इनाम दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर पत्थर की, मैंगनीज की, सोना-चांदी की, तांबा–पीतल की कई खदानें हैं, जो उनको खोज कर पता लगाये और लोगों को बताये उनको सरकार इनाम दे। कोई भी चीज को बताये उसको इनाम दे। इसी प्रकार सरकार खुद अपने विभाग के द्वारा जांच करे, सदस्य लोगों से, गांव के लोगों से जानकारी करे तो कई चीजों का पता लग सकता है। इसके साथ ही इस प्रकार के नमूने हर एक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को दे ताकि जो कोई भी आदमी उन चीजों का पता लगाना चाहे उनको बता सके। यही मेरी अर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक कट मोशन है। मैं इस कट मोशन के जरिये सरकार का ध्यान पेट्रोलियम प्रोस्पेक्टिंग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जैसा अखबार में भी आया है कि स्टैन्डर्ड वेक्यूम कम्पनी जैसलमेर में प्रोस्पेक्टिंग करना भी चाहती है; ऐसा अखबार में आया था। मैं समझता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जैसलमेर और राजस्थान के दूसरे एरियाज़ के प्रोस्पेक्टिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को एप्रोच करे और जो प्राइवेट कम्पनी प्रोस्पेक्टिंग करना चाहे उसको प्रोस्पेक्टिंग की सुविधा देनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ, राजस्थान में प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाया लेकिन आसाम में प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, गुजरात में प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है और एक रिफाइनरी बनाने का फैसला किया गया है। मैं समझता हूँ कि कोई रिफाइनरी यहां पर भी बन सके तो उससे सिर्फ पेट्रोलियम ही मिलता हो; ऐसी बात नहीं है; लेकिन उसके साथ ही साथ इन्डस्ट्रियल एरिया का डेवलप-मेंट होता है, इन्डस्ट्रियल सैक्टर का डेवलपमेंट होता है। मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस बात की ओर माननीय मुख्य मंत्रीजी का

Page No.64

(श्री पी० के० चौधरी)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अब मैं एक–दो बातें, जो दूसरे कट मोशन्स पेश हुए हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हमारे माइन्स डिपार्टमेंट का जो बजट है, उसमें रेवेन्यू अकाउन्ट में लगभग ३० लाख रुपये का प्रावधान किया है और केपिटल अकाउन्ट में २२ लाख का प्रावधान है यानी माइन्स का टोटल बजट है इस साल का वह करीब ५३ लाख का बजट होता है। जो मिनरल डेवलपमेंट के आउट–ले के अन्दर प्रावधान हमने किया है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हो, यह जानने की मैंने वॉल्यूम २ से कोशिश की थी, हालांकि जैसे दूसरे केपिटल एक्सपेन्डीचर को जिस जिस बात पर खर्च किया जा रहा है उसमें उसकी डिटेल्स हैं, लेकिन मिनरल डेवलपमेंट के लिए २२ लाख का प्रावधान रखा है, उसके विषय में डिटेल्स नहीं दी हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार जो केपिटल अकाउन्ट में जो लम्प सम प्रोवीजन किया जाय, उसमें कम से कम ये इन्डीकेशन्स हों कि किस दिशा में यह खर्च किया जायगा।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह है कि माइन्स का प्लान बजट है वह पांच साल का लगभग ३ करोड़ ६५ लाख के करीब बजट है और प्लान स्कीम्स में हमने जो बजटेड अमाउन्ट रखा है वह इस ५३ लाख में से ३० लाख का रखा है। हमने जैसा कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स में करीब करीब १४ पर्सेन्ट ऑफ दी प्लान का इस साल रखने की कोशिश की है, जो पांच साल का हमारे प्लान का सीलिंग ऑफ एक्सपेन्डीचर था उसका १४ पर्सेन्ट बाकी डिपार्टमेंट में रखने की कोशिश की है, उसके हिसाब से बजट भी बनाया गया है और वित्त मन्त्रीजी ने अपने जवाब में और मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा कि १४ पर्सेन्ट खर्चा कर रहे हैं इस प्लान्ड अमाउन्ट में से। मगर माइन्स का जहां तक सम्बन्ध है, मैं देखता हूँ कि ३० लाख के करीब रखा है, जो १० पर्सेन्ट से भी कम है, ८ पर्सेन्ट के करीब आता है हमारे प्लान सीलिंग का। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसमें भी ध्यान देगी।

एक बात के लिए हम गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए रुपया रखा है। उसके लिए दो लाख रुपया रखा है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ, स्टेट माइनिंग कोर्पोरेशन के एस्टब्लिशमेंट का अनाउन्समेंट भी इस सैशन में हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। जहां तक मुझे ख्याल है अनाउन्समेंट अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए बजट प्रोविजन के साथ ही अनाउन्समेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कर दें मुख्य मन्त्रीजी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिपार्टमेंट के ढांचे के सम्बन्ध में एक–दो बातें कहना चाहता हूँ। जहां तक माइन्स डिपार्टमेंट का ढांचा है, हम देखते हैं कि हमारे यहां माइनिंग इन्जीनियर्स हैं और ये माइनिंग इन्जीनियर्स हमने मिनरल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं; लेकिन दर-असल उनकी ड्यूटी इस प्रकार की दी है कि कुछ तो उनका टाइम बाउन्डरी के झगड़ों में जाता है और कुछ टाइम तहसीलदार का वसूली

(श्री पी० के० चौधरी)

करने का काम माइनिंग इन्जीनियर करता है उसमें जाता है । जहां तक वसूली करने का काम है, बाउन्डरी निर्धारित करने का काम है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को दिया जाय तो अच्छा रहेगा और माइनिंग इन्जीनियर्स को एक रीजनल रेस्पोन्सिबिलिटी दें, जैसे उदयपुर डिविज़न का माइनिंग इन्जीनियर है, वहां हर प्रकार के मिनरल्स आते हैं; चाहे माइका हो, चाहे आइरन ओर हो, चाहे सोप स्टोन हो; उन सब के डेवलपमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है, चाहे कोपर हो, चाहे जिंक हो, सब की रेस्पोन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, ही बिकम्स ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स । मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा किया जाय कि एक एक माइनिंग इन्जीनियर की रेस्पोन्सिबिलिटी फॉर पर्टीक्यूलर मिनरल; एक, दो, तीन मिनरल के डेवलपमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी दी जाय, वह मिनरल कहीं भी हो—भरतपुर में हो, उदयपुर में हो और किसी भी स्थान पर हो । मैं समझता हूँ कि इस तरह से उनके ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं उस मिनरल के डेवलपमेंट की । दूसरी बात यह होती है कि एक्सक्लूज़िवली एक दो मिनरल के डेवलपमेंट का काम करेंगे तो एक तरफ तो स्टेट के अन्दर इस मिनरल की क्या कन्डीशन है, इस सम्बन्ध में जानकारी हो सकती है और दूसरी तरफ एक्सपरटाइज़ उस मिनरल के लिए उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं । मैं समझता हूँ कि जो आर्गेनाइजेशन है, उसका रीऑर्गेनाइजेसन किया जाय वह इस प्रकार किया जाय । मैं समझता हूँ कि हमको उससे ज्यादा मदद रहेगी । बस, इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ ।

हां, एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोन के लिए २० लाख का प्रावधान रखा है । मैं समझता हूँ कि मिनरल डेवलपमेंट हम हमारे स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के जरिये और प्लानिंग के अन्दर लॉग टर्म प्रोजेक्टस के अन्दर करना चाहते हैं । लेकिन जो बाकी मिनरल हैं उनका एक्सटेन्शन हो और माइनिंग की व्यवस्था हो छोटे छोटे ठेकेदारों के जरिये, इसके लिए लोन का प्रावधान रखा है दो लाख का, वह कम है, ताकि सहकारी समिति बनाने का प्रावधान रखना चाहते हैं, ताकि जो छोटे छोटे लोग और कॉन्ट्रेक्टर्स हैं और दूसरी तरह के लोग हैं, जो माइनिंग में इन्ट्रेस्ट रखते हैं उनको ज्यादा सहूलियत मिल सके । बस, इन शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन रखता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (मोडी, डि० झालावाड़ में लोहे की खानों के सर्वेक्षण पर बहस करने हेतु)

उपाध्यक्ष महोदय, मोडी की लोहे की खानों का इतिहास बहुत पुराना है, जब वहां के पत्थर से लोहा गला कर उसका मैल साफ कर के और उससे कृषि के औजार बना कर व गृहस्थ के काम में आने वाले औजार बना कर लोग-बाग और लोहार बेचा करते थे और वे औजार दूर दूर तक भेजे जाते थे, केवल राजस्थान में ही नहीं, अपितु मध्यभारत में और

(श्री सम्पतराज जैन)

दूर दूर के इलाकों में भेजे जाते थे। पहले यह काम वहां व्यक्तिगत तौर पर होता था, बाद में आज से करीब डेढ़ सौ २०० साल पहले मारवाड़ के काफी लोहार आये और वहां उन्होंने तीस-चालीस दूकानें खोलीं और सामूहिक तौर पर काम करने लगे। उस समय बम्बई आदि से पुराना लोहा आता नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे इसलिये जिस तरह आज लोहे को गला कर खेती के औजार बनाते हैं उस तरह नहीं बनाये जाते थे। यह काम मोडी गांव में जो झालावाड़ से २६ मील दूर बकानी तहसील में है, होता था। यह क्षेत्र २५ मील लम्बा, ५ मील चौड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया है और मध्य प्रदेश की सरहद को पार कर गया है। वहां यह काम होता था और वहां से लाखों रुपये के औजार बना कर दूर दूर भेजे जाते थे। इस तरह वहां यह ग्रामोद्योग होता था। बाद में जंगल कम हुए, लोहे के पत्थर को गलाने के लिये लकड़ी कम होती गई, बाहर से सस्ता लोहा आने लगा तो वहां लोहारों ने लोहे के पत्थर को गला कर लोहा निकालना बन्द कर दिया, बम्बई वगैरह का पुराना लोहा लाकर गलाने लगे और उससे कृषि वगैरह के औजार बनाने लगे, पर मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, वे लोहार वहां मौजूद हैं। खेती और दूसरे कामों के औजार वे बनाते हैं, वहां लोहे की खान मौजूद है, पर उसके लोहे का उपयोग हमारे यहां राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। इसका खास कारण यह है कि वह मुकाम जहां से लोहे का पत्थर निकलता है, चन्द लोग जानते हैं, न उसकी सर्वे हुई है और न राजस्थान सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट उस पर प्रकाशित हुई है। ५७ के बजट भाषण के समय भी मैंने कहा था कि वहां की सर्वे कराई जाय, पर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये यह कटौती प्रस्ताव सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये पेश करना पड़ा।

(२. २५ म. प)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार उस क्षेत्र की सर्वे करावे कि वहां उचित मात्रा में लोहा निकल सकता है कि नहीं। सर्वे होने के बाद ही पता चल सकता है और तभी छोटे मोटे उद्योगपति वहां उद्योग स्थापित कर सकते हैं या स्वयं सरकार वहां उद्योग स्थापित करे। पर यह सब सर्वे कराने के बाद ही सम्भव हो सकता है। इस बात की सर्वे कराई जाय कि वह कितना एरिया है जहां से लोहे का पत्थर निकल सकता है और दूसरी इस बात की सर्वे कराई जाय कि वहां किस प्रकार का लोहा कितनी मात्रा में मिलता है। पत्थर में लोहे की मात्रा उपयुक्त नहीं है तो वहां कोई काम नहीं करना चाहेंगा। तो मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ६१– ६२ में ही इसकी सर्वे करवावें।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, झालावाड़ के पास सीमेंट का पत्थर काफी मात्रा में है, झालावाड़ से ले कर सुकेत तक उसकी शाखा चली गई है, ७ मील के एरिया में सीमेंट का पत्थर है। अगर इस ओर राजस्थान सरकार

(श्री सम्पतराज जैन)

ध्यान दे तो आज राजस्थान में और हिन्दुस्तान में सीमेंट की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। पर वहां भी वही सर्वे का प्रश्न है। ट्रेक कितनी लम्बी है, कितनी चौड़ी है, कितना पत्थर वहां से निकल सकता है, इसकी सर्वे की जाय; पर यह बात सही है कि काफी लम्बी ट्रेक कोटा एरिया में सीमेंट के पत्थर की है तो ऐसी बात नहीं है कि सर्वे कराने में पैसा फालतू जायगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि लोहे और सीमेंट के पत्थर की सर्वे कराने को मुख्य मन्त्री कृपा करें।

इसी तरह तांबे के बारे में भी निवेदन करूंगा कि झालावाड़ के पास तांबे की खान है, वहां काफी तादाद में तांबा मिल सकता है, सर्वे कराने की आवश्यकता है।

न लोहे के लिये सर्वे की गई है, न सीमेंट के पत्थर के बारे में सर्वे की गई है और न तांबे के बारे में सर्वे की गई है। २३, २४ और २५ नम्बर के कटौती प्रस्ताव इस दृष्टि से मैंने पेश किये हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनकी जल्दी सर्वे कराई जाय। झालावाड़ में बेकारी किस परिमाण में है, मुख्य मन्त्रीजी स्वयं जानते हैं कि किसी भी और जगह इतना सस्ता मजदूर नहीं है जितना झालावाड़ में है। ५१-५२ में सुनेल का एरिया इसमें जोड़ा जाने के बाद वहां की पोपुलेशन ५ लाख हो गई है, तो बेकारी पहले से और अधिक बढ़ी है। वैसे राजस्थान सरकार ने भवानीमण्डी में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में कॉटन मिल खोलने का निश्चय किया है और मुख्य मन्त्री ने उद्घाटन भी कर दिया पर केवल कॉटन मिल से बेकारी दूर नहीं हो सकती, जमीन के अन्दर जो सम्पत्ति गड़ी पड़ी है, उसको बाहर निकाल कर उद्योग चालू किये जायं, तभी हमारे जिले की बेकारी दूर हो सकती है।

मैं अपने चौथे कटौती प्रस्ताव के जरिये निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि झालावाड़ जिले में और वैसे कोटा डिविजन में इमारती पत्थर काफी मिलता है। आज से २० साल पहले के भावों से मुकाबला किया जाय तो पता चलेगा कि आज पत्थर पहले ४ रुपया प्रति सौ स्क्वायर फुट था, वहां अब ३२ रुपया प्रति सौ स्क्वायर फुट हो गया है और इमारती पत्थर जहां पहले चार आना, छः आना प्रति घनफुट था वहां अब ३ रुपया घनफुट हो गया है, आठ गुना कीमतें इमारती पत्थर की बढ़ गई हैं पर आमदनी के आंकड़ों को देखते हैं तो खनिज विभाग से ८ गुनी आमदनी नहीं बढ़ी है। इसका कारण यह है कि इन खानों का ऑक्शन नहीं होता, कहीं रॉयल्टी से दी जाती हैं और कहीं एक्सेसिव रॉयल्टी से दी जाती है। मेरा निवेदन है कि न रॉयल्टी से दी जायं और न एक्सेसिव रॉयल्टी से दी जायं और न ठेके से दी जायं। पर ठेकेदार को देने का सवाल हो तो आप इन खानों का ऑक्शन करें। इस तरह किया जाय तो कम से कम २५–३० लाख रुपया खनिज विभाग से ज्यादा मिल सकता है।

तो मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये निवेदन करूंगा कि जो खानें दी जायं वे रॉयल्टी, एक्सेसिव रॉयल्टी के बजाय ऑक्शन से दी जायं।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : श्री सभापति महोदय, मांग संख्या १४ पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। यह पुरातत्व

(श्री धन्नालाल हरित)

विभाग द्वारा कोटा जिले की पुरानी एवं ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण न करने के बारे में है। राजस्थान के सुदूर पूर्व में एक शाहबाद नाम का स्थान है। यह कोई अन्दाज नहीं लगा सकता कि कभी शाहबाद नाम का बड़ा शहर रहा होगा।

एक माननीय सदस्य : कौन सा नाम बताया ?

श्री धन्नालाल हरित : शाहबाद।

वह एक बहुत बड़ा शहर किसी समय में रहा था और उसको देखने के लिये कई आदमी आये। उसको देखने के लिये हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह औरंगजेब भी यहां पहुँचा। उसने वहां पर उसकी इम्पोर्टेन्स को देखते हुए एक मस्जिद बनाई जो जुम्मा मस्जिद की तौर पर है। आज उसके चारों तरफ ५० दूकानें हैं और उस मस्जिद का वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है जैसा जुम्मा मस्जिद का है, लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग के होते हुए भी उस मस्जिद की हालत खराब होती जा रही है; किन्तु पुरातत्व विभाग का ध्यान अभी तक उसकी तरफ नहीं गया है। मैं सरकार का इस कट मोशन के द्वारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

दूसरा, इसके पास ही एक, कहते हैं कि, शेरशाह सूरी के जमाने का किला बना हुआ है। वह एक ऐतिहासिक स्थान है। आखिरी वक्त में वह किला ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मण लोग वहां पर राज्य करते थे। पुरानी कहावत है, किंवदन्ति है कि जब जब जालमसिंहजी सत्ता में आये तो उन्होंने इसको जीतने का प्रयत्न किया। उस समय यहां ब्राह्मणों का राज्य था। उन्होंने उस पर हमला किया तो लोगों ने उनको मार्ग बताया कि आप तो वही नीति अपनावें जो ब्राह्मणों के लिये अपनाई जाती है। जालमसिंहजी ने बहुत बड़ी दावत की और किले में से सब लोग जीमने के लिये आ गये और उन्होंने उस किले पर कब्जा कर लिया। तब से यह कहावत प्रचलित है कि ब्राह्मणों ने खाने पर शाहबाद का किला खो दिया।

सभापति महोदय, जब से यह किला सरकार के हाथ में आया है तब से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस किले में कई मन्दिर हैं और अच्छी अच्छी इमारतें हैं। वह तहसील के कब्जे में है। उस तहसील के लोग ही वहां से पत्थर और दूसरी सारी चीजें तोड़ कर उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा और निवेदन करूंगा कि उन ऐतिहासिक चीजों को विध्वंसकारियों से बचाइये।

इसके पास किशनगंज और वहीं विलास गांव है। वहां बारबंगा भी है। वह किसी समय में बड़ा आबाद था, मगर आज उसकी वह स्थिति नहीं है। पहले बारबंगा से सामान विलास को बिकने के लिये आता था मगर आज विलास से बारबंगा जाता है। समय के अनुसार गांव बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आज भी वहां विलास को जाकर देखें तो आपको यह मालूम हो सकता है कि वहां कारीगरी का नमूना है और वहां की चीजें, मैं समझता हूँ कि जयपुर के अजायबघर और कोटा के सरकिट हाउस में लाई गई हैं।

(श्री धन्नालाल हरित)

उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि कितनी सुन्दर कला है। मगर आज वहां के आसपास के गांव वाले वहां के पत्थरों को लेजाकर लगाते हैं। आज वहां पर ऐसी ऐसी मूर्तियें हैं कि आपको १० हजार में नहीं मिल सकतीं उनको तोड़ कर ले जाते हैं। आज वहां की बहुत बड़ी कला सरकार के पुरातत्व विभाग के होते हुए भी खत्म होती चली जा रही है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे इसको विध्वंस होने से बचावें।

इसके पास ही किशनगढ़ तहसील में रामगढ़ का मन्दिर है। वहां किसी जमाने में हिन्दुस्तान में वाममार्गियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके मठ वहां पर रामगढ़ में भट्टावाड़ा के मन्दिर कहते हैं। वे भी इसी अवस्था में हैं। मैंने भी उसको जाकर देखा है। उसमें ८४ आसनों के नमूने हैं और उस जमाने की कला का नमूना है लेकिन आज उस मन्दिर की वही दशा है।

एक माननीय सदस्य : आप सीख रहे हैं।

श्री धन्नालाल हरित : इसको तो कोई भी सीखना चाहे, सीख सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वह किसी भी तरह का है लेकिन अपने काल का नमूना है। पुरानी संस्कृति को बताने-वाला एक अच्छा नमूना है। अगर पुरातत्व विभाग चाहे तो उसको विनाश होने से बचा सकता है। मेरे कट मोशन के द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि इसको भी विध्वंस होने से बचाया जावे।

अटरू तहसील में कहते हैं कि एक गरूड़जी का मन्दिर था उसको औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वह तो नष्ट हो गया लेकिन वहां पर एक दूसरा मन्दिर है। वह बाहर से ऐसा दिखता है कि थोड़े ही दिनों में गिर जावेगा। अगर अन्दर से आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होता है कि मन्दिर १० या २० वर्ष पहले ही बनाया गया है। लेकिन गांव के किनारे होने से उसको भी कोई देख-भाल करने वाला नहीं है। इसलिये उसकी भी हालत यही है। गांव में नया विकास हो रहा है। लोग उसकी सारी चीजों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और इसको भी नाश होने से बचाया जाए।

मैंने पिछले वर्ष बारां में एक गढ़ है, किले के गढ़ कहते हैं। वहां बहुत बड़ा तालाब बताया जाता है। उसके बीच में एक इमारत १२वीं शताब्दी की है। इस पर कोई शिला-लेख भी लिखा हुआ है। इसको कोई पढ़ नहीं सकता। १२वीं शताब्दी का है। कहते हैं कि कोई जैनियों के मुनि वहां आये थे उस बात को बहुत समय बीत गया। यहां पर बहुत से आदमी दर्शन और पूजन के लिये जाते हैं और वह सरकार के अधिकार में है। मगर सरकार का ध्यान उस ओर कतई नहीं गया है। यह गांव के बीच में होने से लोग इसको बर्बाद करते हैं। यह पहले पी. डब्ल्यू. डी. के अन्डर में चला गया था, फिर म्युनिसिपैलिटी के अन्डर में और अब मैंने बहुत कोशिश करके इसको बचाया है और म्युनिसिपैलिटी से खाली करा दिया है। लेकिन

(श्री धन्नालाल हरित)

पुरातत्व विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया है। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि दो-चार साल में यह नष्ट हो जावेगा।

इसलिये सभापति महोदय, मेरा यही अनुरोध है कि जहां कोटा में कुछ मकानों के लिये पैसा दिया जावेगा, सुपरवाइजरों को पैसा बढ़ाया जावेगा तो मुझे आशा होती है कि इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव सरकार के समक्ष रख कर सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन स्थानों को बर्बाद होने से बचाये जाने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव २७, २८ व २६ हैं।

इन कट मोशनों की मारफत में सरकार का ध्यान भारत के उस मारबल उद्योग के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूँ जिसने इतिहास बनाया है। जो भी विदेशी जब कभी ताज महल को देखने आता है तो उस समय मकराना का नाम अवश्य आता है और इसकी इन्डस्ट्री के नाम पर इस स्थान का नाम मकराना रखा गया है। ताज महल में मकराने का पत्थर लगा हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद आदि में कई मन्दिर बने हुए हैं। इतना पुराना इस मकराने की इन्डस्ट्री का इतिहास है और यह मजदूरों को पालनेवाली भी है। जहां करीब २५ हजार मजदूर बसते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आज इतनी प्रगति होने के बाद भी राजस्थान में इसकी इतनी उन्नति नहीं हो पाई है जितनी कि होनी चाहिये थी। सरकार ने जो कुछ भी किया है इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मकराने की इस इन्डस्ट्री की जितनी उन्नति होनी चाहिये नहीं हुई है। सबसे पहले तो वहां पर सन् ५३ से ही बिजली की लोग आशा कर रहे थे कि आज पहुँचे, कल पहुँचे लेकिन यहां की इन्डस्ट्री के लिये बिजली की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई। कई इन्डस्ट्रियों का डेवलपमेन्ट हुआ है और राजस्थान में नई नई इन्डस्ट्रियों को लगाने के लिए लोगों को लाया भी गया है और लाये भी जा रहे हैं, लेकिन जो हजारों सालों से बनी हुई इन्डस्ट्री है, उसके लिए बिजली नहीं पहुँचती है। इसलिए मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा। उनको इसकी पूरी जानकारी भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी मकराना गये हैं और दो वर्ष पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे यहां बिजली पहुँचेगी, वैसे आश्वासन तो आज का नहीं था। लेकिन सन् ५३ का है। ६२ तक भी बिजली पहुँची तो कम से कम दस वर्ष तो पूरे हो जावेंगे!

दूसरा, इन्डस्ट्री को जो सबसे बड़ी दिक्कत आज है वह है रेल्वे फ्रेट के चार्जेज़ की। हिन्दुस्तान की किसी दूसरी पत्थर की इन्डस्ट्री में इतना चार्ज नहीं होगा। जब अंग्रेजों का टाइम था, विदेशी इन्डस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के कारण मकराना के पत्थर को लग्ज़री गुड्स में डिक्लेयर कर दिया गया। इटली को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया था। जान-बूझ कर इसको लग्ज़री गुड्स में रखा गया, न कि साधारण गुड्स में बाहर जाता है तो ऑर्डिनरी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

रेट पर नहीं, किन्तु लग्जरी गुड्स के हिसाब से रेलवे फ्रेट लगता है। इसमें और उसमें दस गुना फर्क है। किशनगढ़, चित्तौड़, जैसलमेर आदि की जगहों का पत्थर कहीं भी जाय लेकिन उस पर लग्ज़री गुड्स के हिसाब से पैसा चार्ज नहीं होता है, लेकिन सिर्फ मकराना के पत्थर पर ही यह होता है। अंग्रेजों ने इसको ऑर्डिनरी गुड्स की डेफिनिशन से निकाल कर, इटली की फर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए जिससे कि हिन्दुस्तान से प्रोफिट कमाए, लग्ज़री गुड्स में शामिल किया गया और उसी प्रकार से रेलवे फ्रेट की व्यवस्था की गई। आज इटली का मार्बल स्टोन हिन्दुस्तान में आना बन्द हो गया, लेकिन रेट को ऑर्डिनरी स्टेज पर नहीं लाया गया। जो भी आदमी दस हजार का मकान बनाना चाहेगा तो वह चाहे कि उसके मकान में मार्बल चिप्स लगें, टाइल्स उसके मकान में लगे। हिन्दू धर्म में तो कोई मूर्ति बिना मार्बल के नहीं बन सकती है। जब मूर्ति और मकान बनते हैं इस पत्थर से, तो यह एक नैसेसरी गुड्स में है, उसको यदि लग्ज़री गुड्स के नाम पर रखें तो उस इन्डस्ट्री के साथ अन्याय होगा। उस इन्डस्ट्री पर हजारों मजदूर पलते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इसको लग्ज़री गुड्स से हटा कर नैसेसरी गुड्स में कर देंगे। इससे इस इन्डस्ट्री का अधिक विकास हो सकेगा।

तीसरा, वहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। ४००–५०० खानें हैं। पांच सौ साल पहले की बनी हैं। काफी नीचे चली गई हैं, २००–३०० फीट गहरी चली गई हैं। मिट्टी वगैरह चीजें निकलती हैं जो कि वहां ऊपर पड़ी हुई हैं। जाने–आने का उन खानों में रास्ता बड़ा भयंकर है और प्रायः ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि जिसमें एक–दो मजदूर उनमें न दब जांय और मर न जाय। मलबा ऐसा पड़ा हुआ है कि जिसे आप स्वयं उसको जानते हैं। लेबर डिपार्टमेंट में कैसे पड़े हुए हैं, कम्पेन्सेशन का फैसला नहीं होता। ठेकेदार होशियार होते हैं जोधपुर में लेबर के ऑफिसरों से मिल जाते हैं। न तो उनको कम्पेन्सेशन मिलता है और न ही उनको बचाने या प्रोटेक्शन देने की कोई व्यवस्था है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मलबा पड़ा है उसको हटाया जावे और उन खानों से साइन्टिफिक तरीकों से पत्थर निकलवाया जावे, क्रेन से या दूसरे ढंग से, जिससे कि मजदूरों की जिन्दगी बच सके। और जो दब कर मजदूर मर जाते हैं उनको पूरा कम्पेन्सेशन समय पर मिले; इसकी व्यवस्था की जानी आवश्यक है। मजदूरों की तादाद अधिक है। रोटी खाने का उनके पास और कोई जरिया नहीं है। खान ही सब कुछ है। वे खानें इतनी भयंकर और खतरनाक बन चुकी हैं। फिर भी वे ही मजदूर वहां जाते हैं जिनके और कोई रोटी पैदा करने का जरिया नहीं। वहां के लोग इस बात क जानते हैं। वैसे मजदूरों की संख्या भी कम होती जा रही है, काफी वहां की डेन्जरस स्थिति हो रही है। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट वहां की व्यवस्था करे खान को अच्छी तरह से खोदने की और वहां के पत्थरों के द्वारा सड़क आदि बना कर खान तक मजदूरों को पहुँचाये, मलबा हटा दे। कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन ऐसी जगह खानें बनी हुई हैं कि बड़ी कठिनाई होती है वहां पहुँचने में। वहां पर बस्तियां बनी हुई हैं, पुराने मकान बने हुए हैं। वे मजदूर हैं जो वहां पर काम करते हैं और

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उनकी ही बस्तियां हैं। उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह प्लेन प्लेस में उनको बसाया जाय जहां कि उनके लिए पानी की व्यवस्था अवश्य हो। जिन बस्तियों में वहां मजदूर बसे हुए हैं, उनके नीचे बड़ा अच्छा मार्बल है और इस इन्डस्ट्री को डेवलप करने से सरकार को लाखों रुपयों का फायदा भी हो सकता है। इससे सरकार को तीन–चार लाख रुपया सालाना रॉयल्टी के मिलते होंगे तो रेल्वे को रेल्वे फ्रेट से पांच–सात लाख रुपया होगा। फिर इस इन्डस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्यो न व्यवस्था की जाय ? जब कि हमारी एक इन्डस्ट्री पचास या सौ परिवारों को पाल सकती है, वहां जितना खर्चा होता है, यदि उसके हिसाब से आधा खर्चा भी यहां पर करें तो इस इन्डस्ट्री का अधिक फायदा हो सकता है।

मजदूरों को जो दिक्कतें हैं उसको और खास कर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि खान और शहर के बीच में रेलवे लाइन है। सारे मजदूर बसते हैं रेलवे लाइन के नोर्थ में और खानें है साउथ में। मजदूरों के ८ बजे जाने का टाइम है। १ बजे उनको खाने की छुट्टी होती है और ६ बजे उनको छुट्टी हो जाता है। रेलवे का फाटक उस समय बन्द हो जाती है इसलिए उनको एक एक घंटा हर समय वहां इन्तजार करना पड़ता है। सुबह पसबतसर से ट्रेन आती है, फाटक बन्द हो जाता है तो उनको वहां पड़े रहना पड़ता है। शाम को भी ऐसा ही होता है। इसलिए ब्रिज बनवाया जाय रेलवे ऑथोरिटीज़ से एप्रोच करके। छोटा सा ही बन जाय जिससे कि मजदूरों को जाने–आने में सुविधा होगी, एक्सीडेन्ट भी नहीं होंगे। सुविधा मिलेगी तो वे काम भी ठीक ढंग से कर सकेंगे।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दो तरह की लीज़ होती हैं। दो सिस्टम हैं लीज़ के एक : परमानेन्ट बापी और दूसरी टेम्पोरेरी। परमानेन्ट है वह खान का मालिक है। टेम्पोरेरी है वह नहीं है। पहले दो साल के लिए लीज़ दी थी। अब एक एक साल के लिए लीज़ दी जाती है। एक साल के लिए खान खोदने के लिए लीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि हर साल रिन्युअल के लिए जाना पड़ता है। टेम्पोरेरी लीज़ भी अगर दस साल के लिए मिल जाय तो हिम्मत के साथ काम करेंगे, एन्गेजमेन्ट भी हिम्मत से करेगा। मजदूर भी और ठेकेदार भी यह सोचेंगे कि कम से कम दस वर्ष तो काम मिल जावेगा।

प्रति वर्ष रिन्युअल करके कोई आदमी उसमें इन्वेस्ट करें, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। टेम्परेरी लीज़ एक साल के लिये न दे कर दस साल के लिये देने से सुविधा होगी। साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि मजदूर करीब वहां बीस हजार हैं और ठेकेदार बहुत थोड़े हैं। पीढ़ियों से वे वहां काम करते चले आ रहे हैं। उनको यदि थोड़ी सी सुविधा दी जाय तो उनको काफी राहत मिल सकती है। मजदूर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। वैसे तो उनकी सोसाइटी बनी हुई है पर यदि उनको ठीक शर्तों पर लोन मिल जाय तो उनकी स्थिति ठीक तरह से सुधर सकती है। आज तो वे ठेकेदारों से

(श्री मोतीलाल चौधरी)

रुपया लेते हैं जिसका उनको पांच रुपया, छः रुपया सैकड़ा ब्याज देना पड़ता है। अगर मजदूरों की कोआॅपरेटिव सोसाइटी से लोन मिल जाय और उनके माल के मार्केटिंग का इन्तजाम हो जाय और स्टोक रखने के लिये पूंजी हो जाय तो वे स्वयं माल सप्लाई कर सकते हैं। इससे मेरे ख्याल से मजदूरों के लिये बहुत बड़ी सुविधा होगी। इस पत्थर से कप्स-डिशेज़ आदि भी बनती हैं। लेकिन इसके बारे में भी मजदूरों को सुविधा देने की बात नहीं है, न मार्केटिंग की ही सुविधा है और न उनको उद्योग विभाग द्वारा प्रोत्साहन ही दिया जाता है। जब तक वहां पर बिजली पहुंचाने की सुविधा नहीं होगी तब तक इन छोटी छोटी इन्डस्ट्रियों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा। आज वहां यह देखा गया है कि सात-आठ साल का बच्चा भी अच्छा कारीगर बन जाता है, वह चकलोटा, कप्स आदि बनाने लग जाता है। लेकिन मार्केटिंग की सुविधा न होने की वजह से वह ठेकेदारों के पास जाता है, इस कारण उसको अपनी पूरी मजदूरी उससे मिलती नहीं है। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दें और थोड़ा जल्दी दें, यह एक एस्टेब्लिशड-फैक्टर है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस पत्थर पर अन्य प्रकार के पत्थरों से रॉयल्टी ज्यादा है। रॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि मारबल पर एक रुपया मन है। सभापति महोदय, भारत के किसी भी स्टोन पर एक रुपया मन की रॉयल्टी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : और भारत में कहीं मकराना भी नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : लेकिन मकराना से कम्पीट करने वाले अन्य पत्थर तो हैं, जैसे कि बड़ौदा में निकला है, जब्बलपुर में निकला है, पंजाब में निकला है, चित्तौड़ में भी निकला है, वहां सब पर-टन पर रॉयल्टी है, मगर इस मारबल पर एक मन पर एक रुपया है। इसके कारण भी इस पत्थर की इन्डस्ट्री को सबसे ज्यादा खतरा पहुंचा है। आप कोटा स्टोन को ही लीजिये ; वहां पर दो रुपया पर-टन रॉयल्टी है। आजकल जो टाइल्स आदि बनती हैं सब कोटा स्टोन की बनती हैं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज मकराना स्टोन इतना प्रसिद्ध हो गया है कि कौन ऐसा होगा जो मकराना स्टोन की टेबल रखना नहीं चाहता होगा? कौन होटल वाला ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके यहां मकराना की टेबल रहे। लेकिन चाहते हुये भी आज रख हरेक व्यक्ति नहीं सकता क्योंकि इस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसलिये जहां हम मकराना इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहते हैं वहां हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहां इस माइनिंग को डेवलप करने को उत्सुक हैं उतना ही हमें इस इन्डस्ट्री को सहयोग देने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। खाटू में जोधपुरी पत्थर निकलता है। जोधपुरी स्टोन के लिये दो ही स्थान प्रसिद्ध हैं ; एक तो जोधपुर और दूसरा खाटू। वहां पर करीब इस काम

Page No.74

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में ११ से १२ हजार मजदूर लगे हुये हैं, जो करीब हजारों साल से बसे हुये हैं। छोटी और बड़ी खाटू में इस समय बसे हुये हैं। इन लोगों की बस्ती इन्हीं जगहों पर मिलेगी यह टिपिकल टाइप की कास्ट है जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों होते हैं, लेकिन वहां पर एक पैसा भी राजस्थान गवर्नमेंट बनने के बाद खर्च नहीं हुआ है। इसलिये मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ खाटू की पत्थर इन्डस्ट्री की तरफ। बीकानेर डिविज़न के लिये, शेखावटी, झुंझुनू, सीकर और अलवर डिस्ट्रिक्ट तक में यहीं का पत्थर काम में आता है। मकान बनाने के लिये जो भी पत्थर चाहिये, चाहे वह फर्श के लिये हो, चाहे वह छत के लिये हो, यहीं का पत्थर काम में आता है और जोधपुर के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है और मजबूत भी है। जोधपुर पट्टी एक फुट चौड़ी और दस फीट लम्बी जो ९) रु० में आती है वही पट्टी १० फीट लम्बी और डेढ़ फीट चौड़ी सात रुपये में ही पड़ती है और उससे ज्यादा मजबूत है। इस इन्डस्ट्री को बढ़ाने के लिये न तो किसी प्रकार की सुविधा ही मिली है और न सहायता ही दी गई है। कम से कम नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिये, सीकर और झुंझनू और सारा बीकानेर और अलवर डस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा और जयपुर का हिस्सा है जिसमें यह पत्थर काम में आता है, नीचे का फ्लोरिंग भी इससे बनता है।

मेरा दूसरा कट मोशन जिप्सम इन्डस्ट्री के बारे में है। भदवासी में ही इसके सबसे ज्यादा डिपोज़िट्स हैं और सबसे बड़ा नुकसान इसी में हो रहा है! इसलिए हो रहा है कि डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। बराबर पिछले पांच सालों से हम इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि जिप्सम का जो कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है उससे ज्यादा एरिया में काम हो रहा है। जहां सात मील एरिया इसके लिये दे रखा है वहां ३० माइल के रेडियस में काम कर रहे हैं। वही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको भी कॉन्ट्रेक्ट पर दी हुई है जो खुद जाकर बेचता है। उन्होंने सब कॉन्ट्रेक्ट मोहम्मद एन्ड सन्स को दिया है। उनको सब लीज़ जब कि देने का अधिकार नहीं है फिर भी उन्होंने दी है। उसके साथ शर्त यह थी १२ हजार टन माल उसको लोकल कन्जंप्शन के लिये देना पड़ेगा। सात मील एरिया में १२ हजार टन पर रॉयल्टी फिक्स को हुई है। इस बारे में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में बहुत बार चर्चा हुई है। उसकी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है जब कि उसको सात माइल का एरिया दिया हुआ है और वह तीस माइल के एरिया में वर्क कर रहा है। इसके लिये वह गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी नहीं देता है और इस तरह से अन–ऑथराइज वर्क कर रहा है। जन-लेखा समिति ने इस बारे में सवाल उठाया था–यह जो अन ऑथराइज्ड काम हो रहा है उसको रोका जाना चाहिये। इससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिये जिस एरिया के लिये लीज़ नहीं दिया गया है उसमें जल्दी से जल्दी काम बन्द करवाना चाहिये। भदवासी में जो लीज़ की कन्डीशन है उससे ३० लाख रुपयों का नुकसान हो रहा है। लीज़ कन्डीशन को तोड़ कर वहां पर जो मजदूरों की को–ऑपरेटिव बनी हुई है

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उसको लेबर कॉन्ट्रेक्ट पर दे दिया जाय; ताकि लाखों मजदूरों को काम मिल सके। इस लीज़ के कारण जहां लोकल कन्ज्यूमर को नुकसान पहुँच रहा है वहां सरकार को भी नुकसान पहुँच रहा है।

तीसरे आइटम पर मैं अब आता हूँ, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज़ की सर्वेके बारे में कहा गया है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर मिनरल रिसोर्सेज़ के अन्दर अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। उदयपुर डिविज़न के भीलवाड़े के बाद अगर कहीं मिनरल रिसोर्सेज़ हैं तो वे नगौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हैं। इसकी सर्वे होने की आवश्यकता है।

कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो देश में नहीं मिलते जैसे टन्गस्टन। डेगाना में यह है। पर इसका डेवलपमेंट नहीं होता।

(३.०० म०प०.)

इसी तरह तांबा और मैंगनीज़ हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे एरिया का सर्वे इस दृष्टि से करने के लिये एक स्पेशल पार्टी भेजी जावे। सीमेन्ट फैक्ट्री वहां बन सकती है। काफी मात्रा में रॉ मेटीरियल वहां उपलब्ध है और बहुत ऊंची क्वालिटी का है। फैक्ट्री में पानी की दिक्कत जरूर है, पर यह भी चाहें तो राजस्थान कैनाल से लाया जा सकता है। आज भी वहां तो नहीं है, पर परबतसर के निचले हिस्से में पानी है। डिसोर के पास जहां गन्ना की खेती होती है सर्वे करने से और भी कई चीजें मिल सकती हैं।

अब मैं पुरातत्व सम्बन्धी बात पर भी कुछ निवेदन कर दूं। हमारा नागौर जिला हिस्टोरिकली ऐसा है जहांजनता के आन्दोलनों में बड़े फाइटर हुए हैं जिनमें आज किसी का मोन्युमेंट नहीं है। अकबर के समय में राणा प्रताप के जमाने की इतनी बातें कहीं जाती हैं कि उस समय के मशहूर वीर जयमल मेड़ता के थे। उनके जन्म स्थान और मकान के बारे में कोई हिस्टोरिकल सर्वे नहीं किया गया।

इसी तरह मीरा है। वे भी मेड़ता की हैं। पर उनका भी कहां घर था, क्या था कोई सर्वे नहीं हुआ। इसी तरह मैं कहूं कि उस समय हजारों लोगों के द्वारा निर्मित मूर्तियां और मन्दिर हैं। अकबर के समय के अबुल-फजल और फैजी दोनो नागौर के थे। पर आज तक कोई रिसर्च इस बारे में नहीं किया गया। हिस्टोरियन्स के दो मत हैं एक बीरबल कहां के थे? हिस्टोरिकल सर्वे करेंगे तो मालूम होगा कि वे नागौर के पास गांव बमोसी के हैं। पिछले बरसों से उनके नाम पर मकराना में टैक्स लिया जाता रहा है। पर इसकी भी रिसर्च की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि लाडनूं खाटू और सुन्दरासन ऐतिहासिक स्थान हैं। लाडनू का नाम भद्रासन था। कई प्राचीन मूर्तियां यहां मिली थीं जहां बौद्ध और जैन धर्म का बोलबाला था एक समय। वहां तीन चार हजार साल पहले की मूर्तियां मिली हैं। पर उनकी मेन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं है। मन्दिर हैं जरूर। खाटू गांव में मोन्युमेन्ट्स चार हजार सालपुराने मिले हैंनागवंशी राजाओं के समय के। पृथ्वीराज के समय के भी इतने हिस्टोरिकल फैक्टस् और गढ़ वहां हैं जिनका सर्वे होना जरूरी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप नागौर की हिस्ट्री सुना रहे हैं या इस खास कट मोशन से ताल्लुक रख रहे हैं।

श्री मोतीलाल : वास्तव में इतने हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हुए भी मोन्युमेन्ट्स रखने की व्यवस्था नहीं है, वह की जावे और इसका हिस्टोरिकल सर्वे किया जावे। इतना कह कर मैं अपने तीनों कटमोशन्स मूव करता हूँ और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन पर ध्यान देंगे।

श्री सभापति: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग के सम्बन्ध में मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं।

एक के द्वारा इस विभाग की प्रशासकीय अव्यवस्था की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करवाने की चेष्टा की गई है।

उसके साथ साथ बाकी के जो तीन प्रस्ताव हैं वे राजस्थान के मिनरल और राजस्थान सरकार द्वारा उनकी व्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन में अब तक इस मांग के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किये गये, उनसे इस बात का अन्दाज अवश्य लगता है कि विभाग की प्रशासकीय व्यवस्था किस प्रकार की है।

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यहां अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे यहां कुछ इस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं जिनका सरकार की ओर से पूरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। उन्होंने हवाला देते हुए नागौर के भदवासी क्षेत्र में जो जिप्सम की खानें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। मैं ऐसा समझता हूँ, सभापति महोदय, कि यह मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागौर की जनता की ओर से आज से नहीं, बल्कि लगभग दो वर्षों से इस विभाग के अधिकारियों के समक्ष और राजस्थान के मन्त्रीगण भी जब नागौर जाते हैं तो उनके समक्ष इस बात को रखा है और उनसे इस बात की मांग की है कि नागौर के आसपास के क्षेत्र से अनधिकृत रूप में जो लोग मिनरल्स निकाल कर ले जाते हैं वे सरकार के धन के चोर हैं और इन चोरों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं यह भी मान कर चल सकता हूँ कि इस विषय की जानकारी हमारे इस विभाग के मन्त्री, जो हमारे मुख्य मंत्री भी होते हैं उनको भी निश्चित रूप से हुई होगी। मेरे पास भी उन पत्रों की, जो पत्र मुख्य मन्त्रीजी को एड्रेस किये गये थे, प्रतिलिपियां लगभग दो वर्षों से आ रही हैं और इस कारण इस बात को मानने के कोई कारण नहीं हो सकते कि मुख्य मन्त्री को इसकी सूचना नहीं मिली होगी।

ऐसी हालत में जब विभाग के डाइरेक्टर महोदय को और मन्त्री महोदय को इस बात की सूचना मिल जावे और लगातार हमारे मिनरल्स की चोरियां होती रहें तो यह

(श्री भैरोंसिंह)

कोई समझने की और मैं समझता हूँ समझाने की बात नहीं, यह घटना अपने आप में इस बात को बताती है कि विभाग की व्यवस्था किस प्रकार की है। जब इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया कि जो आपने ए० सी० सी० को लीज़ पर इन माइन्स का ठेका दे रखा है और उस ठेके के अन्दर जो एरिया आपने डिक्लेयर कर रखा है उस एरिया के बाहर जाकर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की खानों से खनिज निकाल कर ले जाता है तो सरकार को उस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। जब इस प्रकार की सूचना मिलती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि तुरन्त वह उसके ऊपर कार्यवाही करे और जब सरकार अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं निभा पाती तो उसका परिणाम या तो यह हो हो सकता है कि विभाग उतना योग्य नहीं है जितना कि उसको योग्य होना चाहिए और या यह हो सकता है कि विभाग योग्य अवश्य है लेकिन डेलीबरेटली सरकार या विभाग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहता। तो जहां तक पहला प्रश्न है जिसमें योग्यता का कुछ थोड़ी सी पिक्चर हमारे सामने आती है मैं उसको अलग से नहीं कहता लेकिन जहां डेलीबरेट एक्शन होता है जिससे लाखों रुपयों का घाटा होता है तो हमें यह विचारने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जानबूझ कर ऐसी गलतियां क्यों की जा रही हैं जिससे हमारी सरकार को घाटा होता जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जिस विभाग के मंत्री हैं आखिर उस विभाग में तो वे इस प्रकार की व्यवस्था का एक आदर्श उपस्थित करें जिसके कारण बाकी के दूसरे विभागों को सबक मिले। उनके अन्तर्गत का विभाग जिसमें दो वर्ष से घाटा होता रहे, जनता शिकायत करती रहे और विभाग के अधिकारी ध्यान न दें तो मैं कह सकता हूँ कि उनको बुरा अवश्य लगेगा कि बाकी के विभाग जो कि दूसरे मंत्रियों के अधिकार में हैं उन पर यदि आपने आदर्श उपस्थित नहीं किया तो उसके कारण अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक व्यक्ति इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को देता है और उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही हो जाती है, ऐसा असर लोगों पर पड़े। अच्छा तो यह होता कि चोरी से जितनी भी जिप्सम निकाल कर नागौर से बाहर ले जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता और सारे माल को जब्त किया जाता और उसकी कीमत खजाने में जमा कराई जाती; लेकिन इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया और क्यों नहीं लिया गया; इसमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ऐसी मजबूरियां प्रकट करती है जिसके आधार पर सहसा किसी आदमी को विश्वास नहीं होता है। एक व्यक्ति को कॉन्ट्रेक्ट दिया। उस व्यक्ति ने किसी दूसरे को कॉन्ट्रेक्ट दे दिया और उसके बाद में जितना चाहा खनिज निकाला और खनिज निकाल कर रॉयल्टी वसूल की और जो माल दूसरी जगह भेजना था उसे भेज दिया। सरकार के सामने आंकड़े पेश कर दिये गये, रेल्वे की रिसीट पेश कर दी गई और रॉयल्टी वसूल करने की रसीद पेश कर दी गई। उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं है। इससे ऐसा भान होता है कि इस विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं कि इस विभाग में हमें व्यवस्था लानी पड़ेगी और यदि नहीं लायेंगे तो मैं कहूँगा कि हमारा जो राजस्थान है उसका आधा हिस्सा जिसमें खनिज पदार्थ से भरा पड़ा है और हम भी कहते हैं कि हमारी भू-सम्पत्ति के कारण राजस्थान की जो आर्थिक हालत सुधर सकती है वह नहीं हो सकेगी । इसके अलावा बाकी के दूसरे असेटस नहीं हैं कि जिनके कारण हम गर्व कर सकते हैं और राजस्थान की बहबूदी की कल्पना कर सकते हैं । तो जहां राजस्थान में ऐसे खजिन पदार्थ हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उन खनिज पदार्थों की रक्षा करें और इसके साथ ही साथ उकसे जो धन एकत्र होता है उसको इकट्ठा करके जनता की सेवा के कार्यों में किस तरह खर्च करें । एक तरफ हमारी अजीब स्थिति है और जब हम राजस्थान के खनिज पदार्थों की स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे खनिज पदार्थों की रक्षा नहीं की जाती और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । सभापति महोदय, मैंने आज के दो वर्ष पहले हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए किया था कि आप जो प्रोस्पेक्टिंग का लाइसेन्स देते हैं उसके समय में जो माल निकालते हैं उस माल के ऊपर लाइसेन्सी का अधिकार नहीं है, बल्कि उस माल पर सरकार का अधिकार है । इसका उत्तर देते हुए सरकार ने उत्तर दिया कि कॉमर्शियल पर्पज़ेज़ के लिए लाया जाता है तो उसे रॉयल्टी का पेमेन्ट करना पड़ेगा और अगर साइन्टिफिक रिसर्च के लिए ले जाते हैं तो बिना रॉयल्टी के पेमेन्ट किये ले जा सकते हैं । लेकिन मैं सरकार को कह सकता हूँ कि उस रॉयल्टी का भी लोगों ने पेमेन्ट नहीं किया । जो माल प्रोस्पेक्टिंग के समय निकाला था वह हमारा था, वह रॉयल्टी देकर ले जा सकते हैं । पर रॉयल्टी और माल की कीमत में बहुत अन्तर होता है । रॉयल्टी तो होती है ५ रुपये और कीमत होती है पांच हजार रुपये । तो पांच और पांच हजार में बहुत फर्क होता है । मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस तरह का स्टेटमेंट रखें कि जिन लोगों को हमने लाइसेन्स दिये हैं उन लोगों से रॉयल्टी के अलावा माल की कीमत किन किनसे वसूल की है और अगर उनसे कीमत वसूल नहीं की तो क्या कारण हैं और यह गलती किसने की है और गलती करने वालों को क्या दण्ड दिया है । मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इसका स्टेटमेंट पेश करेंगे तो उस स्टेटमेन्ट में माइफर आयेगा । तो इससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करने में अयोग्य रही है । मैं समझता हूँ कि केवल प्रोस्पेक्टिंग का ही सवाल हो तो विचार किया जा सकता है । प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ हमारी सरकार ने रॉयल्टी वसूल करने का तरीका बनाया है । पिछली बार इसके बारे में चर्चा हुई थी कि जो रॉयल्टी वसूल की जा रही है वह इस तरह से ली जाती है कि जो खनिज निकालता है वह स्टेटमेंट पेश कर दे और उसके आधार पर रॉयल्टी वसूल की जाती है । मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितनी भी माइका यहां से एक्सपोर्ट होती है उसके ऑल इन्डिया के फिगर्स और जो दूसरे प्रोविन्सेज़ के कलेक्टिव फिगर्स हैं माइका एक्सपोर्ट होने के, वे फिगर्स उससे बहुत कम होते हैं । यह इस बात का संकेत है कि जिन स्टेट्स से माइका

Page No.79

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सपोर्ट होने के लिए निकाला जाता है उसकी कम रॉयल्टी चुकाई जाती है तो इस स्टेट या उस स्टेट, जहां से माइका एक्सपोर्ट होती है वहां कम रॉयल्टी पे की गई है। मैं कहता हूँ कि जो आप माइका पर रॉयल्टी वसूल करते हैं लोग कम देते हैं क्योंकि आप उनके स्टेटमेंट पर विश्वास करते हैं; पिट्स-माउथ पर विश्वास नहीं करते हैं। रेल्वे रिसीट के आधार पर आपके सारे हिसाब का ढांचा बनाया हुआ है। राजस्थान में केवल रेल के द्वारा ही माल बाहर जाता हो, ऐसी बात नहीं हैं। आज जिस चीज को भी बुक कराना हो वह जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर चाहे जहां से रेल द्वारा बुक कराई जा सकती है। इस समय अजीब व्यवस्था है। भीलवाड़ा के लिए मैंने पहले भी कहा था वहां के रेकॉर्ड को चेन्ज कर दिया जाता है। जिस समय लीज़ का टाइम होता है उस समय व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, कमी रॉयल्टी के लिए देता है और जिस समय रॉयल्टी का स्टेटमेंट दिया जाता है और बुकिंग के दिन सही फिगर्स बताई जाती हैं; जैसे किसी जगह से दस हजार मन माइका का एक्सपोर्ट करना है तो जिस दिन रॉयल्टी देने की बात होगी उस दिन स्टेटमेंट दे दिया जायेगा कि इतनी माइका एक्सपोर्ट की गई और इतने की रॉयल्टी देनी है। पर जब एक्चुअल पेमेंट का सवाल आयेगा तो वे कागज़ निकाल लिए जायेंगे और उसके साथ में दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जायेगा जिसमें सब जगह निल, निल शो किया हुआ होता है और एक पैसा भी रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता है। इसका मतलब कोई माल नहीं निकला : मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की फाइलों में रद्दोबदल होती है। वह फ़ाइल मैंने पिछली बार सदन में पेश की थी। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि इस प्रकार से फाइलों के कागज़ गायब हो जायें और उनकी जानकारी विधान सभा को दी जाये और माननीय मुख्य मन्त्रीजी को उनकी जानकारी दी जाये और बीच में आज ८ महीने का समय गुजर गया मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस मामले में क्या एक्शन लिया गया है। तो इस सब की जन-मानस के ऊपर धारणा होती है और राज्य विधान सभा जो कि हमारा सबसे ऊंचा स्थान है वहां भी यदि इस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सरकार उन पर ठीक तरह से विचार नहीं कर पाती है तो वह इस बात का द्योतक है कि विधान सभा का अपमान किया जाये या हमारी सरकार इस बात की अभ्यस्त हो गई है कि वह विधान सभा की भी चिन्ता नहीं करती।

सभापति महोदय, आज एक इस प्रकार की घटना मेरे सामने है। मुख्य मन्त्रीजी यदि चाहें तो मैं समझता हूँ, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में पहले इन्क्वायरी करावें और बाद में बतावें तो अच्छा रहेगा। मैं संकेत करना चाहता हूँ कि राजस्थान में आज जो लीजेज़ और लाइसेंसेज़ दिये जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के तौर पर नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स लिये जाते हैं, एन० एस० सी०, सिक्योरिटी इन एन० एस० सी० में जमा कराई जाती है और जो सिक्योरिटी जमा कराई जाती है वह फौरन ट्रेज़री में जानी चाहिये या बैंक की कोई ब्रान्च हो तो वहां पर जानी चाहिये। लेकिन बद-किस्मती से वे वहां पर समय पर जमा नहीं है होते हैं। मुख्य मन्त्री स्टेटमेंट देख लें, अजमेर

(श्री भैरोंसिंह)

के देख लें, भीलवाड़ा के देख लें और चाहें तो उनके उदयपुर के देख लें। इस प्रकार के कितने एन० एस० सी० होते हैं वे एक महीने में, दो महीने में या तीन महीनों तक ट्रेजरी में नहीं जमा होते हैं, वहां पर डिपोज़िट नहीं होते हैं और उनसे बिजनेस चलता है बाजार में। जिस आदमी को १० हज़ार रुपयों की आवश्यकता है वह इस प्रकार के नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट लेकर आता है और उसके आधार पर ट्रान्ज़ेक्शन चलता है। मुझे कुछ लोगों ने इस प्रकार के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटस बताये हैं। मैंने उनके नम्बर नोट कर लिये हैं और मेरे पास ऐसे हैं भी, यदि मुख्य मन्त्रीजी चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, जयपुर के बाजार में पड़े हैं और वे ही आपके डबल लोक के रजिस्टर में जमा किये हुए हैं। यदि इस प्रकार की चीज़ उन विभागों में होती है जिनका सीधा दायित्व स्वयं मुख्य मन्त्रीजी पर है तो बाकी अधिकारियों के बारे में और बाकी विभागों के बारे में कहने की कोई गुंजायश नहीं हैं।

मैं कहूँगा कि विधान सभा के अन्दर जो बातें कही जाती हैं उनका मूल्यांकन करने और प्रशासन को सुधारने का उत्तरदायित्व सरकार पर है तो हमारा भी अधिकार है, सूचना देने का। हमें सूचना देने का और ऐसी बातें सदन के सामने रखने का पूरा अधिकार है। इन सारी सूचनाओं के आधार पर तुरन्त एक्शन लिया जायगा तो मैं समझता हूँ उचित होगा।

सभापति महोदय, इस विभाग के संबंध में पहले भी कुछ चर्चाएं हुई थीं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी उस समय शायद यह कह रहे थे और अभी दो दिन पहले भाषण देते हुए उन्होंने बताया था कि मैंने ५ वर्षों तक मेहनत की है राजस्थान की बहबूदी के लिये और एक बात की ओर उन्होंने संकेत भी किया था कि जैसलमेर में पैट्रोलियम की खोज के लिये उन्होंने लगातार ५ वर्ष तक कोशिश की। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आखिर पांच वर्ष के बाद उनको सफलता मिली जो दूसरे प्रदेश के मुख्य मंत्री को शायद २० वर्षों में भी नहीं मिलती। मैं उनसे पैट्रोलियम के बारे में जानकारी नहीं चाहूँगा। मैं उनके खुद के बारे में जानकारी करना चाहूँगा। सेकन्ड फाइव इयर प्लान में ४० लाख का बजट था, उसमें से आपने कितना खर्च किया? जो योजना बनाई थी उसमें से कितनी पूरी की? प्लान के अनुसार कौनसी पलाना की खान में ओपन कास्ट प्लान्ट लग गया, कौनसा बाकी प्लान्ट लग गया? इन सारी योजनाओं में से एक को भी पूरा नहीं कर सके; जहां खनिज पदार्थों के लिये उपकरण खरीदने थे उनको नहीं खरीद सके। मुझे यह जान कर बड़ा ताज्जुब हुआ। यदि किसी प्राइवेट पार्टी को कह दिया जाता या किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट सेठ को कह दिया जाता तो अमेरिका, इंग्लैंड या किसी दूसरे विदेश से इन्स्ट्रूमेन्ट भी इम्पोर्ट करना होता तो शायद उसको सफलता मिल जाती। लेकिन सरकार को ५ वर्षों तक मशीनरी नहीं मिल सकी। सरकार के पास पैसा है लेकिन उनको मशीनरी नहीं मिली। लोग जहां से उपलब्ध हो सकती है वहीं से उपलब्ध करा लेते हैं। कोई यह कहे कि फॉरिन एक्सचेन्ज की दिक्कत थी तो जहां प्राइवेट पार्टीज़ को भी दिक्कत नहीं होती और उनको फोरिन एक्सचेन्ज का एलोकेशन

(श्री भैरोंसिंह)

हो जाता है वहां राजस्थान सरकार को क्या दिक्कत होती ।

मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे कि उन्होंने क्या क्या तरक्की की है । उनकी सारी कारगुजारी एक फिगर बताने में होगी कि इतने लोगों को लाइसेन्सेज़ दिये है, इतने लोगों को लीजेज दिये हैं, इतने लोगों को प्रोसपेक्टिंग लाइसेन्सेज़ दिये गये हैं और कुछ तीन–चार लाख रुपयों की रॉयल्टी में वृद्धि हुई है, इतनी पहले मिलती थी और इतनी आज मिलती है । मैं उनसे इसी आधार पर पूछना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के १० वर्षों में आपने किस प्रकार से प्रोडक्टिव मेथड्स काम में लिये हैं । अब तक हम मिनरल्स को रॉ मेटीरियल के रूप में ही बाहर भेजते रहे हैं । लेकिन ऐसा कौनसा मिनरल है जिसे हम यहीं पर रॉ मेटीरियल के रूप में काम में लेते हैं ? ऐसा कौनसा मिनरल है जिसे हमने अपने यहां इन्डस्ट्री का रूप दिया है ? एक भी मिनरल ऐसा नहीं है । केवल यही कहा जा सकता है कि हमने रॉयल्टी बढ़ाई है, लीजेज़ और लाइसेन्सेज़ की संख्या बढ़ाई है । लेकिन यह इस बात का द्योतक नहीं है कि सरकार ने ठीक प्रकार से प्रोडक्टिव मैथड्स में विकास किया है ।

मैं एक बात और कहूँगा । यह हमारा विभाग है, वैसे इस विभाग का दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिये, सौभाग्य ही है, यह विभाग उन विभागों में से एक है और उनमें से एक ही नहीं बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार इस विभाग का पहला नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा बकाया है । इसमें ३५ लाख रुपयों की बकाया लोगों में राजस्थान सरकार की है । राजस्थान सरकार के लिये जहां एक एक पैसे का प्रश्न है, जहां २८ लाख रुपयों की कमी प्रशासन के खर्चे में करने की योजना है, जहां चपरासियों का गला घोटने की तैयारी हो रही है वहां सरकार के ३५ लाख रुपये लोगों में बकाया हैं । पी. डी. आर. की तहत पेन्डिंग बताते हैं । ये रुपये क्यों नहीं वसूल किये जाते हैं ? इसके लिये आज अदालतों की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि सैशन कोर्ट से तो हार गये, अपील में जायेंगे । आज आपको सैशन कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई ? किन लोगों को गलती से आई, किन लोगों की गलती से आपने अपील की है, किनकी गलतियों से यह रुख करना पड़ा है ? इसका कोई जवाब नहीं है । बता देंगे कि कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनसे पैसा नहीं आता है, कुछ के बीच में झगड़ा है, कुछ के बारे में बता देंगे कि इतने केसेज़ पी. डी. आर. के हैं । कुछ के बारे में बतायेंगे कि एक-डेढ़ लाख रुपये के क्लेम्स राइट ऑफ करेंगे । इसमें आपकी कारगुजारी बताते हैं । एक साथ १० लाख रुपये भी राइट ऑफ कर दें तो यह आपका अधिकार है । मैं उस अधिकार की आलोचना नहीं करता । लेकिन कहूँगा कि आखिर ३५ लाख रुपये बराबर बकाया रह जाय, सन् ५३ से बराबर बढ़ रहे हैं, हर साल वसूली में कमी हो रही है । जो वसूली के आंकड़े हैं वे धीरे धीरे हर साल कम हुए हैं और यह इस बात का द्योतक है कि सरकार में पैसा वसूल करने की जितनी विजिलेन्स होनी चाहिये उतनी नहीं है और इसी कारण से लोग पैसा नहीं देते । हमारे मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि हमने इसके लिये बहुत व्यवस्था की है । वे यह

(श्री भैरोंसिंह)

भी संकेत करेंगे कि हमने सर्क्यूलर निकाला है, उसका हवाला देकर कहेंगे कि जिनके आउटस्टेन्डिंग्ज़ हैं, बकाया हैं उनके लाइसेन्स रिन्यू नहीं किये जांय, उनको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स नहीं दिया जाय, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रूवल नहीं दिया जाय। लगता है सरकार ने वास्तव में प्रबन्ध किया है। लेकिन मुझे भय है सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी यदि प्रमाण चाहें तो देना चाहूँगा। इन सारे सर्क्यूलर्सके होते हुये भी अपने डिस्क्रीशन पर सब कुछ कर देते हैं। जिस व्यक्ति को आप लाइसेन्स वगैरह देना चाहते हैं उसको १० लाख की बकाया होने पर भी दे देते हैं, रिन्यूवल कर देते हैं। जिसमें ५ लाख की बकाया है उसको रिन्यूवल दिया है। कई बार ऐसी जानकारी आती है। सदन में बताया था कि उस आदमी की स्थिति ठीक करने के लिये दिया है। मैं समझता हूँ, स्थिति सबकी ऐसी है। आप यह बताते हैं कि उसको नहीं दिया गया तो उसकी अवस्था ठीक नहीं होगी। यह तो मैं भी कह सकता हूँ। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि इन्वेस्ट करने में रिटर्न आता है। वह व्यक्ति ४ लाख इन्वेस्ट करता है तो बदले में ६ लाख रुपये होंगे। तो एक व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से उद्योग आता है तो ठीक नहीं है। कोई छोटी छोटी फर्म्स में ही बकाया नहीं हैं, १० लाख रुपये तक भी एक में बाकी हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रामगंज की फर्म का जिक्र किया था, एसोसियेटेड स्टोन्स के बारे में। मेरी जानकारी के अनुसार उनमें करीब ६ लाख की बकाया है। ६ लाख रुपये बकाया हैं उस फर्म में, और उसमें इतनी बकाया क्यों है, इसके रीज़न्स मुख्य मन्त्री जी देंगे।

मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो सख्त हाथों से वसूली करनी चाहिये, वह नहीं हुई और उस वसूली में एक स्थिति पेश कर दी गई कि कुछ मामलों में कोर्ट में चले गये, कुछ मामले पी. डी. आर. में चले गये और कुछ मामलों में राइट ऑफ करने के लिये कह दिया, यह मामलों को कम करने के लिये कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, उनके अगेन्स्ट कोई एक्शन नहीं लिया और रिन्यूअल कर दिया, लाइसेन्स दे दिया। सरकार ने सर्क्यूलर इश्यू तो कर दिया, लेकिन उससे जो छोटे छोटे काम करने वाले है, उनकी हत्या क्यों करते हैं, किसी ने पांच रुपये जमा नहीं कराये और कहा कि ठेका दिया जाय, तो कहा, 'नो रिन्युअल;' किसी ने दस रुपये जमा नहीं कराये और कहा लाइसेन्स दिया जाय, तो कहा, 'नो लाइसेन्स'। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, वह रिन्युअल के लिये कहे, लाइसेन्स के लिये कहें, तो कहें 'आई एप्रूव'। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वसूली के सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करे। अगर वसूली के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं करते हैं, तो बद किस्मती गरीब और छोटे छोटे आदमियों की है, जिनको इस खनिज के काम में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अब मैं एक बात, खास तौर पर, जिला सीकर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): एक सैकंड। मैं यह जानकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहता हूँ कि ६ लाख आपने किसमें बताया ?

श्री भैरोंसिंह : एसोसियेटेड स्टोन, रामगंज मंडी, नौ लाख पूरा नहीं है, नौ लाख के करीब है।

ऐसी स्थिति में सीकर जिले में, सभापति महोदय, कुछ खनिज हैं और सीकर के पास झुंझुनू जिले में तांबे की खान की बात कही जाती है। सीकर में कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां यूरेनियम भी मिला है। सीकर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जहां हमें कई प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ मिलने की सम्भावना नजर आती है, लेकिन अहोभाग्य कहिये या दुर्भाग्य कहिये, बाकी के जिलों में जिस प्रकार कई खनिजों का काम होता है उन खनिजों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाती है। उसके बाद सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जिस तकाजे से एक्ज़ीक्यूट करने की व्यवस्था की जाती है, न मालूम क्यों, वह सीकर में करने की व्यवस्था और चेष्टा नहीं की जाती है। पिछले छः वर्ष से सीकर के अन्दर एक फर्म इस बात की कोशिश करती आ रही है कि वहां खलेदीपुरा में माइन्स सर्वेक्षण कराया जाय, उसके लिये भारत सरकार को लिखा जाय, भारत सरकार के इस प्रकार के जितने यंत्र हो सकते हैं, उन यंत्रों का उपयोग किया जाय। उनके उपयोग के आधार पर जितना लाभ उठाया जा सकता है वह लाभ उठाया जाय। उस फर्म ने राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से लेकर, मैं समझता हूँ, हमारे देश के प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति महोदय तक को इस बात की सूचना दी कि यदि मुझे इस प्रकार अमुक अमुक प्रकार की सहायता दी जाय तो इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति मैं कर सकता हूं वह करूंगा और वह प्रगति हमारे राज्य के लिये और देश के लिए वरदान सिद्ध होगी। बदकिस्मती हुई, उसको जिस प्रकार एन्करेजमेंट मिलना चाहिये, वह एन्करेजमेंट उसको सरकार से नहीं मिला। उस व्यक्ति ने भारत सरकार को एप्रोच किया, जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद एक प्राइवेट पार्टी जिस कदर सहायता ले सकती है वह लेकर काम शुरू किया। उस चेप्टर में हमारी राजस्थान सरकार का एक अफसोसनाक (सैड) दृष्टिकोण रहा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौनसी चीज़ ?

श्री भैरोंसिंह : यूरेनियम।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नाम क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : डूंगर मल सर्राफ। ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि उस सम्बन्ध में हमारी सरकार तकाजे से काम करती तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में माइन्स में लोगों की रुचि पैदा हो जाती। आज रुचि पैदा नहीं हो रही है, वह इसलिये नहीं हो रही है कि आज सरकार के रैड टेपिज्म के अन्दर से वहां के आदमी आगे निकल सकें, यह सम्भव नहीं है। बाकी कई जगह पर छोटी छोटी माइन्स हैं, उन पर कई लोगों ने मोनोपोलाइजेशन कर रखा है और वह मोनोपोलाइजेशन इस कारण से होता जा रहा है कि सरकार सतर्क नहीं है। मुझे भय है कि हमारी सरकार ने माइन्स के मामले में सतर्कता नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

बरती और मोनोपोलाइज़ेशन होने दिया, इसलिए राजस्थान में इने गिने सेठ मिलेंगे जिन्होंने भीलवाड़ा की माइका माइन्स पर कब्जा कर लिया है। बाकी जहां जहां माइन्स मिलती हैं उन पर धीरे धीरे कब्जा करने की चेष्टा करेंगे और फिर हमारे सामने दिक्कत पैदा होगी कि जिस चीज को डिसेन्ट्रलाइज़ेशन करना चाहते हैं, देश में जो धन्धे है, उनमें अर्थ व्यवस्था के नाम पर विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को लाना चाहते हैं, वे सारी चीजें मोनोपोलाइज्ड इन्डस्ट्री के रूप में आयेंगी। लोगों के सामने राजस्थान के इने गिने लोग हैं। जो लोग छोटे छोटे कामों को कमाई का आधार बनाना चाहते हैं, उनको चान्स नहीं मिलता है और उनको चान्स नहीं मिलता है तो धीरे धीरे राजस्थान की स्टेट-केपिटलिज़म की ओर बढ़ती जा रही है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कुछ लोगों में पूंजी केन्द्रित करने की बात हम विचारते रहे हैं, हम चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो लीज़ दी जावं, प्रोस्पेक्टिंग की बात दूर है, जो लीज़ दी जांय, उनके अन्दर सावधानी बरतनी चाहिये, ताकि कुछ लोगों के हाथ में सारे धन्धे केन्द्रित नहीं हों, बल्कि छोटे छोटे आदमी कम पूंजी से ही इस सारे धन्धे में पार्ट लेकर ठीक प्रकार से भाग ले सकें और राजस्थान का यह धन्धा ज्यादा लोगों के हाथों में जाय तो अच्छा रिटर्न होगा, अच्छा प्रोस्पेक्टिंग होगा और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इन शब्दों के साथ अपने चारों कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में अगर और सूचना लेना चाहें तो मैं सूचना देने को तैयार हूँ। यह भी मैं निवेदन करूंगा जितनी अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया हैं, उन सब पर एक्शन लेकर एक प्रकार का आदर्श उपस्थित कर सकें जिससे हम राजस्थान में जाकर कह सकें कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को शिकायत करने के बाद तुरन्त कार्यवाही कराई जा सकती है। अगर इस प्रकार नहीं किया गया तो बाकी के मंत्रियों की जिस प्रकार की अवस्था है, मैं समझता हूं कि उस प्रकार की अवस्था आपकी सिद्ध होगी। मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की अवस्था आपकी न बनावे। इस तरह प्रार्थना करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है कि हमारे राज्य की मिनरल सर्वे हो और राज्य की ज्योलोजिकल सर्वे हो।

सभापति महोदय, हम राजस्थान में औद्योगिक प्रगति करना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में आज काफी खनिज पदार्थों का बाहुल्य है और बहुत से खनिज पदार्थ ऐसे बहुत से स्थानों पर है, जहां और भी खनिज पदार्थ मिल सकते हैं लेकिन जब तक एक साइन्टिफिक वे से हमारे राज्य का उस दृष्टिकोण से सर्वे न करावें तब तक इन खनिज पदार्थों का मालूम होना मुश्किल है। किसी राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम वहां के लोग जो इस तरफ आना चाहते हैं इन्डस्ट्री में ध्यान रखते

(श्री भीमसेन)

हों, उनको बता सकें कि हमारे स्टेट के अन्दर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और कितनी क्वान्टिटी में कहां कहां मिलते हैं। इस तरह की रेडीमेड सर्वे से बहुत से लोगों को, व्यापारियों को, जो इन्ट्रेस्टेड हैं, उनको काफी सहायता मिल सकती है। हमारी बीकानेर स्टेट ने भी इस बारे में प्रगति की थी और सुजानगढ़ तहसील के डिपोज़िट्स और भोपालपुर की पहाड़ी पर तांबे का पता लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह कोलायत तहसील में गांव के लोग कूए पानी के खोदते हैं, उनमें गन्धक की मात्रा मिलती है। इस तरह मैं प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां मिनरल सर्वे और जियोलोजिकल सर्वे होने की आवश्यकता है। :

दूसरे, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां माइन्स में इन्डस्ट्रियलिस्टों को प्रिफरेन्स देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बदवासी माइन्स हैं, वहां पर मजदूरों ने एक सहकारी समिति बनाई है। उन्होंने यह प्रार्थना की कि एक माइन को आरम्भ करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति होनी चाहिए कि जहां जहां सहकारी समिति बने, और वह माइन्स का कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए तैयार हो तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिये। सभापति महोदय, बदवासी में जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो इल्लीगल वे में काम करता आ रहा है। सभापति महोदय, वह ४० साल से इल्लीगल वे से काम करता आ रहा है और अब भी उसके मुकाबले में सहकारी समिति ने एप्लाई किया, तो सरकार ने सहकारी समिति को काम न देकर जो एक इल्लीगल वे से ठेकेदार काम कर रहा है, उसको माइन दी। इस तरह से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां जहां सहकारी समिति आगे आये, तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिये। इतना ही इस मांग पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, साइन्टिफिक डिपार्टमेंट की मांग के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं उनमें मेरे भी चार कटौती के प्रस्ताव थे। अभी श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, मैं समझता हूँ, जो मुख्य मुद्दे इस समय हो सकते हैं, उनकी ओर राज्य सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं एक बात यह जरूर कहूँगा कि जो माइन्स का डिपार्टमेंट है, इस इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को इस दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया था, एक वह इन्डस्ट्री जो साधारण रूप से हम जानते हैं कि इन्डस्ट्री है। फिर मिनरल इन्डस्ट्रीज़ हैं। इनका काम कितना महत्वपूर्ण है, यह इस बात से सिद्ध है कि इन्डस्ट्रीज के महकमे से, इन्डस्ट्रीज का पोर्टफोलियो जिन मन्त्री महोदय के पास है, उनसे मिनरल इन्डस्ट्रीज़ का काम राज्य के मुख्य मंत्री ने अपने हाथ में लिया है। जैसे कि तेल आता है, बहुत बढ़िया सुपरफाइन होता है वह हवाई जहाज के काम में आता है, फिर जो दूसरे नम्बर का बचता है वह तेल मोटर गाड़ी वगैरह के चलाने के काम में आता है और फिर जो बाकी थर्ड रेट तेल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बचता है वह रोजमर्रा जलाने के काम में आता है ।

इसी तरह सुपरफाइन इन्डस्ट्रीज़ थीं वे चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रखीं और जो साधारण सेकन्ड ग्रेड इन्डस्ट्रीज़ थीं वे श्री रिखबचन्द धारीवाल के पास रखीं और फिर विलेज इन्डस्ट्रीज़, खादी इन्डस्ट्रीज़; इन थर्ड ग्रेड इन्डस्ट्रीज़ को खादी मन्त्रीजी श्री हरिभाऊ उपाध्याय के पास रखा । ये तीनों ग्रेड्स रिवाइज़ हो गये । मैं खादी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने तो केवल यह वर्गीकरण किया है । मैंने निश्चय कर लिया है कि दा साहब के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि दो साहब कुछ नहीं बोलते । मैं तो यह मानता हूँ कि गांधीजी की कोई चीजें बची हैं तो तीन मूर्तियों के रूप में दा साहब स्वयं हैं, जो कानों से सुनते नहीं, आंखों से देखते नहीं, मुंह से बोलते नहीं; तो महात्मा गांधी का बिबन्दर मूर्ति का रूप बचा है तो वह है हमारे दा साहब । तो इस प्रकार की परिस्थिति में जो मैंने विवेचन किया है, मिनरल इन्डस्ट्रीज़ का काम मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने पास रखा है । इसमें स्पष्ट है कि यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है, पर अफसोस इस बात का है कि जहां तक मिनरल इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट का सवाल है, राजस्थान की मिनरल इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है, उसमें किसी प्रकार का सन्तोषजनक विकास नहीं हुआ है । प्रोडक्शन के आंकड़े जो अवेलेबल है, उनसे साबित होता है कि प्रोडक्शन गिरा है, इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान, माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में आंकड़े पेश किये गये हैं ५८–५९ के उनकी तरफ दिलाता हूँ । उनकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहूँगा कि २० में से १२ में यह प्रोडक्शन घटा है ।

५८–५९ में कैल्साइड, इमरल्ड, फैल्सफार, फुलर्सअर्थ, आइरन ओर, काइनाइट, लाइम स्टोन फोर सीमेण्ट मेकिंग, सेलाइट और वहाइट क्ले, इन सब में प्रोडक्शन घटा है ।

अब मैं नहीं समझता कि हमारे प्रोडक्शन के आंकड़े गिरते जायं बजाय बढ़ने के, और यह कहा जाय कि मिनरल बढ़ रहा है, मिनरल इन्डस्ट्रीज़ का हमारे यहां राजस्थान में विकास हो रहा है; यह किस तरह है ? मैं समझता हूँ, किसी प्रान्त की बहबूदी के लिये, आर्थिक दृष्टि से उन्नति के लिये जिस तरह कृषि विस्तार और कृषि की उन्नति आवश्यक है; उसी तरह से इस विभाग का विकास करना भी उचित होगा ।

मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि ५ साल से कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोलियम की दृष्टि से जैसलमेर में खोज की जाय, मैं उनके प्रयास की तारीफ करूंगा कि चीफ मिनिस्टर होते हुए भी आपके ५ साल के प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली पैट्रोलियम के लिये । किसी प्रकार का प्लान्ट लगाने के लिये आप सेंटर को कन्विन्स्ड नहीं कर सके, इन्फ्लुएन्स नहीं कर सके, समझा नहीं सके कि एक बात के लिये आपको इतने साल लग जाते हैं । क्या इसी प्रकार का प्रभाव है ? मैं ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकता उनके प्रभाव में, प्रयासों में; पर मैं यह कहूँगा कि मिनरल इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, घटोतरी जरूर हुई है और आज हमारे यहां जिस प्रकार का सिस्टम है, सदन के माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं कि इस डिपार्टमेंट का वर्किंग डिफेक्टिव है । सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि पहले क्वालिफाइड डाइरेक्टर नहीं था, आपने उनका पी. एस. सी. से कन्फर्मेशन करा लिया । मुझे व्यक्ति विशेष से ताल्लुक नहीं, पर आखिर इतना महत्वपूर्ण मकहमा है, इतना महत्वपूर्ण इसका काम है, खास तौर से एस्टीमेट्स कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पेश किया है, उसको पढ़ने से पता चलता है कि जब जब एस्टीमेट्स कमेटी ने राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तब तक राजस्थान सरकार उदासीन रही, जो जानकारी चाहिये, जो आंकड़े चाहिये वह नहीं दे सकती और कारण बताया जाता है कि फोरिन एक्सचेन्ज की मुसीबत थी, सेकन्ड फाइव इयर प्लान में हमारी जितनी धन–राशि थी, उसका उपयोग नहीं कर सके और कारण बताया है कि फोरिन एक्सचेन्ज को दिक्कत थी । मुख्य मंत्री चाहते तो फोरिन एक्सचेन्ज की मुसीबत को अपने प्रभाव से दूर कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे और राजस्थान की धनराशि खर्च होने से रह गई, जिसके कारण विकास नहीं हो सका, यह सब नहीं होता । पर गम्भीरता से विचार नहीं हो सकता है माइन्स के बारे में। डिमान्ड सदन में पहली बार आई है, इस पर बहस नहीं होगी इसलिये यह आसानी से हो जायगा, ऐसा खयाल था ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ । अभी ३५,३२,३१३) रु० ५० न० पै० बकाया की बात श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी । जो आंकड़े हैं उनमें से १० लाख तो निकल गये, उन्होंने कहा ७ लाख के अदालत के फैसले हो गये, २ लाख के आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं, २५ लाख रहे उनको भी बट्टे खाते डालने की कोशिश हो रही है कि वसूल नहीं हो सके । यह बकाया १० साल से निरन्तर बढ़ता जा रहा है । मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में सब आंकड़े दिये हैं कि कब से कितनी रकम बकाया है । उनमें ५० हजार से ऊपर के ८ मामले हैं वे इस प्रकार हैं :

मेवाड़ मिनरल कम्पनी, उदयपुर में ७३ हजार,

मैसर्स राजस्थान मिनरल इन्डस्ट्रीज में ५३ हजार,

जयपुर सिन्डीकेट में १,६१,००० व

मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज में ४, ३५,००० हैं ।

और इस प्रकार अन्यान्य आंकड़े हैं । मैं समझता हूँ कि विभाग को और सरकार को जिस सतर्कता के साथ कार्यवाही करनी चाहिये थी वह की नहीं जा रही है । इतनी बड़ी रकम जिस विभाग की बकाया हो यह उस विभाग की इनएफिशियेन्सी की ओर संकेत करता है । इसके लिये मैं डाइरेक्टर को, डिप्टी डाइरेक्टर को दोषी नहीं मानता, न उन्हें इतना रेस्पोन्सिबल समझता हूँ जितना कि एक डेमोक्रेटिक सैट अप में चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को इसके लिये जिम्मेदारी है । मैं चीफ मिनि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्टर को इसके लिये जिम्मेदार मानता हूँ, जिसके पास कि यह डिपार्टमेंट है। इस विभाग में यदि कोई उन्नति होती है तो इसकी जिम्मेदारी मिनिस्टर ले सकता है, वाहवाही लूट सकता है, पर इस प्रकार की बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हों तो इसकी जवाबदारी भी वे टाल नहीं सकते।

आज ३५ लाख की जो इस विभाग की बकाया है इसके लिये यदि कोई जिम्मेदार है तो वह मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं। इसके लिये उनको कदम उठाना चाहिये और उन्हें इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिए। अब सभापति महोदय, प्रश्न कुछ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिये गये हैं उनका आता है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूँगा कि इस सदन के सामने कई मामले ऐसे आये हैं जिनमें अनऑफिशियल कार्य किये गये हैं और कानून के खिलाफ कार्य हुए हैं। भीलवाडा आदि के मामले सदन के सामने आये जिनका जिक्र हमारे यहां कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हथकन्डों को उन फर्मवालों ने अपना कर, राज्य सरकार को धोखा देकर अपना फायदा उठाया है यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं। आप देखेंगे कि उन गड़बड़ियों को छिपाने के लिये आज विभागों से फाइलों की फाइलें गायब कर दी जाती है। मैं यह कहूँगा कि अच्छा होता, आप उन विभागीय अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करते जिन्होंने इस प्रकार की गड़बडियें की हों। इसके लिये एन्टीकरप्शन विभाग के कर्मचारी भी अपना काम करते हैं लेकिन जिस प्रकार तेजी से कार्य होना चाहिये, नहीं किया जा रहा है। कुछ कार्य भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने किया है और जहां लाखों का माल पब्लिक के सामने आया वहां कुछ माल पकड़ा है किन्तु मैं यही कहूँगा कि दोनों विभागों का यानी माइनिंग और एन्टीकरप्शन का को-ऑपरेशन है जिससे गड़बड़ियें पूरी तरह से पकड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है, कुछ मामले पकड़े हैं। एन्टीकरप्शन विभाग ने पकड़े हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जांच होने के बाद में क्या होगा। मगर जनता और हम लोग जानते हैं कि जितना होना चाहिये और जिस तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये नहीं होगी। प्रभाव में आकर कार्य कुछ भी हो सकता है।

आज हम देखते हैं कि हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत बुरी तरह से बदनाम है और वह इसी कारण से होता है। मैं यह कहूँगा कि इसी प्रकार का एक मामला कुछ समय पहले उदयपुर में हुआ। एक बहुत बड़े इन्जीनीयर पकड़े गये। उनके खिलाफ जांच हो रही है, क्या कार्यवाही अभी तक हो रही है वह तो चीफ मिनिस्टर बतावेंगे। मगर मैं यह कहूँगा कि जितनी सख्ती के साथ काम करना चाहिये था नहीं किया जा रहा है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्सेज़ के द्वारा किस प्रकार के घोटाले होते हैं उनका जिक्र श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने किया कि किस प्रकार के घोटाले होते हैं और उनकी जांच में किस प्रकार से डिले की जाती है जिससे राज्य सरकार को बहुत नुकसान होता है। अगर इसमें सख्त कदम उठाये जावें तो सरकार को जो नुकसान होता है वह नहीं होगा।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने एक भाखरी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के बारे में बताया था कि वहां पर ५६ लाख की आमदनी बताई है उसमें से १० लाख की आय उस काम की है जो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट करता है। इसमें आमदनी बताई गई है वह ६० लाख की है। इसमें से १० लाख की आय तो माइनिंग के काम से ही होती है और जो यह आमदनी बताई गई है वह बहुत कम है। इसकी कोई सर्वे असेसमेंट या जियोलोजिकल सर्वे को हो वह भी नहीं की गई कि कितना मिनरल यहां पर है। मैं समझता हूँ कि हमने जो हमारे यहां माइनिंग डिपार्टमेंट बना रखा है वह नाम मात्र के लिये बना रखा है। इसमें लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर भी पूरा काम नहीं करते हैं। जो सर्वे का काम होना चाहिये कि किस किस डिस्ट्रिक्ट व तहसील में कौन कौन से मिनरल मिल सकते हैं उस सम्बन्ध में क्या कोई आज तक कार्य किया गया है। मैं कहूँगा कि नहीं किया गया है। कहीं कहीं २२) रु. खर्च करके लिख दिया कि कोई सफलता नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि इसके लिये कोई अच्छी प्रकार से रिसर्च और सर्वे होती तो मिनरल्स का पता लगता, मगर इस प्रकार की २२) रु. खर्च करके कहना कि हमने सर्वे और रिसर्च किया, हमारे लिये कोई हितकर नहीं हो सकता।

मैं समझता हूँ कि इसके लिये कोई निश्चित प्लान होनी चाहिये और उस प्लान के अनुसार सारे राजस्थान की सर्वे होनी चाहिये। कहां कहां पर किस चीज की पोटेन्शियलिटी हो सकती है उसकी योजना बनाई जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है उनका समर्थन करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं खनिज मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, इस सदन में इस मांग पर जो वाद-विवाद हुआ उसके सम्बन्ध में मैं सबसे पहले यह निवेदन करूंगा कि आम तौर से कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग ज्यादा रखी कि अलग अलग इलाकों में कहीं लोहा, कहीं तांबा और कहीं और चीजें भी प्राप्त हुई हैं या दिखाई देती हैं उसके बारे में सर्वे और प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा तेजी से नहीं किया जा रहा है शिथिलता दिखाई देती है।

इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वैसे इस प्रकार के सर्वे की जिम्मेदारी भारत सरकार के जियोलोजी एन्ड माइनिंग डिपार्टमेंट की होती है और आज जो हम राजस्थान में करते हैं उतना भी दूसरी स्टेटों में नहीं किया जाता है। वहां पर सब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का डिपार्टमेंट ही करता है, लेकिन फिर भी यहां पर किया गया और हम कुछ कर रहे हैं जो कुछ कर सके। इन चीजों को करने में जैसा कि कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, वही प्रश्न सामने आता है जैसा वे इसके साथ साथ कहते जा रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत टैक्निकल स्टॉफ की होती है।

इसके लिये दो चीजों की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। एक तो टैक्निकल स्टॉफ होना चाहिये जिसमें जियोलोजिस्ट्स हों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और उसी में काम करने वाले हों उनका उपलब्ध होना। इसके साथ साथ इक्विपमेंट का उपलब्ध होना। इन दोनों बातों की काफी दिक्कत रही है। अभी हम कुछ सरकारी सर्वे के लिये और बढ़ते हैं लेकिन इसके लिये काफी स्टाफ चाहिये। काम बढ़ाया जा सकता है लेकिन मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसके बाद भी सारे राजस्थान भर की सर्वे की जा सके, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि राजस्थान में खनिज सम्पत्ति काफी है और राजस्थान इतना फैला हुआ है कि एक एक चीज़ पर सर्वे करने में काफी समय लग जाता है। इसके लिये मैं मिसाल के तौर पर माननीय सदस्यों से अधिक कुछ नहीं कहता क्योंकि सभी को मालूम है कि खेतड़ी में सर्वे का काम भारत सरकार द्वारा किया गया। उसकी सर्वे की रिपोर्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रकट कर पाये। इसके लिये बड़ी डिफिकल्टी होती है। जियोलोजिकल और मिनरल सर्वे करते हैं इसमें काफी समय लगता है। इसलिये सर्वे के बारे में कहना कि सर्वे का काम नहीं हुआ है, मैं कहूँगा कि सर्वे का काम इतनी आसान बात नहीं है कि हमने सोच लिया और कर लिया। यहां पर यह मैटीरियल निकलेगा यह भले ही जान लिया थोड़े परिश्रम से, मगर यह नहीं कह सकते कि उसके तसल्ली बख्श परिणाम कब सामने आ जावेंगे। इसके लिये आवश्यक मैटीरियल और स्टॉफ की जरूरत होती है। हम खुद इसका फैलाव करना चाहते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख प्रश्न हमारे सामने आने वाला है वह है इक्विपमेन्ट का। पलाना के बारे में कहना होगा कि वहां पर लिग्नाइट और कई प्रकार की और चीजें प्राप्त कर सकते हैं। मगर उसमें रुकावट साबित होती है। हम एक्सटेन्सिव तरीकों से इसकी जांच करावें और कराते हैं। आप ओपन माइनिंग की बात कहते हैं वह तो ठीक है। दूसरी इन्डस्ट्री शुरू करने में काफी बड़े पैमाने पर शुरू करना होगा लेकिन कई दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई चीज नहीं की गई। मैं यह कहूँगा कि इस दूसरी योजना में लिग्नाइट और फ्लोराइट दोनों के बारे में टेन्डर इन्वाइट किया है। यह कहा गया है कि पहले आप कॉम्पीटेन्ट इन्जीनियर आदि को मुकर्रर करें उसके बाद क्या क्या मशीनरी उसमें होनी चाहिये उसके बाद में सारी कार्यवाही करनी चाहिये। अगर आप किसी प्रकार की मशीनरी का आर्डर प्लेस कर दें और बाद में कोई दूसरा इंजीनियर आए तो वह दूसरी राय दे दे। इसलिए आज जो कुछ चीजों के लिए इक्विपमेन्ट मंगाने में देर होती है उसका मुख्य कारण यह बन जाता है। पलाना का मुख्य कारण यह था कि प्रोसेस छोटा होते हुए भी भारत सरकार से एक्सपर्ट कमेटी अपॉइन्ट हुई, पहले तो यह एटीट्यूट था कि ओपन कास्ट माइनिंग संभव नहीं है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि ओपन कास्ट माइनिंग हो सकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार ने बार बार इस बात के लिए जोर दिया था। इसको स्वीकार करते हुए भी हम इस कार्यवाही में लगे हुए हैं कि लिग्नाइट जो उपलब्ध हो उसका उपयोग अधिक से अधिक यहां पर किया जा सके।

इसके अलावा माननीय चेयरमैन महोदय, सदन में यह कहा गया कि माइनिंग डिपार्टमेंट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आखिर यहां पर है उसका कैसे क्या होगा ? प्रोडक्शन के बारे में अभी अन्त में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि प्रोडक्शन के फिगर्स गिरते जा रहे हैं, प्रगति क्या हुई, मैं बहुत नम्रतापूर्वक सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि मैं आपके सम्मुख ५६ से ६० तक के आंकड़े उपलब्ध करा रहा हूँ। जहां सन् ५६ में एसबस्टस का प्रोडक्शन ४३० टन था वहां सन् ६० में उससे बढ़ कर १५०० टन हो गया, बेराइटीज़ का प्रोडक्शन सन् ५६ में ३०० टन था वह बढ़ कर ३१०० टन हो गया है, केलसाइट ११०० टन सन् ५६ में था वहां ६० में ३८५० टन हो गया है, इमरल्ड सन् ५६ में ६१.७५ पौंड्स था, ६० में २१५.५ पौंड्स इसका प्रोडक्शन हुआ। गारनेट का प्रोडक्शन सन् ५६ में जहां बिल्कुल नहीं था वहां ६० में २६० टन हुआ है। जिप्सम सन् ५६ में जहां उसका ७,०७,७०० टन था वहां सन् ६० में ८,४१,००० टन हुआ। लैड जिन्क ओर का प्रोडक्शन सन् ५६ में ८६,३६० टन था वहां सन् ६० में १,४१,४२० टन का प्रोडक्शन हुआ। इसी तरह से लिग्नाइट २५,६३० टन सन् ५६ में था उसकी जगह सन् ६० में ४१,६०० टन हुआ। लाइम स्टोन सीमेन्ट के लिए जरूरी होता है, उसका प्रोडक्शन सन् ५६ में ८,६८,८१० टन था सन् ६० में उसका प्रोडक्शन १४,७६,७८० टन्स हुआ। सोपस्टोन का सन् ५६ में ३७,१८० टन हुआ वहां सन् ६० में ८०,३५० टन हुआ। उसी तरह से व्हाइट क्ले सन् ५६ में नहीं के बराबर थी वहां सन् ६० में २६१० टन का प्रोडक्शन हुआ उसका, मैसोनरी स्टोन सन् ५६ में ७,२८,५०० टन था वहां सन् ६० में ६,५८,२०० टन हुआ।

मैं समझता हूँ कि जो मैंने सन् ५६ और सन् ६० के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उनसे भली–भांति मालूम हो सकेगा कि कई चीजों में दुगुना और तिगुना, और किसी में कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले ड्योढ़ा प्रोडक्शन हुआ है। आपको चार वर्ष के पीरियड में नजर आवेगा और आम तौर पर इन आंकड़ों को देखने से जाहिर होगा कि इन चीजों में २५ पर्सेन्ट से अधिक प्रोडक्शन इसी पीरियड में बढ़ा है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष में और अधिक प्रोडक्शन इनका मालूम होगा।

इसी बीच में, माननीय चैयरमैन महोदय, एसबस्टोस, बौक्साइट, बैराइटिस, बटोनाइट इन चीजों में राजस्थान के अन्दर अलग अलग जिलों में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है और उनके लिए कई जगह लाभ पहुँचा है। हमने अपनी ओर से फ्लोराइट के के लिए मालूम किया है, ग्लास शैड के लिए बूंदी के पास में एक और जगह तलाश किया है, इसी तरह से जिप्सम, आइरन ओर बारे में भी हुआ है। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों की जानकारी हमने करने का प्रयत्न किया है। गत दो-तीन वर्षों के बीच में, यह तो माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा और जानकारी मिली होगी कि छोटे २ पेम्फलेट्स निकाले हैं कि लाइम स्टोन कहां कहां अवेलेबल है, आइरन ओर की क्या पोज़ीशन है, राजस्थान में कहा कहां अवेलेबल हो सकता है, यह बताने की कोशिश की है;

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बार बार यह कहा जाता है कि हम तो रॉ मेटीरियल एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं, लेकिन नम्रता पूर्वक, चैयरमैन महोदय, निवेदन करूंगा, आखिर इन चीजों में कुछ समय लगता है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी दूं कि जो कुछ राजस्थान में इन चीजों का पता लगाने की कोशिश की उसके परिणाम स्वरूप हमारे राजस्थान में कई इन्डस्ट्रीज़ का निर्माण करने का एक वातावरण बना है और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां पर उन इन्स्ट्रीज़ के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मेटिरियल मिल सकता है, यह विश्वास हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि केवल इन्स्यूलेशन, सिरेमिक इन्डस्ट्रीज़ के लिए लाइसेन्स इश्यू हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से। तो इस तरह से राजस्थान में पार्टीज़ को यह विश्वास हुआ है कि यहां रॉ मेटिरियल है, वह जानकारी देने से ही एप्लीकेशन्स आकर यहां पर इन्डस्ट्रीज़ लगाने की शुरूआत हुई है।

लाइम स्टोन का पता लगने से, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि राजस्थान में और सीमेन्ट फैक्टरी लगे, इसके लिए हमारे पास रॉ मेटिरियल है और यह आपको जानकर खुशी होगी कि उसके लिए इसी महीने में लाइसेन्स इश्यू हो जायगा जिससे एक सीमेन्ट फैक्टरी राजस्थान में और हो। ये अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर मिल सकती हैं, उन सब की जानकारी करके आम लोगों के समक्ष रखने का काम कोई आसान नहीं होता है इसमें समय लगता है कि किसी चीज़ की कोई जानकारी की जाय। दूसरा इन्हीं दिनों, चैयरमैन महोदय, राजस्थान में काफी कोशिश चल रही है कि राजस्थान में पिग आइरन और स्पेश्यलाइज्ड स्टील लिये हमारे यहां प्लान लगे। यह अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है कि कब लगावेंगे और कब होगा यह। युगोस्लाव अ[illegible] अमेरिकन एक्सपर्टों से भी इस विषय में बातचीत की गई। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन जो हुआ वह यह हुआ कि यहां इसकी पूरी संभावनायें हैं और ये इन्डस्ट्रीज़ हो सकती हैं। जो जानकारी की है उससे पता चला है कि उदयपुर के पास नाथरा की पाल में एक मिलियन टन के करीब इसके डिपोजिट्स है। यह एक बड़ी स्कीम वर्क आउट नहीं हो सकती थी क्योंकि रेल्वे वहां नहीं थी और रेल्वे वहां नहीं होने से ५०.६० पर्सेन्ट तक वेराई करता है; जब कि एक्सपोर्ट मार्केटमें ६२ पर्सेन्ट से ऊपर आम तौर पर होना चाहिये। इसलिये वह स्कीम वर्क आउट नहीं हो सकी। आगे कुछ हो सके इसकी संभावनायें पैदा होने लगी हैं। लोग-बाग इन्ट्रेस्टेड थे, उन लोगों ने लैड और जिन्क के बारे में कुछ जगह इन्डीकेशन्स की जानकारी दी, दूसरी पार्टीज़ भी आकर अलग अलग चीजों की जानकारियां कर रही हैं। कोपर के बारे में जानकारियां कर रही हैं। एक एक चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि एक एक पर भी पूरी तरह से कन्सेन्ट्रेटेड कोशिश करें तो काफी स्टाक उसके लिये सकता है।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं एक बात माननीय सदस्यों से नम्रता पूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि हम स्वयं अपनी ओर से जितना ज्यादा से ज्यादा सम्भव हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, रॉ मेटिरियल यूज़ कर सकें और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स राजस्थान में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बन सकें उसकी कोशिश में ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। और माननीय चेयरमैन महोदय, इसी सिलसिले में यहां सदन में बात आई, कुछ अलग अलग जगहों के उदाहरण भी सामने आये। मैं उनमें जाने के पहले खास खास बातों के लिये पहले निवेदन करदूं। मकराना के लिए, जो माननीय सदस्य नागौर से आते हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां मकराना की इन्डस्ट्री के मार्बल का काफी महत्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान इसमें सौभाग्यशाली है कि मकराना का स्टोन सबसे अच्छा और सबसे अधिक हमारे यहां उपलब्ध है। मैं स्वयं भी वहां पर गया था और वहां पर सड़क, पानी के कुंए आदि की जो सख्त आवश्यकता थी उनके लिए कुछ कदम भी उठाये गये। उसका सारा विकास, सच्ची बात तो यह है कि रॉयल्टी की वजह से रुका हुआ नहीं है। रॉयल्टी बर्दाश्त करते हुए भी मकराना प्रोस्पर कर रहा है। उसका ज्यादा तेजी से विकास करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर बिजली की आवश्यकता है। मैं जब गया था मैंने तब भी यह महसूस किया था और आज हाउस और माननीय सदस्यों के सामने कहते हुए हर्ष होता है कि सन् ६१–६२ के फाइनेन्शियल इयर में मकराना को बिजली देने में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कामयाब हो जावेगा। उनको बिजली मिल जायगी जिससे यह उद्योग ज्यादा से ज्यादा चल सके तेजी के साथ, जिससे लोगबागों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। यह एक स्वाभाविक बात है यह मान कर हमको चलना चाहिये और उसका लाभ वहां के रहनेवाले लोगों को मिलेगा, ऐसी आशा मैं करता हूं।

झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि झालावाड़ के अन्दर कोपर माइन्स हैं, लोहे के बारे में भी पहले काम चलता था; इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां पर पहले कहीं तांबे का काम हुआ था, कहीं पर लोहे का काम हुआ था। लेकिन आज सवाल यह आता है कि वहां इसके डिपोजिट्स कितने हैं और कैसी हालत में हैं। वहां पर इकोनोमिकली वर्क किया भी जा सकता है या नहीं, इन सब बातों को पहले देखा जाता है। कई जगह ऐसी हैं जो मेरी भी जानकारी में हैं जो पहले जमाने में काफी प्रसिद्ध थीं लेकिन आज के उद्योग चलाने के लिये एक आदमी जो मशीनरी लगाता है, बीस, तीस लाख रुपये का इन्वेस्टमेन्ट करता है वह डिपोजिट्स देखता है। वह यही सोच कर करता है कि आगे जाकर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं, उसकी इन्डस्ट्री फ्लरिश होगी, या नहीं यह सब तभी हो सकता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी तभी सफल हो सकता है जब कि उसके लिये वहां डिपोजिट्स ज्यादा से ज्यादा हों। ऐसी हालत में जब राजस्थान का हम विकास करना चाहते हैं तो वह दो जरिये द्वारा हो सकता है। एक तो सिंचाई के साधनों के जरिये और दूसरा हमारा खनिज पदार्थ इसका मुख्य आधार है इसमें शंका की बात नहीं।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीकर की किसी पार्टी का नाम लिया और कहा था उनको मन्जूरी नहीं मिली। मैं उनकी जानकारी के लिये कहूं उनके बारे में मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि उनको अवसर दिया जाय, लेकिन भारत सरकार यूरेनियम जैसी चीज़ के लिये प्राइवेट पार्टी को प्रोत्साहन देना नहीं चाहती। उनका कहना है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर कार्य करके आगे बढ़ सकेगा। ऐसा वे संभव नहीं मानते। जहां तक यूरेनियम के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन का सवाल है प्राइवेट पार्टी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो वह नहीं कर सकती। राजस्थान में एक–दो जगह चल रही है जिनको देखने का मुझको मौका मिला है, लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिये जहां तक प्राइवेट सैक्टर को यह देने की बात है भारत सरकार ने यह देना पसन्द नहीं किया। कुछ दिनों पहले डॉ० वाडिया से भी मिला था। उनका भी यह कहना था कि वे प्राइवेट सैक्टर को इस मामले में प्रोत्साहन नहीं दे सकते। इनको प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। हो सकता है उनकी यह मान्यता हो कि इतना बड़ा काम प्राइवेट सैक्टर को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा यह भी बात है कि जो और है वह लो क्वालिटी का है इसलिये पूरी तौर से उस पर वर्क करना संभव नहीं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं, इसके लिए एक–दो जगह पर ही कन्सेन्ट्रेट कर रहे हैं इन्डिया में। इससे ज्यादा मुझे और कुछ इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं।

आज जो खेतड़ी के अन्दर जितनी जांच पड़ताल की गई, दूसरे इलाकों में की गई जहां पर कोपर की संभावना है भारत सरकार की तरफ से और ज्यादा जानकारियां की जा रही हैं। इन जानकारियों का परिणाम ज्यादा अच्छा आयगा जिससे राजस्थान के विकास में और मदद मिलेगी, ऐसा हमें मान कर चलना चाहिये।

मैंगनीज के बारे में भी बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैंगनीज की माइन्स की दरअसल में पोज़ीशन यह है कि वहां जो मैंगनीज माइन्स हैं वह लो पर्सेन्टेज की हैं और इसका वर्ल्ड मार्केट इस समय कमजोर है। मैंगनीज की माइन्स पर जिस प्रकार का वर्क चलना चाहिये वह नहीं हो रहा और यही कारण है, जिसकी वजह से वहां मैगनीज माइन्स चलाने के अन्दर रुकावट है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेट्रोलियम के बारे में भी जोर दिया। पेट्रोलियम के बारे में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिये। मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में आपने भी अखबारों के जरिये और अन्य जरियों से जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वे राजस्थान में इस काम को हाथ में लेंगे। इसमें जो देरी का कारण है उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता और वह इस स्टेज पर कहना उपयुक्त भी नहीं होगा। ऐसा आपको मान कर चलना चाहिये कि जैसलमेर के अन्दर जल्दी से जल्दी भारत सरकार अपनी तरफ से कार्य शुरू करेगी।

इसके साथ साथ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि जब कि १४ पर्सेन्ट आप इसका बजट रख रहे हैं वहां माइन्स के अन्दर सिर्फ ८ पर्सेन्ट के आसपास है। इतना कम क्यों रखा गया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है? इसकी वजह यह है कि हम पहले फ्लोराइट और लिगनाइट के डेवलपमेंट की दृष्टि से रख रहे हैं। पहले साल में मशीनरी आदि के ऑर्डर जो दे दिये हैं उनमें कम खर्च होगा और ज्यों ज्यों स्कीम आगे बढ़ेगी उसके बाद पहले सालों की अपेक्षा उसमें ज्यादा रकम रखी जायगी। इसके अलावा जो रुपया रखा गया है प्लान में वह लिग्नाइट और फ्लोराइट के, विशेष तौर से, डेवलपमेंट की दृष्टि से रखा गया है।

यहां बहस के दौरान में इस प्रश्न पर भी काफी चर्चा हुई कि जो हम यहां पर कुछ लोगों को लीज़ की अवधि बढ़ा देते हैं उसके बारे में ऑक्शन क्यों नहीं किया जाता है, यह भी प्रश्न उठाया गया। इस बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मिनरल डेवलपमेंट के लिये हिन्दुस्तान में दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। एक मेजर और दूसरा माइनर। जो मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के डिसीज़न से चल रही है उसके अनुसार मेजर मिनरल्स जो भी सारी कन्ट्री में चलाते हैं उसके हिसाब से एक वक्त में लीज़ जो मिलती है; बीस साल की मिलती है। बीस साल का रिन्यूअल लें तो ऑक्शन होता है। मिनरल डेवलपमेंट का ऑक्शन करते रहें तो उसमें हमें देखना यह होगा कि पर्टिकूलर चीज़ का डवेलपमेंट होता है या नहीं। इस फैक्ट को सामने रख कर चलना होगा। ऑक्शन करने का जो सिद्धान्त है उसका परिणाम यह होगा जैसा कि सबको मालूम है शुगर फैक्टरी और टेक्सटाइल किसी ने लगा ली, उसके लिये बार बार तय नहीं होता। जिसने एक बार मेजर मिनरल की शुरुआत की उसके लिये बार बार तय नहीं होता। एक इन्डस्ट्री शुरू करने के बाद लम्बे समय के लिये कन्टिन्यू किया जाय ताकि उसके कारण स्टेट को आमदनी होती रहे और प्रदेश का भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके।

कोटा स्टोन के बारे में भी बात आई कि एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्री को कोटा स्टेट के समय बहुत लम्बा लीज़ दिया गया। उसी प्रकार का पत्थर करीब करीब निम्बाहेड़ा और चित्तौड़, उदयपुर जिले के अन्दर है लेकिन इन दोनों जगहों के बीच में अन्तर यह होता है, लम्बी लीज होने का परिणाम यह हुआ कि वहां का फलोरिशिंग स्टोन जिसके लिये डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मकराना से कम्पीट करता है वह एक लम्बी लीज़ की वजह से ऐसा है वहां उन्होंने पचास लाख का इन्वेस्टमेंट करके चारों तरफ इसकी पब्लिसिटी करके उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना बढ़ा दिया है। अगर वहां भी हर साल दो साल से ऑक्शन होता तो इस इन्डस्ट्री को साउन्ड फुटिंग पर डेवलप नहीं कर सकते थे। अगर कोई इस प्रकार से उद्योग बढ़ाता है, उसके बाद भी अगर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो तो यह वाजिब बात नहीं होगी। मोनोपोली का तरीका यूज़ करने के बाद अगर किसी इन्डस्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज्यादा रायल्टी मिलती है। उसका डेड रेन्ट भी ज्यादा होता है, एक्सेस रॉयल्टी भी ज्यादा मिल सकती है। यदि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े तो उसी प्रकार सेल्फ़एम्पलॉयमेंट भी बढ़ता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ये सारी चीजें हैं। इसी को लक्ष्य में रख कर चलना होगा। कोटा स्टोन के बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा। उन्होंने लिखा भी है। कब लिखा क्या हुआ; यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस कम्पनी को जो लीज़ दी गई फॉर्मर स्टेट के समय के अन्दर। वह जिले की चार तहसीलों के लिए दी गई थी। इसी प्रकार शाहपुरा स्टेट के अन्दर माइका के सम्बन्ध में जो लीज़ दी गई वह सारे जिले के लिये थी। पहले जो माइका की लीजेज़ दी गई फॉर्मर स्टेट के वक्त में वह सारे जिले भर के लिए दी जाती थी। जहां तक इस स्टोन इन्डस्ट्री का सवाल है इसमें जहां दो तहसीलों के लिये मोनोपोली दी गई थी वहां उसके बजाय सात स्क्वायर माइल का सिलेक्टेड एरिया उनको दिया गया। इसी तरह से उदयपुर जिले के अन्दर जहां दो स्थानों के लिये भीलवाड़ा और दूसरी जगह के लिये माइका की लीज़ दी गई थी वहां जब उनकी लीज़ों के टर्मिनेशन का सवाल आया तो उनको ऑप्शन दिया गया कि वे एक एरिया को सिलेक्ट कर लें। इस तरह से उन्होंने पर्टिक्युलर एरिया लेकर बाकी का एरिया छोड़ दिया और उसी पर काम किया जा रहा है।

यह ठीक बात है, पर इसके बाद और इलाकों में है या नहीं, तो जो भी आगे बढ़कर एन्टरप्राइज़र आता है कि हम भी करना चाहते हैं, तो कुछ तो उसको भी देनी पड़ेगी। उसको काम करना है तो एक लिमिटेड एरिया में रख दें। कम्प्लीटली अपरूट करें तो बगैर इन्डस्ट्री के काम करने की बात आती है। एक तरफ तो मिनरल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है दूसरी तरफ उसको प्रोपरली एक्स्प्लोइट करने और मार्केट में अच्छी तरह से सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के जिसके पास काफी अच्छे साधन हैं वे साधन लेकर आता है तो हम उसको कैसे डिबार कर दें, जब कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज़ को डेवलप करने की बात करते हैं? आज कोटा एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज़ यही करती है।

जैसे एक भाई ने कहा हथोड़ा सिस्टम से चलाइये। काम चल तो सकता है, पर इसके बाद जो चीज़ है, ऑल इण्डिया इसकी इम्पोर्टेन्स है, ज्यादा से ज्यादा निकले और वितरण भी अधिक से अधिक हो तो यह कम्पनी वह कर सकती है और उस एरिया में, इतने कम एरिया में ऐसा करना ज्यादा बात हुई।

दूसरा निवेदन करूं, यह प्रश्न उठता है ६ लाख रुपये उसके बाकी हैं फिर भी क्यों दी? यह बात सही नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उनका एग्रीमेंट था फॉर्मर कोटा स्टेट के साथ, जिसमें यह था कि इन्कम टैक्स और दूसरे बहुत से जो आम तौर से स्टेटों में उस वक्त कन्सेशन हुआ करते थे वे कन्सेशन उनको मिले हुए थे और उसमें ऐसा था कि अगर इतने से ज्यादा स्टोन बेचते हैं तो इतनी एक्सेस रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ही और इन्हीं मुद्दों पर वे कोर्ट में गये। दूसरा डिस्प्यूट चलता है कि चूंकि इन्कम टैक्स अब लागू हो गया है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उससे एग्रीमेंट के अनुसार एक्सेस रायल्टी कलेक्ट नहीं कर सकते। इन्कम टैक्स के अभाव में एक्सेस रॉयल्टी की बात थी। इस कारण से रुकावट आती है। यह मैंने बताया। कोर्ट में फैसला हुआ या नहीं, नहीं मालूम, पर कोर्ट में चेलेन्ज किया और जिसकी वजह से यह प्रश्न सामने आया।

बांसवाड़ा में लैंड एक्वायर करने का प्रश्न था। कार्यवाही एक्विज़िशन की हुई होगी, ऐसा मान कर मैं चलता हूँ।

दूसरा कहा गया माइनिंग के बजट में दूसरी प्लान में जो रुपया रखा गया वह खर्च नहीं कर पाये। स्वाभाविक प्रश्न है। मैं निवेदन करूं कि जो रुपया रखा गया वह स्पेसिफिक स्कीमों के अन्तर्गत था। उनके अन्दर जो बातें सामने आई, वे मैंने निवेदन की और प्लान में जिन जिन स्टेजेज़ में से हम निकले हैं वे सारी आपको मालूम हैं। अब यह तो सम्भव नहीं था कि जो रखा किसी प्रकार से खर्च कर देते।

पलाना के लिए था। इसमें जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती प्लानिंग कमीशन की कि काम हम ओपन कास्ट से चला सकते हैं तब तक कैसे किया जा सकता है ?

इसी तरह से एक वैट माइका की स्कीम के लिये पैसा था। उन्होंने कहा कि स्टेट सैक्टर में नहीं, प्राइवेट में रखा जावे। तो हमने काफी प्रयत्न किया। इसमें ज्यादा मशीनरी के लिये था। कोशिश की कि हमारी एक्सचेन्ज की जो इसमें मैन डिफीकल्टी थी दूर हो, पर नहीं हुई। जितनी हुई हमने उतना खर्च किया। क्योंकि हमारी आवश्यकता उससे भी कहीं ज्यादा है जो मशीनें उपलब्ध हो सकें।

एक फुलर्स अर्थ एक्टीवाइजेशन के लिये ४५ हजार के प्लान्ट की स्कीम थी। पर इसे आगे जाकर प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव नहीं किया।

एक हिंडौन के लिये बांसवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि असल में वहां हथौड़ा सिस्टम था, इसके बजाय रेंट कम रॉयल्टी सिस्टम लागू किया जिससे ठीक इन्कम हो सके और ठेकेदार केवल रॉयल्टी कलेक्शन करने के लिये है। उन क्वेरीज़ पर काम करने वालों को किसी को नहीं हटाया है। अब रॉयल्टी कलक्शन में वे यह चाहते हैं कि गोकि नोटिफिकेशन निकल चुका, पुराना जो पत्थर पड़ा है उस पर पुरानी रेट से चार्ज लिया जाय। यह डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। इसके सिवाय उनको उखाड़ देने की बात आती नहीं।

भरतपुर की जो स्टोन क्वेरीज़ हैं उनके और धौलपुर के बारे में दो प्रश्न पेश हुए। किसान को और स्थानीय व्यक्तियों को उनकी जरूरत का पत्थर मिलना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा पहले भी कहा जा चुका है, किसानों को अपनी आवश्यकता के लिये जिसमें घर बनाना भी आ गया, पत्थर लाने के बारे में इजाजत है फ्री; पर जो लीज़ एरिया हैं उनमें से लाने की नहीं है। इसमें कोई फिक्स्ड कीमत पर कॉन्ट्रेक्टर दे दे तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इससे लीकेजेज़ हैं, और हैं, कई तरह के झगड़े हैं जो बढ़ जावेंगे। इसलिये यह करना मुश्किल है। बाकी दूसरे एरियाज़ में से वे ले सकते हैं। इसकी छूट दे दी गई है। काफी एरिया दूसरे भी हैं जो लीज़ पर नहीं हैं। फिर इनका लीज़ पीरियड भी एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद फिर क्या किया जावे, यह विचार भी हम कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए विचार किया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): लीज़ पीरियड किसका भरतपुर का या धौलपुर का रिन्यू नहीं हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अभी नहीं हुआ भरतपुर का। माइका के बारे में कहा गया। अभी भीलवाड़ा जिले में माइनिंग ऑफिस में अव्यवस्था है कहा गया और इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पिछली विधान सभा के अन्दर वहां की फाइलों के कुछ पेपर्स यहां पर रखे थे। मुझे दुख है कि दर असल माइनिंग डिपार्टमेंट में वहां पर यह गफलत हुई और वहां के कुछ कागजात जो यहां रखे उससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ कागजात वहां से मिसिंग हैं। पर जो आपने जानकारी दी उसके लिये धन्यवाद। इसके साथ साथ जब से जानकारी हुई, कहा गया कि केस फाइल नहीं किया, मैं निवेदन कर दूं कि हम उसको बराबर परस्यू कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें कि कहां से यह हुआ है और जिस पर भी रेस्पोन्सिबिलिटी आवेगी, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्यवाही उस पर की जावेगी, कोई रियायत इसमें नहीं की जावेगी।

दूसरा, क्रूड माइका और पहले रॉयल्टी का जो सिलसिला था उसके चेन्ज किये जाने के बारे में कहा गया। इसका कारण यह था कि आन्ध्र और बिहार जो माइका प्रोडक्शन में राजस्थान से कहीं आगे है, दूसरी दो स्टेटें हैं जिनमें क्रूड पर रॉयल्टी ली जाती है; फिनिश्ड पर नहीं ली जाती। इसलिये हमें यह करना पड़ा, नहीं तो जो ट्रान्ज़ेक्शन हो सकता है एक दूसरे के बीच में वह नहीं हो सकता था। इसके बारे में आम तौर से रिप्रेज़ेन्टेशन आये। दूसरी बात यह भी सामने आई कि बिहार जो हमसे बड़ी स्टेट है उसमें माइका के प्रोडक्शन में जिस पॉलिसी को फोलो किया जाता था उससे विपरीत पॉलिसी यहां एडॉप्ट करके यहां के व्यापार को उनके मुकाबले में हैन्डीकैप में रखना उचित नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नीति को अख्तियार किया गया, और कोई कारण नहीं था इसके पीछे। कोई चाहे तो वहां जाकर मालूम कर सकता है कि बिहार और आन्ध्र में क्या सिस्टम है। रहा यह सवाल कि प्रोपर चैकिंग नहीं होता, लीकेज हो रहा है, यह माननीय सदस्यों के कहने का ज्यादा तात्पर्य था, अगर मैं ठीक समझता हूँ तो, तो इस पर ध्यान दिया जावेगा। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया। मैं निश्चित तौर से इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा माननीय सदस्यों से बातचीत के द्वारा और और तरीकों से कि लीकेज अगर होता है तो क्या सुझाव उनकी ओर से सामने आते हैं और उनका निश्चित तौर से स्वागत किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जावेगा। हम यह नहीं चाहते कि किसी को अगर कन्सेशन देना है तो क्या पॉलिसी एडॉप्ट करनी है; तो इस बात को तय करेंगे ही, पर लीकेज की बात और तरीके से हो तो वह नहीं होनी चाहिये और इसको रोकने का पूरा प्रयत्न होगा।

उसी प्रकार भदवासी के बारे में जो कुछ बातें यहां सामने आईं उन बातों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा। ऐसा मालूम होता है कि जो एरिया ए० सी० सी० को दिया हुआ है उस एरिया के बाहर दूसरी पार्टी जिसको ए० सी० सी० की तरफ से सब लीज़ किया गया है वह वर्क कर रही है तो मैं आपको बताऊं कि उनको नोटिस दिया जा चुका है आज की बहस के पहले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी तो उन पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जायेगी। जो कायदे से वर्क करने का एरिया होगा अगर उसके बाहर कोई वर्क करेगा और उसमें जानबूझ कर किसी अधिकारी का हाथ होगा तो उसको भी मैं देखूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अब जो फायदा उठा लिया, उसके लिए क्या करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका चार्ज करेंगे।

मैं समझता हूँ कि माइनिंग के बारे में खास खास जो पोइन्ट्स उठाये गये थे उनके बारे में मैंने निवेदन करने का प्रयत्न किया है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मोनोपॉली सिस्टम एक तरह से हम चला रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मोनोपॉली सिस्टम का मैं उनका पूरा अर्थ नहीं समझा इस माने में कि लाइसेन्स या लीज़ तो माइनिंग की किसी न किसी को देनी ही होगी क्योंकि एक ही एरिया में सभी जाकर वर्क करें, ऐसी बात नहीं हो सकती और न यह सम्भव ही है। अब मोनोपोली तो तभी हो सकती है जब कि सारे स्टेट में या बहुत सी जगह का जो मिनरल है उसमें सिवाय एक के कोई वर्क न करे....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : ३० मील का एरिया एक को दे दिया गया तो गांव वाले कहां से निकालेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मोनोपॉली नहीं हुई। ज्यादा एरिया किसी आदमी के पास हो तो कोई यह मोनोपॉली नहीं हुई। मोनोपॉली का मतलब होता है कि मिनरल में वर्क करने का किसी और को मौका ही नहीं मिले....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ३० मील का है तो फिर तो नहीं मिला।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पर ज्यादा एरिया क्यों दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कानून के मुताबिक ज्यादा नहीं दिया जा सकता है तो ज्यादा नहीं दिया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : ज्यादा दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं दिया जायेगा।

अब चेयरमैन महोदय, दूसरे विभागों के बारे में भी कटमोशन्स मूव किये गये थे लेकिन उनमें से कुछ माननीय सदस्य नहीं हैं, कुछ हैं। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जयपुर म्यूज़ियम के बारे में कहा। यहां पर उनके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि गवर्नमेन्ट की तरफ से जयपुर म्यूज़ियम की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसी सम्बन्ध में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि म्यूज़ियम की तरफ गवर्नमेन्ट का ध्यान ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि जयपुर के म्यूज़ियम के बारे में जो कुछ यहां किया जा रहा है उसको न केवल कुछ लोगों ने ही, बल्कि एक्सपर्टस ने एप्रीशियेट किया है। जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ऑल इन्डिया के डाइरेक्टर हैं डॉ० ग्रेम मारले उनका एक वाक्य इसके बारे में पढ़ कर सुना देता हूँ जो कि यहां के डाइरेक्टर को लिखा है :

"The area in which you have already adapted the old fashioned cases to accommodate instructive displays of Rajasthani arts and crafts seems to me a step in the right direction. Necessarily as a Museum of an important State which is rich in its artistic and cultural heritage, you have a major obligation to present for the benefit of the community and even more for visitors from elsewhere in India and from abroad, a coherent story of what Rajasthan is and what it represents in the arts and crafts. Your introduction of those eloquent maps as a decorative as well as instructive feature of your presentation in the cases seems to me ingenious. I compliment you upon this thoughtful device."

यह उन्होंने इसके बारे में कहा है। इसके बाद में जो बातें कहीं गई अगर उसके अनुसार यह म्यूज़ियम इतना डेवलप हो कि इन्डस्ट्रियल म्यूज़ियम भी हो वह स्टेज आगे की होगी, लेकिन एरिया के कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के पोइन्ट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें पुट–अप करते हैं, इस दृष्टि से उसको किया गया है और आपको जान कर खुशी होगी कि राजस्थान को अलग अलग जगह के म्यूज़ियम्स के लिए और उनके विकास के लिए ३ लाख रुपये के ऊपर भारत सरकार ने विशेष रूप से स्वीकृत किये हैं, जिससे हम अलग अलग जगह के म्यूज़ियमों का विकास कर सकेंगे और मैं समझता हूँ कि इससे हमें उनके विकास करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। यहां और भी अपर स्टोरी के अन्दर उसका एक्सटेन्शन किया जा रहा है। छीपा–बड़ौद से आने वाले माननीय सदस्य ने शाहबाद और दूसरी जगह के बारे में सूचना दी, उनकी जानकारी के लिए बधाई। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शाहबाद के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा के लिए १० हज़ार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। कृष्ण विलास राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है और भारत सरकार के जरिये उसके बारे में कार्यवाही की जायेगी। अटरू के मन्दिरों के बारे में पी० डब्ल्यू० डी० से तखमीना मांगा गया है कि उनके लिए कितना खर्च

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करने की जरूरत है और उनके लिए धन स्वीकृत किया जायेगा।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था कि एक त्रैमासिक पत्रिका इस बात की प्रकाशित होती रहे कि जिनसे खास खास आर्क्योलॉजिकल बातों की जानकारी मिलती रहे। मैं उनकी और दूसरे सदस्यों को जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो मेटीरियल को कलेक्ट करने में काफी शक्ति हमने लगाई है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी इस बात पर सोचा जा रहा है कि एक मन्थली मेगज़ीन के रूप में निकालें कि जो जानकारी दे सके। वैसे एक "शोध पत्रिका" उदयपुर से और बीकानेर से "राजस्थान भारती" नाम की पत्रिका निकलती है। एक "मरु भारती" पिलानी से भी इस सम्बन्ध में निकलती है।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट पब्लिकेशन ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्राईवेट।

कह तो काफी दिया गया है। सब कट मोशन्स विथड्रा कर लें। और भी कहना जरूरी है? म्यूज़ियमों के बारे में शायद माननीय सदस्यों की जानकारी में होगा कि अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर के बारे में प्रकाशित हो चुकी हैं। राग–रागनियां जो जयपुर को हैं उनके बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित को जा चुकी है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इनकी कॉम्पलीमेन्टरी कॉपीज़ भिजवा दीजिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अलवर की तो देखी है, लेकिन दूसरी नहीं देखी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बात यह है कि भरतपुर के माननीय सदस्य ने कहा है तो जो भरतपुर की प्रकाशित हुई है उसको उन्हें भिजवाने की कोशिश करूंगा। इस साल ७ म्यूज़ियमों के कैटलॉग तैयार करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। जो खास बातें इस बहस के दौरान में उठाई गई उनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका मैंने कहने का प्रयत्न किया है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां की काफी ऐतिहासिक महत्व की बातों को बताया और उन्होंने कहा कि मीराजी वहां से मेवाड़ गई और जयमल, फत्ता गये और न जाने सब नागौर के थे तो उस दृष्टि से क्या क्या वहां संरक्षण के लायक है, उसके बारे में और प्रयत्न करना होगा, पूरी जानकारी उनकी हासिल की।

एक मैं और यहां स्पष्ट कर दूं कि पुरातत्व विभाग के बारे में एक कट मोशन में यह कहा गया कि बहुत सी चीजें सब जगह से इकट्ठी करके जोधपुर ले जायी जा रही हैं। मैं अर्ज कर दूं कि यह गलत है। पहले अलग अलग विभाग देखते थे उसके बजाय अब राजस्थान भर के बारे में जो जानकारी है उस सब का कोमन कैटलॉग तैयार करने और उनको अच्छी तरह से देख-रेख करने की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को दी है। यह विभाग उनको पूरी तरह से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देखरेख रखेगा लेकिन वे रहेंगी वहीं जहां पर हैं....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुस्तकें डिस्टर्ब्ड तो नहीं की जा रही हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, वहीं रखी जायेंगी। कोई विद्वान् आवे तो उसको मालूम हो सके कि कौनसी चीज कहां कहां है। जोधपुर से पुस्तिकाएं और दूसरी चीजें निकली हैं, उनकी काफी प्रशंसा हो रही है। मैं जानता हूँ कि जो रुचि रखते हैं उनकी जानकारी में ये बातें आती रही हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सारी चीजें वहां जा रही हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहां के बारे में ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर के बारे में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने कट मोशन्स मूव किये हैं वे अपने कट मोशन्स वापिस लेंगे।

श्री सभापति (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जो माननीय सदस्य अपने कट मोशन्स वापिस लेना चाहते हैं वे खड़े हो जावें।

(श्री सूबेदारसिंह, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री सम्पतराज जैन, श्री धन्नालाल हरित, श्री मोतीलाल और श्री भीमसेन खड़े हुए)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव सर्व श्री सूबेदारसिंह, जुगलकिशोर चतुर्वेदी, सम्पतराज जैन, धन्नालाल हरित, मोतीलाल चौधरी और भीमसेन ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Page No.103

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दलीपसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अवीस्कृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ०-चन्द्रकला ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री तनसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हीराभाई ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भोगजी भाई ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त ३३ लाख ६६ हजार रुपयों की राशि राज्यपाल महोदय को प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

राशि की मांग स्वीकार की गई।

We now adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.४५ बजे, शनिवार, दिनांक १८ मार्च, १९६१ को म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३२००

सरकारी कर्मचारियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति ।

ग्राम पंचायत खुड़ी (तहसील सुजानगढ़) के चुनाव में टेवटा की चोरी ।

रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर के जाली हिसाब ।

राजस्थान पब्लिक रिलेशन्स सर्विस ।

पंचायतों, प्रधानों तथा प्रमुखों के चुनावों में हुआ सरकारी व्यय ।

हटीला की मृत्यु के कारण की जांच ।

ग्राम सेवक ।

हिन्दी परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के समकक्ष प्रदत्त सरकारी मान्यता ।

तहसील देवली, जिला टोंक के दीवानी एवं फौजदारी मामले ।

प्रजनन-केन्द्रों पर भेड़ों की मृत्यु ।

पंचायत समिति, लूणकरणसर के विकास कार्यों हेतु प्रदत्त सरकारी धनराशि ।

जन सेवा आयोग द्वारा सहायक रजिस्ट्रार्स, सहकारी विभाग का चयन ।

सिटी बस सर्विस, जयपुर ।

रैयत टिनेन्ट कृषि सहकारी समिति, ग्राम चूसी ।

प्रोसिक्युटिंग सब-इन्सपेक्टर्स के ग्रेड ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना, जिला झालावाड़ ।

नगरपालिका क्षेत्र, जालोर में धारा १४४ ।

कर्मचारियों को मकान अलाउन्स ।

बीकानेर जिले को आर० ए० सी० चौकियां ।

आरक्षी अधीक्षक, झुंझुनूं के

कार्यालय के चिकित्सा व्यय संबंधी बिल्स ।

उदयपुर जिले में मन्त्रि–मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न ।

श्री डूंगरराम, मुंशी, थाना पुलिस, डेगाना को घूंस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी ।

कार्यालय उप-संचालक, भेड़ तथा ऊन का बीकानेर से स्थानान्तरण ।

स्थगित प्रश्न ।

८–३–१९६१

नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर खरीदने हेतु दिया गया ऋण ।

निर्विरोध चुनाव वाली पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि । ३२६७

श्री नाथूराम मिर्धा, सभापति प्रवर समिति के प्रस्ताव पर राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक ३१ मार्च, १९६१ तक और बढ़ा दिया गया ।

आय-व्ययक, १९६१-६२ ।

द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग ३२६७

उपरोक्त मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई । इस मांग पर २८ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् १३ कटौती-प्रस्ताव वापस ले लिये तथा शेष अस्वीकृत हुए । तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

Page No.107

सदन की बैठक ४ बज कर ४५ मिनट पर शनिवार, दिनांक १८ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार दिनांक १८ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१।
(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, १९५९–प्रतिलिपि अनुसूची —

क्रम संख्या	पद का वर्ग तथा श्रेणी (ग्रेड, यदि कोई हो)	वेतन क्रम तथा भत्ते	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हताएं	वह पद जिस पर से तरक्की द्वारा नियुक्ति की जा सकती है	तरक्की के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव एवं अर्हताएं	रिमार्क्स
१	२	३	४	५	६	७
१	ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाएं	सिलेक्शन ग्रेड ८०-५-१२० ई.-बी. ५-१७०-८० विशेष वेतन		ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाएं	ग्राम सेवक : (१) ५ वर्ष की सेवा। उत्पादक प्रोग्राम में तथा जनता का योगदान	

१	२	३	४	५	६	७
		१० रु० प्रति-माह			(People's participation)प्राप्त करने में मिली सफलताओं (achievements) के लिये तरजीह दी जायगी । (२) बेसिक तथा एक्सटेन्शन ट्रेनिंग दोनों में प्रशिक्षण, सिवाय उन ग्राम सेवकों के जो १–४–५६ से पहले भर्ती हुए हों तथा जिन्होंने कम से कम एक्सटेन्शन की ट्रेनिंग ली हो ।	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
					ग्राम सेविकाएं (१) ३ वर्ष की सेवा गृह विज्ञान विंग में प्रशिक्षित।	
२		(१) ६०-४-८० ई. बी. ५—१३० विशेष वेतन १० रु० ग्रेड १	बेसिक तथा एक्स-टेन्शन दोनों में अथवा गृह विज्ञान विंग में मैट्रिक ट्रेन्ड सिवाय उनके जो १-४-५६ से पहले भर्ती हुए हों।			
		(२) ५०-३-८० विशेष वेतन १० रु० ग्रेड २	(१) बेसिक अथवा एक्सटेंशन में मैट्रिक ट्रेन्ड, या (२) नॉन-मैट्रिक। बेसिक तथा एक्स-			

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
			टेन्शन दोनों में या गृह विज्ञान विंग में ट्रेन्ड होने चाहिये ।			
		(३) ५० रु० स्थिर	(१) अन्ट्रेंड मैट्रिक को मंहगाई भत्ता सहित । (२) अनट्रेंड नॉन–मैट्रिक को मंहगाई भत्ता के बिना ।			

MONTH-WISE JOB CHART FOR THE V.L.W.

JULY.

1. Treatment of Kharif Seed with Agrosar GN or Sulpher, control of Phadka and Katra.
2. Sowing of Kharif crops like Maize, Jower, Bajra and other pulses.
3. Demonstration of top dressing and earthing in Sugarcane.
4. Advising cultivators to paddy by Japanese Method of paddy cultivation.
5. Sowing of castor on field bonds.
6. Laying out of Kharif demonstration plots.
7. Aboption of mixed cropping.
8. Preparation of pits for fruit plantation.
9. Raising of nursery of fruit plants like Mango, Guava, Lemons etc.
10. Celebration of Van Mahotsav.
11. Sowing of green manuring seeds as aBorder crop in strips.
12. He may ensure that loans for purchase of implements, plant protection equipments are sanctioned by the Panchayat Samitis to the cultivators in time.

AUGUST.

1. Transplanting of late paddy.
2. Turning of Green manuring crops in the fields.
3. Sowing of Kharif crops and interculture operations in the already sown crops.

4. Control of cotton pests, phadka and other insects aud posts.

5. Top dressing and earthing in Sugarcane interculture in paddy and sowing of castor on field bunds.

6. Eradication of Adhasisi weed both by mechanical and chemical methods.

7. Plantation of fruit plants.

8. Budding in citrus.

9. Sowing of Vegetables.

10. Collection of demand of Potato and other Rabi crops.

11. Arrange loans for implements, pumping sets, Pursian Wheels etc. through Panchayat Samitis.

12. Collection and submission of applications for the grant of loans of cultivators for the development of compost and local manurial resources to the Panchayat Samitis.

SEPTEMBER.

1. Arrange distribution of Potatoes, Mustard, Gram and other Rabi seeds through co-operatives.

2. Arrange distribfution of fertilizers through co-operative and Panchayats.

3. Adoption of Plant Protection measures against Kharif Crops.

4. Top dressing with nitrogenous fertilizers in paddy.

5. Selection of suitable site for laying out of demonstration plots during Rabi.

6. Interculture operations in paddy, cotton ete.

7. Ploughing of fallow fields for Rabi.

8. Continuance of eradication of Adasisi weed.

9. Arrange sanction of loans through Panchayat Samitis to the cultivators.

OCTOBER.

1. Distribution of rabi seeds and fertilizers may be continued through cooperatives and panchayats.

2. Laying out of demonstration plots on rabi crops.

3. Collecting applications of taccavi loans for issue of fertilizers and minor irrigation works and getting them sanctioned by the Panchay at Samitis.

4. Application of compost to fields.

5. Demarcation of areas for collection of good quality kharif seeds.

6. Adoption of plant protection measures against insects and pests on Kharif crops.

7. Harvesting of kharif crops.

8. Advising the cultivators to purchase improved implements and plant protection equipment from the standard firms.

9. Sowing of wheat and other Rabi crops.

10. Manuring of fruit plants and transplenting of winter vegetables.

11. Treatment of rsbi seeds with fungisides.

NOVEMBER.

Advising panchayats, penchayat samitis and the Co-operatives to purchese quality kharif seeds from the registered seed growers.

2. Continue harvesting of kharif crops.
3. Picking of cotton.
4. Laying out of rabi demonstration continued.
5. Interculture operations in the already sown rabi crops.
6. Selection of fields for planting of sugarcane.
7. Distribution of furtilisers through cooperativea continued.
8. He may ensure that timely loans are sanctioned by the Panchayat Samitis for soil conservation works, and minor irrigation works.
9. Earthing and manuring of Sugarcane continued.

DECEMBER.

1. Interculture operations in rabi cropes specially top dressing in wheat and potato.
2. Helping to purchese of good quality kharif seeds through coopertaves.
3. Control of rates and other insect pest disease.
4. Sulpher dusting on jeera against powdery mildue and contrrl against early blight of Potato.
5. Distribution of fertilisers through cooperatives and panchayats be continued.
6. Helping the cultivators in purchasing implements and other plant protection equipment.
7. Helping cultivators in getting their loans for minor irrigation works from the Panchayat Samitis.
8. Purchase of green manure seed through co-operatives.
9. Organising frop competitions.

10. Inter culture operations in rabi crops continued.

JANUARY.

1. Interculture operations in rabi crops continued.
2. Preperation of land for sugarcane planting be started.
3. Control meaures against rats and other insecticides and pests be adopted.
4. Supervising the demonstration plots already laid on cultivators holdings.
5. Helping the cultivators in getting timely loans from the panchayat samitis.

FEBRUARY.

1. Arranging distribution of improved seed of sugarcane through cooperatives.
2. Arranging distribution of fretillsers, insecticides etc. through cooperatives and panchayats.
3. Interculture operations specially running in Rabi crops.
4. Control of field rats and other insects, pastes continued.
5. Follow-up of demonstration plots continued.
6. Helping the cultivators in getting their loan sanctioned from the Panchayat Samiti for minor irrigation works.
7. Laying out of demonstration plots in sugarcane.
8. Planting of said crops.

MARCH.

1. Selection of field for Rabi crops for good quality seed of wheat, berley, gram etc.

2. Sowing of sugarcane continued.
3. Laying out of surgarcane demonstrstion plots on cultivators holdings.
4. Control of field rats.
5. Distribution of fertilizers continued:
6. Ensure that all loans are sanctioned to the cultivators before the close of the financial year with a view that they may be utilized in time.
7. Planting of vegetables like Bhindi, Tomato, Bringles etc.

APRIL.

1. Harvesting of rabi crops.
2. Taking results of demonstration plots already laid from cultivators holdings.
3. Results of crop competitions collected.
4. Selection of good quality seed continued.
5. Disinfection of godowns before storing produce.
6. Advising summer ploughing.
7. Advising the cultivators to collect leaves and cane trees for compost making.
8. Examination of kharif seeds avaliable with growers for multiplication.
9. Helping in distribution of kharif seeds and fertilizers through cooperatives and penchayats.

MAY.

1. Getting the works executed by those cultivators who get financial assistance from the Panchayat Samitis.
2. Helping the cultivators in purchasing improved implements.
3. Selection of good guality rabi seeds continued.
4. Preparation of land for sowing of irrigated crops.
5. Preparation of paddy, nursury for Japanees method of paddy cultivation.
6. Digging of pits for fruit plants.
7. Advising the cultivators to prepare compost and digging pits of standard size.
8. Sowing of green manure crops in areas where irrigation facilities are available.
9. Hot weather cultivation continued.
10. Organiring sraining camps of Farm Leaders.

JUNE.

1. Distribution of kharif seeds and fertilizers continued through cooperative and panchayats.
2. Selection of suitable site for laying out kharif demonstration plots.
3. Treatment of kharif seeds with Agrosar ON or Sulpher etc.
4. Sowing of cotton in lines where irrigation facilities exist.

5. Helping the cultivators in purchasing improved agriculturai implements and plant protection equipment.

6. Selection of fields for sowing of paddy and other kharif crops.

7. Advising the cultivators to menures fields for kharif.

8. Irrigarion and earthing in sugarcane.

9. Digging of pits for fruit plants.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिये)

High School Examination

Certificate Diploma 1	Subject etc. 2	Awarding with authority 3
	MATRICULATION.	
1. Vidya Vinodani.	With advanced English as one of the Opt. and the full Exam. has been taken together or not more than two compartments within two years of each other.	Prayag Mahila Vidya Peeth, Allahabad.
	OR	
	High School Exam. in English only.	
2. Pravesh	Awarded prior to 1932 (purpose of apptt.)	Tilak Maharastra Vidya Peeth, Poona.
3. Kovid	For High School Examination only.	Rastra Bhasha Prachar Sammelan, Wardha.
4. Ratan	For High & Higher Secondary Schools.	—do—
	INTERMEDIATE.	
1. Prathama Pariksha	I year Arts-Awarded prior to 1932. (purposes of apptt. service)	Tilak Maharastra Vidya Peeth, Poona.